सत्यमेव जयते

भारतीय प्रेस परिषद
PRESS COUNCIL OF INDIA

45वीं वार्षिक रिपोर्ट

1 अप्रैल 2023 - 31 मार्च, 2024

भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली

भारतीय प्रेस परिषद

वार्षिक रिपोर्ट

(1 अप्रैल, 2023 – 31 मार्च, 2024)

नई दिल्ली

Printed at : Chandu Press, D-97, Shakarpur, Delhi-110092
Phone: 011-42448841, 9810519841

भारतीय प्रेस परिषद

सूचना भवन, 8 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षः न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई

14वीं सेवावधि

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के संपादक (धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (क))		
श्री अंकुर दुआ	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, मुज्जफरनगर बुलेटिन, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
डॉ बलदेव राज गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	समूह संपादक, एक्सप्रेस न्यूज, हिंदी दैनिक, मध्य प्रदेश
डॉ. खैदेम अथौबा मीतेई	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	निवासी संपादक, ह्यूयेन लानपाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर
श्री प्रकाश दुबे	एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया एवं हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन	समूह संपादक, दैनिक भास्कर, हिंदी दैनिक, महाराष्ट्र
डॉ. सुमन गुप्ता	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, जनमोर्चा, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश
श्री पराग कारान्दिकर*	हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन एवं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया	संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, मराठी दैनिक, महाराष्ट्र
संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार {धारा 5 की उप–धारा (3) का खंड (क)}		
श्री अंशु चक्रवर्ती	प्रेस क्लब, कोलकाता	श्रमजीवी पत्रकार, आजकाल, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल
श्री जय शंकर गुप्ता	प्रेस एसोसिएशन	संवाद्दाता, देशबंधु, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री किंगशुक प्रमाणिक	प्रेस क्लब, कोलकाता, ओडिशा पत्रकार संघ, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, संगबाद प्रतिदिन, बंगला दैनिक, पश्चिम बंगाल

** राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 03.07.2023 के जरिये अधिसूचित।*

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचारपत्र
श्री प्रजनानंद चौधुरी	पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, आनंद बाजार पत्रिका, बंगला दैनिक कोलकाता
श्री विनोद कोहली	चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन	श्रमजीवी पत्रकार, उत्कल मेल, हिंदी दैनिक, नई दिल्ली
श्री गुरबीर सिंह	मुंबई प्रेस क्लब, ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्टस	श्रमजीवी पत्रकार, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, अंग्रेजी दैनिक, तमिलनाडू
श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	ओडिशा पत्रकार संघ, प्रेस क्लब, कोलकाता, पश्चिम बंगाल पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस–एन मीडियामैन, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट	श्रमजीवी पत्रकार, इंडस वैली टाइम्स, अंग्रेजी पाक्षिक, ओडिशा
बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ख)}		
रिक्त*	–	–
रिक्त*	–	–
श्री गुरिंदर सिंह	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन और छोटे–मध्यम–बड़े समाचारपत्र सोसायटी	इंडियन ओबजर्वर, अंग्रेजी पाक्षिक, नई दिल्ली
श्री एल.सी. भारतीय	अखिल भारतीय लघु और मध्यम समाचार पत्र फेडरेशन	आकाशदीप, हिंदी साप्ताहिक, जयपुर, राजस्थान
श्रीमती आरती त्रिपाठी	अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए) एवं भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ	जय प्रदेश, हिन्दी साप्ताहिक, उत्तर प्रदेश
श्री श्याम सिंह पंवार	भारतीय लघु एवं मध्यम समाचारपत्र संघ एवं अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए)	जन सामना, हिंदी दैनिक, उत्तर प्रदेश

** उक्त श्रेणी में एकमात्र अधिसूचित एसोसिएशन इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(4) के तहत नामों का पैनल दर्ज नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त श्रेणी के तहत दो रिक्तियां हो गईं।*

सदस्य	संगठन, जिसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया	समाचार एजेंसी
समाचार एजेंसियों के प्रबंधक {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (ग)}		
श्री जी. सुधाकर नायर	प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई)	कार्यकारी संपादक, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) नई दिल्ली
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी से नामित व्यक्ति {धारा 5 की उप धारा (3) का खंड (घ)}		
प्रो जे. एस. राजपूत	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	
रिक्त*	भारतीय विधिज्ञ परिषद	
श्री माधव कौशिक	साहित्य अकादमी	
लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित सांसद {धारा 5 की उपधारा (3) का खंड (ङ)}		
रिक्त**	लोक सभा	
रिक्त**	लोक सभा	
रिक्त**	लोक सभा	
श्री राकेश सिन्हा	राज्य सभा	
श्री सुजीत कुमार***	राज्य सभा	
सचिव : नंगसंग्लेम्बा आओ		

** श्री शैलेंद्र दुबे, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के तहत दिनांक 29.05.2023 से परिषद के सदस्य नहीं रहे।*

*** इस श्रेणी में अधिसूचना अभी प्राप्त होनी है।*

**** राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 03.07.2023 के जरिये अधिसूचित।*

विषयसूची

प्राक्कथन		ix
वर्ष के मुख्य आकर्षण		1
अध्याय I	परिषद की भूमिका और कार्य	8
अध्याय II	संक्षिप्त विवरण (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024)	11
अध्याय III	प्रेस की स्थिति	28
अध्याय IV	प्राकृतिक आपदा के बीच समाचारों की कवरेज करने वाले मीडियाकर्मियों/रिपोर्टरों के लिए पी.सी.आई. द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश दिनांकित 21.08.2023	51
अध्याय V	एलजीबीटीक्यू समुदाय पर समाचार कवरेज के लिए पी.सी. आई. द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश दिनांकित 21.08. 2023	63
अध्याय VI	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा आमंत्रित सुझाव पर माननीय अध्यक्ष के केविएट सहित परिषद की रिपोर्ट दिनांक 26.09.2023	74
अध्याय VII	प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबंधित शिकायतों में दिए गए न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण	82
अध्याय VIII	प्रेस के विरुद्ध दर्ज शिकायतों में दिये गये न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण	94
अध्याय IX	परिषद का वित्त (2023–24)	110

संलग्नक

क	मामलों का विवरण (1 अप्रैल, 2023–31 मार्च 2024 तक)	136
ख	भारतीय प्रेस परिषद और श्रीलंका प्रेस परिषद के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) दिनांकित 17.11.2023	137
ग	राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 03.07.2023, जिसमें श्री सुजीत कुमार, संसद सदस्य (राज्य सभा) को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(ड़) के तहत भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया है	139
घ	राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 03.07.2023, जिसमें श्री पराग कारान्दिकर, संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स को प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5(3)(क) के तहत भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में अधिसूचित किया गया है	140
ङ	श्री पराग कारान्दिकर को भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के रूप में अधिसूचित करते हुए राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 03.07.2023 के संबंध में शुद्धिपत्र दिनांकित 21.07.2023	141
च	भारतीय प्रेस परिषद के संबंध मे वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 06.11.2023	142
छ	प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की सूची (2023–24)	143
ज	प्रेस के विरुद्ध दर्ज शिकायतों में न्यायनिर्णयों की सूची (2023–24)	154
झ	न्यायनिर्णयन (2023–24) का आलेख	168
ञ	प्रेस के खिलाफ दर्ज शिकायतों में न्यायनिर्णयों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची	169

प्राक्कथन

प्रेस हमारे लोकतंत्र में सूचनाओं का प्रसार करके, जनता को शिक्षित और सशक्त बनाकर तथा सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने वाले सतर्क प्रहरी के रूप में कार्य करके एक अपरिहार्य भूमिका निभाती है। इस प्रकार भारतीय प्रेस परिषद प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण तथा देश भर के समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वहन करती है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, भारतीय प्रेस परिषद ने महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं तथा मीडिया परिदृश्य में बहुमूल्य योगदान दिया है। हमने मीडिया कर्मियों के विरुद्ध हिंसा जैसे ज्वलंत मुद्दों पर ध्यान दिया है, प्रेस की स्वतंत्रता का दृढ़तापूर्वक बचाव किया है तथा व्यापक नैतिक दिशा–निर्देश स्थापित किए हैं। ये दिशा–निर्देश संवेदनशील विषयों के संबंध में हैं, जिनमें यौनकर्मियों तथा LGBTQ^{+} समुदाय पर मीडिया रिपोर्टिंग शामिल है, तथा ये प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने वाले पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

हमारी उप–समितियों ने महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जिनमें पत्रकारों की वित्तीय स्वतंत्रता पर COVID–19 लॉकडाउन का प्रभाव शामिल है। तथा भविष्य में इसी तरह के मुद्दों को रोकने की संस्तुतियों पर काम कर रही हैं। उन्होंने प्रिंट मीडिया पर विज्ञापन तथा मान्यता नीतियों के प्रभावों की भी जाँच की है तथा उनके द्वारा संघर्ष क्षेत्रों में रिपोर्टिंग के लिए दिशा–निर्देश विकसित किये जा रहे हैं।

अपनी सलाहकार भूमिका में, पीसीआई ने पत्रकारिता के आचरण के उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट मीडिया को परामर्शिकायें जारी करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसमें मीडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को कमजोर करने संबंधी कवरेज रोकने के लिए कमजोर बेरोजगार युवाओं को धोखाधड़ी से बचाने के लिए रोजगार संबंधी विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए दिशा–निर्देश और चक्रवात "बिपरजॉय" पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के लिए सुरक्षा संबंधी सावधानियों को लेकर परामर्शिकायें शामिल हैं।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2023 कार्यक्रम का उद्घाटन, मुख्य अतिथि के रूप में भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने किया। माननीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर एवं माननीय सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने विशिष्ट अतिथियों के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मीडिया परिदृश्य पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिवर्तनकारी प्रभावों को संबोधित करने के उद्देश्य से भारतीय प्रेस परिषद ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम के लिए "कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मीडिया" विषय चुना। जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत

ने इस विषय पर एक विचारोत्तेजक मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने बहुमूल्य जानकारी दी कि कैसे एआई (AI) पत्रकारिता को नया आकार दे रहा है और मीडिया के भविष्य पर इसका क्या प्रभाव होगा।

इस अवसर पर श्रीलंका प्रेस काउंसिल के साथ इस विषय पर विचारों के आदान–प्रदान का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा, उभरती मीडिया चुनौतियों से निपटने में एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयासों को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रेस परिषद और श्रीलंका प्रेस परिषद के बीच समझौता ज्ञापन को अगले पांच वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया।

मैं इस अवसर पर परिषद के सभी सदस्यों को उनके अमूल्य सहयोग और समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो परिषद को अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से और उचित परिश्रम तथा ईमानदारी के साथ पूरा करने में सक्षम बनाने में सहायक रहे हैं।

मुझे बेहद खुशी है कि अब मैं पाठकों के समक्ष भारतीय प्रेस परिषद की 45वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें पिछले वर्ष की हमारी गतिविधियों का व्यापक विवरण दिया गया है। यह रिपोर्ट नैतिक पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नई दिल्ली
दिनांक : 31.03.2024

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

वर्ष के मुख्य आकर्षण

भारतीय प्रेस परिषद ने 16 नवंबर, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में ***"कृत्रिम मेधा के युग में मीडिया"*** विषय पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 मनाया।

इस अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ायी। माननीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और माननीय सूचना एवं प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि थे। जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने मुख्य भाषण दिया और भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने समारोह की अध्यक्षता की।

दीप प्रज्ज्वलन समारोह की एक झलक

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2023 के अवसर पर स्मारिका, 2023 का विमोचन करते हुए

17 नवंबर, 2023 को भारतीय प्रेस परिषद और श्रीलंका प्रेस परिषद के बीच "विचारों का आदान–प्रदान" कार्यक्रम और "समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर" का आयोजन किया गया

दिनांक 28.03.2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई परिषद की बैठक

दिनांक 17–18.04.2023 को मुंबई में आयोजित की गई जांच समिति की बैठक

पत्रकारिता के छात्रों ने 3 जुलाई, 2023 से 1 अगस्त, 2023 तक आयोजित ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023 में भाग लिया

शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2024 के समापन समारोह की एक झलक

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), नई दिल्ली के भारतीय सूचना सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए भारतीय प्रेस परिषद की माननीय अध्यक्ष के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया

भारतीय प्रेस परिषद में योग दिवस, 2023 समारोह

परिषद के सचिवालय में हिंदी दिवस समारोह 2023

भारतीय प्रेस परिषद के परिसर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर बैनर लगाए गए

भारतीय प्रेस परिषद के परिसर में अंगदान दिवस के अवसर पर बैनर लगाए गए

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2024 के अवसर पर, कार्यालय द्वारा 15.3.2024 को महिला कर्मियों के लिए आधे दिन की भ्रमण यात्रा का आयोजन किया गया।

अध्याय–I
परिषद की भूमिका और कार्य

भारतीय प्रेस परिषद एक अर्ध–न्यायिक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, जिसकी पुनः स्थापना वर्ष 1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत प्रेस की स्वतन्त्रता को संरक्षित करने और भारत में समाचारपत्रों एवं न्यूज एजेंसियों के स्तर को सुधारने के दोहरे उद्देश्य के साथ की गई है।

परिषद एक निगमित निकाय है जिसका उत्तराधिकार निरंतर बना रहता है। इसमें अध्यक्ष और 28 सदस्य शामिल हैं। परिपाटी के अनुसार, इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश रहे हैं, जिन्हें एक समिति द्वारा नामित किया जाता है जिसमें (राज्य सभा) के सभापति, (लोक सभा) के अध्यक्ष (स्पीकर) तथा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 5 की उपधारा 6 के अंतर्गत परिषद के सदस्यों में से ही उनके द्वारा चुना गया एक सदस्य होता है। अट्ठाईस (28) सदस्यों में से तेरह (13) श्रमजीवी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें से छः (6) समाचारपत्रों के संपादक होते हैं और शेष सात (7) संपादकों से भिन्न अन्य श्रमजीवी पत्रकार होते हैं। छः (6) सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होते हैं जोकि समाचारपत्रों के स्वामी होते हैं या समाचारपत्रों के प्रबंधन का कार्य करते हैं, दो (2) सदस्यों में से प्रत्येक बड़े, मध्यम व छोटे समाचारपत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। एक (1) सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होता है जोकि समाचार एजेंसियों का प्रबंधन करते है। इसके पांच (5) सदस्य होते हैं जो संसद के दोनों सदनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तीन (3) लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं और दो (2) राज्य सभा के सभापति द्वारा पाठकों की अभिरूचिध्जनमत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किए जाते हैं। इसके तीन (3) सदस्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय विधिज्ञ परिषद और साहित्य अकादमी द्वारा नामित किया जाता है जो क्रमशः शिक्षा, विधि और साहित्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।

जैसा कि अधिनियम की धारा 13 में बताया गया है, भारतीय प्रेस परिषद का उद्देश्य प्रेस की स्वतन्त्रता का संरक्षण और भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है। यह अधिनियम परिषद को सलाहकार की भूमिका भी प्रदान करता है जिसमें यह स्व–प्रेरणा से या अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन सरकार द्वारा भेजे गए मामलों का अध्ययन कर सकती है और किसी विधेयक, विधान, कानून या ऐसे अन्य मामलों के संबंध में अपनी राय व्यक्त कर सकती है जो प्रेस से संबंधित हों और यह सरकार को या संबंधित व्यक्तियों को अपनी राय व्यक्त कर सकती है। जन–महत्त्व के मामलों में भी अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए परिषद,

स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकती है और घटनास्थल की जांच करने के लिए विशेष समिति का गठन कर सकती है।

अधिनियम की धारा 13 के तहत परिभाषित अपने उद्देश्यों में आगे कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य जो प्रेस परिषद को करने आवश्यक है, उसमें समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों की स्वतन्त्रता बनाए रखने में उनकी सहायता करना है, समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों, पत्रकारों के लिए उच्च व्यावसायिक मानदंडों के अनुसार आचार संहिता का निर्माण करना। समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों की ओर से यह सुनिश्चित करना कि वे लोक रूचि के उच्च स्तर को बनाए रखेंगे और उनमें अधिकारों और कर्तव्यों, दोनों की समुचित भावना को बढ़ावा देना, ऐसी किसी घटना पर नजर रखना जिसमें लोक रूचि और लोक महत्त्व के समाचारों के प्रचार–प्रसार को रोकने की संभावना होय समाचार एजेंसियों में या समाचारपत्रों के प्रस्तुतीकरण या प्रकाशन में लगे हुए सभी श्रेणियों के लोगों में समुचित कार्यात्मक संबंध को बढ़ावा देना, और ऐसी किसी घटना जैसे समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्वामित्व के संकेन्द्रण या अन्य पहलुओं, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ सकता है, पर विचार करना।

इस निकाय का उद्देश्य इस संकल्पना में निहित है कि एक लोकतान्त्रिक समाज में, प्रेस का भी स्वतंत्र और उत्तरदायी होना जरूरी है। अतः यह नैतिक मूल्यों और मानकों के अनुरूप कार्य करती है। इस दिशा में आगे कार्य करते हुए, यह समाचारपत्रों समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए उच्च नैतिक तथा वृत्तिक मानकों के अनुरूप आचार संहिता तैयार करती रही है। इसका प्रयोजन न केवल प्रेस के हित प्रहरी के रूप में कार्य करना है बल्कि पत्रकारिता जगत में की एक नई भावना को जगाना है। परिषद लगातार जांच करती रहती है कि प्रेस अनैतिक लेखन से दूर रहे और परिषद अपने नैतिक प्राधिकार के कारण भी पत्रकारिता जगत में नीतिशास्त्र की भावना भरती है जो सदैव कानून से बढ़कर होती है।

परिषद अपने कार्यों का निर्वहन मुख्यतया परिषद को प्राप्त शिकायतों पर न्यायनिर्णयों द्वारा करती है, शिकायतें या तो प्रेस के विरूद्ध पत्रकारिता नीतियों का उल्लंघन करने पर या प्रेस द्वारा उसकी स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप के बारे में होती हैं। जब परिषद जांच के बाद संतुष्ट होती है कि किसी समाचारपत्र या समाचार एजेंसियों ने पत्रकारिता नीतियों के मानकों का उल्लंघन या सार्वजनिक रूचि के विरूद्ध कार्य किया है या किसी संपादक या श्रमजीवी पत्रकार ने कोई वृत्तिक कदाचार किया है तो परिषद उन्हें चेतावनी दे सकती है, फटकार या भर्त्सना कर सकती है या उनके आचरण को लेकर असहमति व्यक्त कर सकती है। परिषद को जैसाकि प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत निर्दिष्ट है, किसी भी प्राधिकरण, जिसमें सरकार भी शामिल है, द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता में

हस्तक्षेप करने पर टिप्पणी, जैसी वह उचित समझें, करने का भी अधिकार प्राप्त है। जैसा भी मामला हो, उपधारा (1) या उपधारा (2) के तहत, परिषद का निर्णय अंतिम होता है जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

परिषद, संसद के अधिनियम के तहत गठित निकाय होने के कारण, अपने फंड्स का बड़ा भाग केंद्र सरकार से, संसद द्वारा उचित विनियोजन के बाद, सहायतार्थ अनुदान के रूप में प्राप्त करती है, हालांकि इसके पास अपने फंड्स भी होते हैं जो समाचारपत्रों से उनकी ग्रेडेड संरचना के अनुसार शुल्क के रूप में तथा अन्य प्राप्तियों द्वारा एकत्रित किया जाता है।

****

अध्याय–II
संक्षिप्त विवरण
(1 अप्रैल, 2023–31 मार्च, 2024)

परिषद की कार्यप्रणाली

प्रेस परिषद विनियम, 1979 (बैठकों और कार्य संचालन की प्रक्रिया) के विनियम 3 के अनुसार किसी एक वर्ष में परिषद की साधारण बैठकें चार से कम नहीं होगी और किन्हीं दो साधारण बैठकों के बीच का अंतराल सामान्यतः चार माह से अधिक नहीं होगा। तदनुसार, परिषद ने अपने कार्यों के निर्वहन के लिए समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चार (4) पूर्ण परिषद की बैठकें कीं और प्रेस की स्वतंत्रता तथा उसके मानकों से संबद्ध महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 8(1) के अनुसार, परिषद इस अधिनियम के तहत अपने कार्य के निष्पादन के लिए, परिषद को सौंपे गए कार्यों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अपने सदस्यों में से सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य के लिए समय–समय पर समितियों का गठन करती है। अपने कार्य निष्पादन के लिए, प्रेस परिषद के सम्मुख दर्ज शिकायतों की जांच करने और तदनुसार संस्तुतियां देने के लिए, परिषद, जांच समितियों का गठन करती है। परिषद के अध्यक्ष जांच समितियों की अध्यक्षता करते हैं।

जांच समितियां I और II कार्यरत हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य हैः

जांच समिति–I	**जांच समिति–II**
1. श्री किंगशुक प्रमाणिक	1. श्री राकेश सिन्हा (सांसद)
2. श्री माधव कौशिक	2. प्रो. जे.एस. राजपूत
3. श्री अंकुर दुआ	3. श्री शैलेंद्र दुबे*
4. डॉ. ख़ैदेम अथौबा मीतेई	4. डॉ. बलदेव राज गुप्ता
5. सुश्री आरती त्रिपाठी	5. श्री प्रकाश दुबे
6. श्री जय शंकर गुप्ता	6. डॉ. सुमन गुप्ता
7. श्री गुरबीर सिंह	7. श्री अंशु चक्रवर्ती
8. श्री प्रसन्ना कुमार मोहंती	8. श्री गुरिंदर सिंह
9. श्री एल.सी. भारतीय	9. श्री श्याम सिंह पंवार
10. श्री सुजीत कुमार**	10. श्री जी. सुधाकर नायर
11. श्री पराग कारान्दिकर**	11. श्री प्रजनानंद चौधुरी
	12. श्री विनोद कोहली

*श्री शैलेंद्र दुबे, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6(4) के तहत दिनांक 29.05.2023 से परिषद के सदस्य नहीं रहे।

**राजपत्र अधिसूचना, दिनांकित 03.07.2023 के जरिये अधिसूचित।

जांच समितियां परिषद में प्राप्त शिकायतों के संबंध में जांच शुरू करके परिषद के कार्य की बड़ी मात्रा का दायित्व सँभालती हैं और प्रेस की स्वतंत्र कार्यप्रणाली या प्रेस द्वारा नैतिक स्तरों को बनाए रखने से संबन्धित गंभीर महत्व के मामलों में माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा स्वतः संज्ञान भी लिया जाता है। जांच समितियों की कार्यवाही आम जनता के लिए खुली है। मामलों के पक्षकारों को मौखिक या दस्तावेजी प्रासंगिक साक्ष्य, प्रस्तुत करने/देने की आवश्यकता होती है और उन्हें अधिवक्ताओं/प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व करने की भी अनुमति होती है। जांच समिति संबंधित जांच समाप्त करते समय पक्षकारों द्वारा दिए गए अभिलेखों और मौखिक निवेदनों पर विचार करती है और जांच किए गए मामलों के संबंध में, अंतिम निर्णय के लिए, परिषद को अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करती है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान जांच समितियों ने सात (7) बैठकों में एक सौ छियासठ (166) मामलों पर न्यायनिर्णय हेतु परिषद के समक्ष संस्तुतियां प्रस्तुत की।

परिषद की उप–समितियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद की निम्नलिखित उप–समितियाँ कार्यरत रहीं:–

1) मान्यता संबंधी उप–समिति

2) कोविड–19 अवधि के दौरान मीडिया समूहों द्वारा पत्रकारों की छंटनी की जाँच करने के लिए उप–समिति;

3) संघर्ष स्थितियों में रिपोर्टिंग पर मीडिया और सुरक्षा बलों के लिए दिशा–निर्देश विकसित करने के लिए पूर्ववर्ती परिषद की उप–समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए उप–समिति, तथा संघर्ष स्थितियों से रिपोर्टिंग पर मीडिया और सुरक्षा बलों के लिए व्यापक दिशा–निर्देश विकसित करने के लिए समिति के दायरे को विस्तृत करने के लिए उप–समिति;

4) प्रिंट मीडिया में संवाददाताओं/पत्रकारों की अनिवार्य योग्यता निर्धारित करने के मुद्दे पर विचार करने के लिए गठित उप–समिति;

5) राज्य/केंद्र सरकार की विज्ञापन नीति पर उप–समिति;

6) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा आमंत्रित सुझावों पर उप–समितिः

7) स्वतंत्र पत्रकार श्री संदीप महाजन पर कथित नृशंस हमले पर तथ्य–खोजी समिति।

परिषद द्वारा स्वीकृत रिपोर्टें

1) प्राकृतिक आपदा के बीच समाचार कवरेज करने वाले मीडियाकर्मियों/रिपोर्टरों के लिए पी.सी.आई. द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशः रिपोर्ट को **अध्याय–IV** में कवर किया गया है।

2) एलजीबीटीक्यू+समुदाय पर समाचार कवर करने के लिए पी.सी.आई. द्वारा तैयार किए गए मीडिया दिशानिर्देशः रिपोर्ट को **अध्याय–V** में कवर किया गया है।

स्व–प्रेरणा से संज्ञान

समीक्षात्मक अवधि के दौरान भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष ने निम्न मामलों में मीडियाकर्मियों के खिलाफ कथित हिंसा की घटनाओं और प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की कथित घटनाओं का स्वप्रेरणा से संज्ञान लियाः–

1. दिल्ली में जंतर–मंतर पर पहलवानों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को कवर करने पर दिल्ली पुलिस द्वारा पत्रकार पर हमले की घटना;
2. मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में "घातक रिपोर्टर" संपादक श्री अरविंद सिंह जदौन और उनके परिवार के सदस्यों पर हमले के संबंध में;
3. लुधियाना में टाइम्स नाउ के पत्रकार की गिरफ्तारी के संबंध में;
4. महाराष्ट्र के जलगांव में स्वतंत्र पत्रकार श्री संदीप महाजन पर हमले के संबंध में;
5. बिहार के अररिया में पत्रकार श्री विमल कुमार यादव की कथित हत्या के संबंध में;
6. महाराष्ट्र के पुणे में वरिष्ठ पत्रकार श्री निखिल वागले पर कथित हमले के संबंध में;
7. आंध्र प्रदेश के कुरनूल में तेलुगु दैनिक ईनाडु के कार्यालय पर कथित हमले के संबंध में;

भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्ष ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित मामलों में पत्रकारिता नीति और सार्वजनिक रुचि के मानकों का उल्लंघन करने के लिए समाचार पत्रों/समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के खिलाफ स्वतः संज्ञान भी लियाः

1. दैनिक जागरण, दिल्ली संस्करण के खिलाफ उनके विभिन्न अंकों में अश्लील और भद्दे विज्ञापनों के कथित प्रकाशन के लिए;

2. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, हिंदुस्तान टाइम्स और द टेलीग्राफ के खिलाफ ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफार्मों के विज्ञापन प्रकाशित करके पत्रकारिता के आचरण के मानक, 2022 के कथित उल्लंघन करने के लिए;

3. दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण के खिलाफ भ्रामक और अश्लील तथा भद्दे विज्ञापन के कथित प्रकाशन के लिए;

4. एक समान सामग्री प्रकाशित करने पर नवभारत, रायपुर और अमर उजाला, नई दिल्ली के खिलाफ;

5. दैनिक जागरण द्वारा दिनांक 22.08.2023 को अपने विभिन्न संस्करणों में कथित रूप से गलत समाचार प्रकाशित करने के लिए;

6. टाइम्स ऑफ इंडिया, चेन्नई के 29.08.2023 के अंक में जम्मू–कश्मीर का संदर्भ "भारतीय नियंत्रित कश्मीर" के रूप में देने के लिए;

7. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिया, इंडिया न्यूज, सच बेधड़क, दैनिक नवज्योति और समाचार जगत के जयपुर संस्करण तथा हुकुमनामा समाचार, दैनिक जलते दीप और दैनिक नवज्योति के जोधपुर संस्करण के खिलाफ राजस्थान विधानसभा चुनाव, 2023 के संबंध में छद्म समाचार शीर्ष रेखा के रूप में कथित विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए;

संदर्भ मामले, जिन पर वर्ष 2023–2024 के दौरान परिषद द्वारा विचार किया गया

1. प्राकृतिक आपदा के बीच समाचार कवर करने वाले मीडियाकर्मियों/रिपोर्टरों के लिए भारतीय प्रेस परिषद द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सह दिशानिर्देश–(फा.सं. 17/1/2022–पीसीआई)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय (सू. और प्र. मं.) को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से श्री राधाकांत त्रिपाठी का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ, जोकि प्राकृतिक आपदा के दौरान ग्राउंड जीरो से बचाव कार्यों की कवरेज के दौरान अपनी जान गंवाने वाले मीडिया कर्मियों के लिए दिशा–निर्देश/एसओपी तैयार करने की आवश्यकता के बारे में था। इसमें 24.09.2021 को हुई एक घटना का हवाला दिया गया था।

इस मामले में गहन विचार–विमर्श के बाद परिषद ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों की सुरक्षा के लिए दिशा–निर्देशों का मसौदा तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय उप–समिति गठित करने का निश्चय किया। उप–समिति ने

29.05.2023 को दिशा–निर्देशों का मसौदा प्रस्तुत किया। इसकी रिपोर्ट उप–समिति द्वारा 31.07.2023 को प्रस्तुत की गई और 21.08.2023 को परिषद द्वारा इसे अंगीकार किया गया। दिशा–निर्देश, जिनका शीर्षक था, ''प्राकृतिक आपदा के बीच समाचार कवर करने वाले मीडिया कर्मियों/रिपोर्टरों के लिए पीसीआई द्वारा तैयार किये गये दिशा–निर्देश'' 20.09.2023 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजे गए।

इन दिशा–निर्देशों का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान संकट कालीन वातावरण में रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल और संस्तुतियां प्रदान करना है।

2. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों को समलैंगिक समुदाय को असम्मानजनक तरीके से चित्रित करने से रोकने के लिए उचित बाध्यकारी नियम, विनियम बनाने के लिए भारत सरकार से किये गये अनुरोध के संबंध में श्री पी. सेंथिल कुमार, चेन्नई से प्राप्त अभ्यावेदन। (फा.सं. 17/24/2021–पीसीआई)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया में LGBTQ समुदाय को असम्मानजनक तरीके से चित्रित करने के संबंध में श्री पी. सेंथिल कुमार के अभ्यावेदन को 13.10.2021 को PCI को भेजा। परिषद ने शुरुआत में 16.11.2021 को इस मुद्दे पर आरंभिक चर्चा की, जिसमें समुदाय के सम्मान के अधिकार पर जोर दिया गया और मीडिया में सम्मानजनक चित्रण के लिए दिशा–निर्देश प्रस्तावित किए गए। आगे के परामर्श और इनपुट, जिसमें हमसफर ट्रस्ट द्वारा संचार मीडिया गाइड शामिल है, के बाद परिषद ने व्यापक मीडिया दिशानिर्देश तैयार किए। परिषद ने गहन विचार–विमर्श के बाद 21.08.2023 को रिपोर्ट, जिसका शीर्षक था, ***'LGBTQ समुदाय पर समाचारों को कवर करने के लिए PCI द्वारा मीडिया दिशानिर्देश'*** अंगीकार की, ये दिशानिर्देश सरकार, राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और प्रमुख मीडिया घरानों को भेजे गए, साथ ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और पीसीआई वेबसाइट पर प्रकाशन भी किया गया।

3. दिनांक 15.04.2023 को मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय परिसर, प्रयागराज में अभियुक्त अतीक अहमद एवं खालिद आजम उर्फ अशरफ की गोली लगने से हुई मृत्यु की घटना को लेकर गठित किये गये पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा भारतीय प्रेस परिषद से मांगे गये सुझावा (फा.सं. 17/8/2023–पीसीआई)

पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग, उत्तर प्रदेश के सचिव श्री गौरव शुक्ला ने मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय परिसर, प्रयागराज में हुई एक घटना के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को दिनांक 27.07.2023 सूचित किया, जिसमें दिनांक 15.04.2023 को दो अभियुक्तों अतीक अहमद एवं खालिद अजीम उर्फ अशरफ की गोली

मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में मीडिया कर्मियों के वेश में कैमरा एवं माइक्रोफोन से लैस हमलावर शामिल थे। इस न्यायिक जांच आयोग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय प्रेस परिषद से इस मामले पर सुझाव मांगे थे।

परिषद ने दिनांक 21.08.2023 को तीन सदस्यीय उप–समिति का गठन किया। उप–समिति ने 16.09.2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को 26.09.2023 को अध्यक्ष के केविएट के साथ न्यायिक जांच आयोग को भेजा गया।

4. यूनेस्को महासम्मेलन के तहत संचार उप आयोग की एजेंडा मदों पर पीसीआई का इनपुट। (फा.सं. 17/14/2023–पीसीआई)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूनेस्को महासम्मेलन के संचार उप आयोग के लिए तीन एजेंडा बिंदुओं पर भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) से इनपुट मांगे थेः

जिन बिंदुओं पर इनपुट मांगे गए हैं वे इस प्रकार हैंः

क) मुक्त, स्वतंत्र, विविध और बहुलवादी मीडिया का विकास।

ख) महिला पत्रकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, मीडिया में महिलाओं का सशक्तिकरण, मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों में लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणाओं को संबोधित करना।

ग) प्राकृतिक खतरों और आपदाओं जैसी आपातकालीन स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए मीडिया क्षमता का निर्माण।

02.11.2023 को इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, पीसीआई ने अपने मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डाला; प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना और मजबूत शिकायत तंत्र तथा सलाहकार भूमिका के माध्यम से मीडिया मानकों में बढ़ोतरी करना। इसने प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन को संबोधित करने और संबंधित प्राधिकारियों को रिपोर्टों और संस्तुतियों के माध्यम से पत्रकार सुरक्षा सुनिश्चित करने में परिषद की भूमिका पर जोर दिया। पीसीआई ने वृत्तिक मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से पत्रकारिता के आचरण के मानक के साथ प्रेस का मार्गदर्शन करने में अपनी जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।

विशेष रूप से, पीसीआई ने मुंबई में एक महिला पत्रकार के कथित सामूहिक बलात्कार से जुड़ी एक गंभीर घटना पर अपनी सक्रिय प्रतिक्रिया का हवाला दिया, जिसके लिये एक समर्पित समिति का गठन किया गया जिसने 15 नवंबर, 2023 को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, पीसीआई ने आपदा प्रबंधन में अपनी ओर से विगत समय में की गई पहलों का उल्लेख किया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से की गई कार्यशालाएं और प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करना शामिल है।

उक्त मामले में परिषद के इनपुट मंत्रालय को भेजे गये।

5. सुश्री कल्पना नंदा द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों, विशेषकर आपराधिक समाचारों को अलग–अलग करने का सुझाव, ताकि समाचार पत्र पढ़ते समय बच्चों को नकारात्मक आपराधिक सामग्री से बचाया जा सके (फाइल सं.17/16/2023–पीसीआई)

मुंबई की सुश्री कल्पना नंदा ने 13.09.2023 को एक शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने अपराध समाचारों से भरे समाचार पत्रों पर चिंता व्यक्त की, जो बच्चों को सकारात्मक पढ़ने की आदतों से दूर करते हैं। उन्होंने समाचार पत्रों में खेलों के अलग–अलग हिस्सों की तरह अपराध समाचारों को एक अलग हिस्से में दिये जाने का प्रस्ताव दिया। इसका उद्देश्य बच्चों को नकारात्मक सामग्री से बचाने के साथ–साथ समाचार पत्र पढ़ने को प्रोत्साहित करना है।

परिषद ने 28.03.2024 को अपनी बैठक में इस अभ्यावेदन पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि अपराध समाचारों को एक अलग खंड में रखना अव्यावहारिक है। सदस्यों ने तर्क दिया कि बच्चे टीवी और यूट्यूब जैसे अन्य मीडिया के माध्यम से अपराध समाचारों का सामना करते हैं, समाचार पत्रों में अलगाव करना प्रभावी नहीं रहेगा है। इसलिए, परिषद ने सुश्री नंदा के सुझाव को सुगम नहीं माना और इसका पालन करने से इनकार कर दिया।

6. राज्य सभा में प्रस्तुत किए जाने के लिए "भारतीय मीडिया सेवा (विनियमन और लाइसेंसिंग) विधेयक, 2024" पर गैर सरकारी सदस्य के विधेयक के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र (फाइल सं.17/2/2024–पीसीआई)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (सू. एवं प्र.) ने गैर सरकारी सदस्य के विधेयक– "भारतीय मीडिया सेवा (विनियमन और लाइसेंसिंग) विधेयक, 2024" पर भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) से टिप्पणियों का अनुरोध किया। इस विधेयक में एक स्वायत्त निकाय, भारतीय मीडिया सेवा बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है, जिसका कार्य प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म सहित मीडिया प्लेटफॉर्मों की विस्तृत श्रृंखला को लाइसेंस देना और विनियमित करना होगा।

इस विधेयक के अधिनियमन का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण विकसित करना है, जहाँ पत्रकार और मीडिया सेवाएँ स्वतंत्र और समालोचना संबंधी काम कर सकें, और उनका कानूनी नतीजों से बचाव हो। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है।

इस विधेयक पर परिषद द्वारा दिनांक 28.03.2024 को हुई बैठक में विचार किया गया तथा परिषद ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने की संस्तुति करने का निर्णय लिया। परिषद ने मीडिया परिषद के गठन के मामले पर नए सिरे से विचार करने का भी निर्णय लिया।

7. श्री एन.के.प्रेमचंद्रन, सांसद द्वारा "पत्रकार (हिंसा और संपत्ति नुकसान या क्षतिग्रस्त करना निवारण) विधेयक, 2022" के संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से प्राप्त पत्र। (फा. सं. 17/25/2022–पीसीआई)

&

8. गोवा मीडियाकर्मी और मीडिया संस्थान (हिंसा और संपत्ति नुकसान या क्षतिग्रस्त करना निवारण) विधेयक, 2022 (फा. सं 17/2/2023–पीसीआई)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रेस अनुभाग ने श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, सांसद द्वारा प्रस्तुत *"पत्रकार (हिंसा और संपत्ति नुकसान या क्षतिग्रस्त करना निवारण) विधेयक, 2022"* और *"गोवा मीडियाकर्मी और मीडिया संस्थान (हिंसा और संपत्ति नुकसान या क्षतिग्रस्त करना निवारण) विधेयक, 2022"* को टिप्पणियों के लिए प्रेस परिषद को भेजा। गोवा से संबंधित विधेयक को गोवा विधानसभा द्वारा 22.07.2022 को पारित किया गया था और गोवा के राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए जाने के बाद भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा विचाराधीन था।

दोनों विधेयकों का उद्देश्य पत्रकारों और उनकी संपत्ति की रक्षा करना है। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन, सांसद द्वारा उपर्युक्त विधेयक का उद्देश्य बढ़ती हिंसा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डालने वाले कर्मियों से पत्रकारों का बचाव करना था। इसी तरह, गोवा के विधेयक का उद्देश्य गोवा में मीडियाकर्मियों और मीडिया संस्थानों को हिंसा और संपत्ति के नुकसान से बचाना है।

परिषद ने दोनों विधेयकों पर विचार–विमर्श के बाद उन्हें मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार से इसी तरह का केंद्रीय अधिनियम बनाने की संस्तुति की। परिषद के प्रस्ताव को बाद में मंत्रालय को भेज दिया गया।

9. श्री मोहम्मद नदीमुल हक, सांसद द्वारा "मीडियाकर्मियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय समिति विधेयक, 2023" पर गैर सरकारी सदस्य का विधेयक– (फा. सं. 17/1/2024–पीसीआई)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने "मीडियाकर्मियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय समिति विधेयक, 2023" शीर्षक से गैर सरकारी सदस्य के विधेयक को राज्यसभा में पेश करने के लिए भेजा। मंत्रालय ने इस मामले पर प्रेस परिषद की टिप्पणियां मांगीं।

परिषद के एक सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव मंत्रालय को संप्रेषित किये गये कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक नया विधेयक लाने के बजाय भारतीय प्रेस परिषद को सशक्त बनाने और इसकी भूमिका में बढ़ोतरी करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

परिषद द्वारा जारी परामर्शिकायें

परिषद ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान सरकार या अन्य प्राधिकारियों द्वारा उसे भेजे जा रहे मामलों या पत्रकारिता नैतिकता से संबंधित अन्य मामलों पर विभिन्न परामर्शिकायें कीं। प्रिंट मीडिया को निम्नलिखित परामर्शिकायें जारी की गईं। ये परामर्शिकायें परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं–

1. कर्नाटक में विधान सभा चुनाव के दौरान पेड न्यूज पर पत्रकारिता के आचरण के मानक–2022 का पालन करने के लिए प्रिंट मीडिया को परामर्शिका;
2. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए का उल्लंघन न करने के लिए मीडिया को परामर्शिकाः
3. इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम, 2019 की धारा 4 के उल्लंघन से बचने के लिए प्रिंट मीडिया को परामर्शिकाः
4. चक्रवात "बिपरजॉय" पर ग्राउंड रिपोर्टिंग में सुरक्षा के लिए मीडिया कर्मियों और मीडिया घरानों को सावधानी बरतने के लिए परामर्शिकाः
5. ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के प्रचार/विज्ञापनों के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 25 अगस्त, 2023 की परामर्शिका का पालन करने हेतु प्रिंट मीडिया के लिए परामर्शिकाः
6. दिनांक 28.08.2023 की W.P. (CRL) 2456/2023 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निदेश का पालन करने हेतु प्रिंट मीडिया के लिए परामर्शिकाः
7. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान पेड न्यूज पर पत्रकारिता के आचरण के मानक–2022 का पालन करने हेतु प्रिंट मीडिया के लिए परामर्शिकाः
8. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए में निर्दिष्ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज के संबंध में भारत के चुनाव आयोग की दिनांक 31.10.2023 की अधिसूचना का पालन करने हेतु मीडिया के लिए परामर्शिकाः

9. प्रिंट मीडिया के लिए परामर्शिका कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित न करें जो झूठी या हेरफेर की गई हो या जिससे सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता हो;

10. रोजगार से संबंधित विज्ञापनों का प्रकाशन करते समय पत्रकारिता के आचरण के मानकों का पालन करने हेतु प्रिंट मीडिया के लिए परामर्शिका

11. माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय द्वारा 2023 के डब्ल्यू.पी.ए. 22990 में दिनांक 17.10.2023 के अंतरिम आदेश द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का ध्यान रखने हेतु प्रिंट मीडिया को निदेश

12. प्रिंट मीडिया के लिए परमर्शिका कि वे लोक सभा 2024 के आम चुनावों और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्यों में राज्य विधानसभाओं तथा कुछ उप–चुनावों के दौरान भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करें।

परिषद के समक्ष शिकायतें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कुल **987** शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से **212** शिकायतें प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए सरकारी प्राधिकारियों/पुलिस/व्यक्तियों के खिलाफ प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने या प्रेस/पत्रकारो/मीडियाकर्मियों पर हमले के लिए दर्ज की गईं और ***775*** शिकायतें पत्रकारिता नैतिकता के उल्लंघन के लिए प्रेस के खिलाफ दर्ज की गईं। पिछले वर्ष से लंबित **1340** मामलों के साथ, रिपोर्ट किए गए वर्ष के दौरान कुल **1132** मामलों का निपटारा न्यायनिर्णयन के माध्यम से या अध्यक्ष की मध्यस्थता द्वारा मामला सुलझाये जाने के कारण या जांच के लिए पर्याप्त आधारों की कमी या जारी न रखे जाने के कारणय वापस लिये जाने या मामलों के न्यायालय में विचाराधीन हो जाने के कारणय अध्यक्ष द्वारा संक्षिप्त निपटान के माध्यम से किया गया।

इंटर्नशिप

ज्ञान वर्धन करने, पत्रकारिता वृत्तिकों में जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने और परिषद तथा इसके अधिदेश के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (2) (ख), (ग), (घ) और (ड़) के तहत सौपे गए कार्यों के निर्वहन में, परिषद के पास पत्रकारिता के छात्रों के लिए योग्यता–आधारित इंटर्नशिप कार्यक्रम है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने दो इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए, यानी ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम, 2023 (एसआईपी, 2023) और शीतकालीन इंटर्नशिप

कार्यक्रम, 2024 (डब्ल्यूआईपी, 2024)। इंटर्नशिप कार्यक्रम जिसकी अवधि एक माह थी, 3 जुलाई, 2023 से 1 अगस्त, 2023 और 12 फरवरी, 2024 से 12 मार्च, 2024 तक आयोजित किया गया।

पत्रकारिता के छात्रों को आवेदन जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। सभी को अवसर देने और पैन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने को भी ध्यान में रहते हुए। उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों से उनकी योग्यता और पात्रता मानदंडों के आधार पर चुना गया।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2023

परिषद ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2023 मनाया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। माननीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और माननीय सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। श्री अमिताभ कांत, जी20 शेरपा के मुख्य भाषण के साथ ही माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद, श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने समारोह की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय प्रेस दिवस का विषय था ''कृत्रिम मेधा के युग में मीडिया''।

इस अवसर पर, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने स्मारिका–2023 का विमोचन किया। इस कार्यक्रम में श्रीलंका प्रेस काउंसिल के प्रतिनिधियों और श्रीलंका, बांग्लादेश के प्रतिनिधियों, और ब्रिटिश उच्चायुक्तों, प्रख्यात पत्रकारों, वरिष्ठ सरकारी कर्मियों, पत्रकारिता के छात्रों, मीडियाकर्मियों और प्रमुख हस्तियों जैसे विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

विचारों का आदान–प्रदान, 2023 और समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर

राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 2023 के साथ ही 17.11.2023 को नई दिल्ली में भारतीय प्रेस परिषद के सम्मेलन कक्ष में श्रीलंका प्रेस काउंसिल और भारतीय प्रेस परिषद के बीच विचारों के आदान–प्रदान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद अगले पांच वर्षों के लिए दोनों परिषदों के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया। संबद्ध विषय पर विचार–विमर्श के लिए चेयरमैन श्री महिंदा पथिराना के नेतृत्व में श्रीलंका प्रेस परिषद के प्रतिनिधि भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023

उक्ति 'जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता' के अनुसरण में मीडिया को बिना किसी भय या पक्षपात के अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए,

भारतीय प्रेस परिषद ने, ऐसे अधिदेश प्राप्त एकमात्र सांविधिक प्राधिकरण के रूप में, 2012 से विभिन्न क्षेत्रों में प्रिंट पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पत्रकारों को सम्मानित करने हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कारों की संस्थापना की है।

परिषद ने दिनांक 02.07.2023 के अपने विज्ञापन के माध्यम से प्रिंट पत्रकारिता की विभिन्न श्रेणियों में ऐसे पत्रकारों, जिनकी राष्ट्रीयता भारतीय है, की राष्ट्रीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, 2023 के लिए प्रविष्टियाँ आमंत्रित कीं।

परिषद ने दिनांक 29.05.2023 की अपनी बैठक में राष्ट्रीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार, 2023 के लिए प्रविष्टियों की जाँच करने के लिए पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया।

पत्रकारिता के आचरण के मानक का अद्यतित संस्करण

समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों द्वारा उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 (ख) के अनुसार परिषद को आचार संहिता बनाने का अधिदेश प्राप्त है। इसके अनुसरण में, परिषद द्वारा किये गए न्यायनिर्णयों और अन्य घोषणाओं के आधार पर इसने पिछले कुछ वर्षों में ऐसे सिद्धांत विकसित किए हैं, जिन्हें पत्रकारों द्वारा वृत्तिक कर्तव्यों के निर्वहन में अपने आचरण को विनियमित करने के लिए उचित विवेक और रूपांतर के साथ प्रयोग करने की आशा की जाती है।

परिषद ने 17.11.2023 और 28.03.2024 की अपनी बैठक में जाति, धर्म या समुदाय संदर्भ, विज्ञापन, संपादक का विवेक, LGBTQ+ समुदाय पर रिपोर्टिंग और अन्य से संबंधित मानकों को पत्रकारिता के आचरण के मानक के अगले अद्यतित संस्करण में शामिल करने के लिए अनुमोदित किया। इन मानकों को परिषद के न्यायनिर्णयों और सरकार से प्राप्त संदर्भों से चुना गया है।

कार्यालयीन कार्य में हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किये गये कार्यक्रम

समीक्षाधीन अवधि के दौरान परिषद ने अपने कार्यालयीन प्रयोग में हिंदी के प्रचार–प्रसार पर विशेष ध्यान दिया। कार्यालय में "परिषद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की नियमित (त्रैमासिक) बैठकें आयोजित की गईं।

इस वर्ष, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14–15 सितम्बर, 2023 को पुणे (महाराष्ट्र) में हिंदी दिवस समारोह–2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा

सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय प्रेस परिषद में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने भारतीय प्रेस परिषद की ओर से उपर्युक्त आयोजन में भाग लिया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद के कर्मचारियों के लाभ के लिए राजभाषा से संबंधित चार (4) कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। 14 सितम्बर सम्पूर्ण भारत में 'हिंदी दिवस' के रूप में मनाया जाता है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी परिषद के सचिवालय में दिनांक 14.09.2023 से 28.09.2023 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। परिषद के कर्मचारियों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़े के दौरान हिंदी भाषा में कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों के पोस्टर तैयार कर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए गए।

कार्यालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में बहुमूल्य योगदान देने के लिए परिषद के कर्मचारियों को हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नोटिंग/ड्राफ्टिंग और हिंदी टाइपिंग जैसी विभिन्न श्रेणियों में नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी द्वारा प्रदान किए गए।

वार्षिक रिपोर्ट (अंग्रेजी) की तर्ज पर वार्षिक रिपोर्ट (हिंदी) के प्रकाशन के अलावा त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका 'प्रेस परिषद समीक्षा', न्यायनिर्णयों और घोषणाओं का हिंदी में प्रकाशन किया गया और उन्हें सार्वजनिक किया गया।

पारदर्शिता तंत्र

भारतीय प्रेस परिषद के सचिव, कार्यालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। परिषद की सतर्कता व्यवस्था, जिसमें उप सचिव, अवर सचिव (प्रशासन) और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल हैं, ने सचिव (सीवीओ) और परिषद की अध्यक्ष की प्रत्यक्ष देखरेख में काम किया। इसने सचिवालय में किसी भी भ्रष्टाचार को रोक/उसका मुकाबला करने के लिए नियमित और औचक निरीक्षण किया। 16 अगस्त, 2023 से 15 नवंबर, 2023 तक तीन महीने की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता अभियान चलाया गया। परिषद द्वारा विभिन्न गतिविधियाँ की गईं, जिनमें **परिषद** परिसर में बैनर प्रदर्शन, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता और जागरूकता संबंधी अन्य कार्य योजना शामिल थी।

शिकायत निवारण तंत्र

शिकायत निवारण तंत्र आंतरिक और बाह्य स्तर पर मौजूद है, जिसमें पीसीआई के सचिव, शिकायत निदेशक हैं। ऐसे आम पीड़ित लोग, जो अपनी शिकायतों के संबंध में

शिकायत निदेशक से मिलना चाहते हैं, वे सभी बुधवार को शाम 4.00 बजे से 5.00 बजे के बीच कार्यालय में उनसे मिल सकते हैं। **कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों का समाधान परिषद के कर्मचारी शिकायत अधिकारी द्वारा किया जाता है।**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिषद को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत 145 आवेदन प्राप्त हुए और सभी का समय पर निपटारा किया गया।

सदस्यों की अधिसूचना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के लिए धारा 5(3)(ई) और 5(3)(ए) के तहत श्री सुजीत कुमार, सांसद (राज्यसभा) और श्री पराग कारान्दिकर, संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स को राजपत्र अधिसूचना दिनांक 03.07.2023 द्वारा भारतीय प्रेस परिषद के सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया गया। **(संलग्नक ग से ड़)**

सदस्यता समाप्त

श्री शैलेन्द्र दुबे, 29 मई, 2023 से प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 6 (4) के तहत परिषद के सदस्य नहीं रहे।

श्रद्धांजलि

परिषद ने अपने पूर्व सदस्यों, श्री उत्तम चंद शर्मा, श्री अभय छजलानी, श्री के एस सचिदानंद मूर्ति और भारतीय प्रेस परिषद के अवर सचिव, श्री टी गऊ खनगिन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

प्रेस एवं पंजीकरण अपील बोर्ड

परिषद ने प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण (पीआरपी) अधिनियम, 2023 के परंतुक के साथ पठित अध्याय VI धारा 15(1) के अनुसार प्रेस एवं पंजीकरण अपीली बोर्ड का गठन किया, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं–

1. श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, माननीय अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद;
2. प्रो. जे. एस. राजपूत, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद;
3. श्री गुरिंदर सिंह, सदस्य, भारतीय प्रेस परिषद

परिषद की वेबसाइट

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, वार्षिक रिपोर्टें, पीसीआई रिव्यू, पीसीआई समीक्षा, चित्र गैलरी, प्रेस विज्ञप्तियां, न्यायनिर्णय, परिषदों की रिपोर्टें, एनओसी लेवी डेटा,

बकाया लेवी डेटा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। संगठनों को अपनी वेबसाइटों के नियमित और समय पर अद्यतनीकरण को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए MeitY दिशानिर्देशों के अनुसार, वेब सूचना प्रबंधक (WIM) को नामित किया गया है। मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी और उप मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी को भी नामित किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद का आधिकारिक यू–ट्यूब चौनल भी बनाया गया है।

समीक्षाधीन अवधि में परिषद द्वारा की गईं अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ:

आईआईएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ संवादात्मक सत्र

भारतीय जनसंचार संस्थान के कहने पर, भारतीय सूचना सेवा अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए पीसीआई की माननीय अध्यक्ष के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित किया गया। आईआईएस प्रशिक्षु अधिकारियों को परिषद के कामकाज सहित भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में जानने का अवसर मिला।

स्वच्छता अभियान

समीक्षाधीन अवधि के दौरान 10–24 अप्रैल, 2023 तक स्वच्छता पखवाड़े के दौरान भारतीय प्रेस परिषद के कार्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। अलग–अलग दिनों में भारतीय प्रेस परिषद में कॉन्फ्रेंस हॉल, रिकॉर्ड रूम, प्रशासन के स्टोर रूम और के विभिन्न अनुभागों में परिषद का स्वच्छता अभियान चलाया गया।

विश्व रक्तदाता दिवस, 2023 का आयोजन

14 जून, 2023 को परिषद में विश्व रक्तदाता दिवस, 2023 मनाया गया। परिषद के परिसर में ''विश्व रक्तदाता दिवस'' के बैनर लगाए गए। कर्मचारियों ने नियमित रूप से रक्तदान करने और अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और आम जनता के बीच नियमित और स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने की शपथ ली। इस अवसर पर, व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए परिषद के सभी कर्मचारियों को रक्तदान के महत्व को दर्शाने वाले पर्चे भी वितरित किए गए।

योग दिवस, 2023 का आयोजन

परिषद में 21 जून, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस दिन की शुरुआत योग के प्रशिक्षण सत्र से हुई, जिसके बाद ''तनाव मुक्ति के लिए योग के लाभ'' विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता की गई।

नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस

परिषद के सचिवालय में 26 जून, 2023 को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। भारतीय प्रेस परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर ई–शपथ ली।

"नशीली दवाओं से मुक्त भारत" विषय पर एक स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में परिषद के चौदह (14) कर्मचारियों ने भाग लिया। सर्वश्रेष्ठ तीन विजेताओं को नकद पुरस्कार दिये गये। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख स्थानों पर इस संबंध में बैनर लगाए गए।

भारतीय अंगदान दिवस, 2023

परिषद द्वारा 3 अगस्त, 2023 को भारतीय अंगदान दिवस, 2023 मनाया गया। इस अवसर पर पीसीआई के परिसर में विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए तथा स्लोगन लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। परिषद के कर्मचारियों ने, जरूरतमंद लोगों को नया जीवन देने के लिए अपनी मृत्यु के बाद अपने अंग दान करने की शपथ ली।

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस

परिषद द्वारा 10 नवंबर, 2023 को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। परिषद के कर्मचारियों द्वारा शपथ लेने और उनके बीच ई–किट वितरित करने के बाद निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

संविधान दिवस, 2023 का आयोजन

परिषद में 26 नवंबर, 2023 को संविधान दिवस मनाया गया। परिषद के कर्मचारियों द्वारा की गई गतिविधियों में संविधान की प्रस्तावना का ऑनलाइन वाचन शामिल था और कर्मचारियों ने "भारतः लोकतंत्र की जननी" पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में भी भाग लिया।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सप्ताह

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सप्ताह की कार्य योजना के एक भाग के रूप में, SHE बॉक्स स्थापित किए गए हैं और भारतीय प्रेस परिषद के परिसर के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए पोस्टर चिपकाए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2024

परिषद के सचिवालय में 8 मार्च, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 2024 मनाया गया, जिसका विषय था – "महिलाओं में निवेशः प्रगति में तेजी लाएं" इस अवसर पर परिषद के परिसर में प्रमुख स्थानों पर बैनर लगाए गए और सचिवालय के कर्मचारियों के लिए "समाज में महिला सशक्तिकरण" विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के एक भाग के रूप में कार्यालय द्वारा महिला कर्मचारियों के लिए आधे दिन का भ्रमण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

******

अध्याय–III

प्रेस की स्थिति

सरकार और प्रेस

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन प्रकाशित न करने की दी चेतावनी

सूचित किये जाने पर भी, कुछ अंग्रेजी और हिंदी अखबारों द्वारा सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन प्रकाशित करने के बाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 6 अप्रैल, 2023 को मीडिया संस्थाओं और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को ऐसी सामग्री प्रकाशित न करने के लिए नई चेतावनी जारी की।

मंत्रालय ने एक विशिष्ट सट्टेबाजी मंच द्वारा अपनी वेबसाइट जो प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम, 1957 का उल्लंघन लगता है, पर दर्शकों को एक खेल लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रचार पर भी आपत्ति जताई है।

(डेक्कन हेराल्ड, 7 अप्रैल, 2023, बेंगलुरु)

सरकार की तथ्य–जांच इकाई पत्रकारिता को सेंसर करने के लिए नहीं हैः मंत्री

सोशल मीडिया पर सरकार से संबंधित सामग्री की तथ्य–जांच करने के लिए केंद्र की आगामी इकाई "पत्रकारिता को सेंसर करने" के बारे में नहीं है और इसका रिपोर्टिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने 14 अप्रैल, 2023 को कहा।

एक ऑनलाइन चर्चा के दौरान, उन्होंने कहा कि यह "सच नहीं" है कि सरकार द्वारा नियुक्त इकाई, जिसका प्रेस स्वतंत्रता के समर्थक कड़ा विरोध करते हैं, का उद्देश्य 'पत्रकारिता को सेंसर करना' है।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 15 अप्रैल, 2023, नई दिल्ली)

भारत में प्रेस है स्वतंत्रः अमेरिका

"भारत में प्रेस है स्वतंत्र और यह वास्तव में काम करती है", अमेरिका ने कहा और लोकतंत्र का समर्थन करने में भारतीय पत्रकारों की भूमिका की सराहना की। यह दावा करते हुए, दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू ने यह भी कहा कि वे भारत में प्रेस की स्वतंत्रता का सम्मान करते है।

उन्होंने दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में लोकतंत्र का समर्थन करने में पत्रकारों की भूमिका की सराहना की।

'मुझे पता है कि मीडिया बाजार बदल रहा है। लेकिन भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे गुप्त रखा गया हो। भारत में लोकतंत्र इसलिए है क्योंकि यहां एक स्वतंत्र प्रेस है जो वास्तव में काम करती है,' लू ने वाशिंगटन में पीटीआई से कहा।

(संडे पायनियर, 23 अप्रैल, 2023, नई दिल्ली)

ई–सिगरेट का प्रचार न करें, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया से कहा

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 9 मई, 2023 को प्रिंट मीडिया, टीवी चैनलों, ओटीटी (ओवर–द–टॉप) प्लेटफॉर्मों और डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के खिलाफ चेतावनी दी। "स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ध्यान दिलाया है कि हाल ही में नई दिल्ली में एक प्रमुख मीडिया हाउस द्वारा आयोजित बिजनेस समिट में मंच का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को बढ़ावा देने के लिए किया गया।" आदेश में कहा गया। यह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम, 2019 की धारा 4 का उल्लंघन है, इसमें कहा गया है।

(द हिंदू, 10 मई, 2023, नई दिल्ली)

चीन में पत्रकारों की मौजूदगी को सुगम बनाएंः विदेश मंत्रालय

भारत ने 02 जून, 2023 को चीन से आग्रह किया कि वह द्विपक्षीय संबंधों में तेजी से आई गिरावट, जिसका विदेशी संवदाताओ की तैनाती पर प्रभाव पड़ा है, की पृष्ठभूमि में देश में काम कर रहे भारतीय पत्रकारों की मौजूदगी को सुगम बनाए।

चीनी विदेश मंत्रालय ने 31 मई, 2023 को कहा कि भारत में चीनी पत्रकारों की संख्या "लगभग शून्य होने वाली है" और भारतीय पत्रकारों के खिलाफ कुछ कदम इसलिए उठाए गए क्योंकि उनके चीनी समकक्षों को "भारत में अनुचित और भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा"।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक समाचार ब्रीफिंग में इस मामले के बारे में पूछे जाने पर कहा कि दोनों पक्ष मामले को सुलझाने के लिए संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि चीनी अधिकारी चीन से काम करने वाले और रिपोर्टिंग करने वाले भारतीय पत्रकारों की मौजूदगी को सुगम बनाएंगे। दोनों पक्ष संपर्क में बने रहेंगे।"

बागची ने कहा कि चीन के पत्रकारों सहित सभी विदेशी पत्रकार भारत में "रिपोर्टिंग या मीडिया कवरेज करने में किसी भी सीमा या कठिनाई के बिना" पत्रकारिता संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ा रहे हैं।

दूसरी ओर, उन्होंने कहा कि चीन में भारतीय पत्रकार "कुछ कठिनाइयों के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि स्थानीय लोगों को संवाददाता या पत्रकार के रूप में काम पर रखने की अनुमति नहीं है"। उन्होंने कहा कि उन्हें चीन में प्रवेश और यात्रा करते समय कई प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ता है।

"जैसा कि आप जानते हैं, विदेशी मीडिया भारत में अपने ब्यूरो के लिए काम करने के लिए स्थानीय पत्रकारों को स्वतंत्र रूप से काम पर रख सकता है और करता भी है"।

अप्रैल में, चीन ने बीजिंग में तैनात दो भारतीय पत्रकारों के वापस लौटने पर रोक लगा दी थी, जबकि वे गैर सरकारी दौरे पर भारत आए थे।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 3 जून, 2023, नई दिल्ली)

सरकारी विज्ञापन खर्च, कॉर्पोरेट ब्रांडिंग से बढ़ेगा प्रिंट मीडिया का राजस्व

6 जून, 2023 को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारों और कॉर्पोरेट्स द्वारा विज्ञापन पर अधिक खर्च किए जाने के कारण प्रिंट मीडिया की राजस्व वृद्धि वर्ष 24 में 15 प्रतिशत तक बनी रहेगी

महामारी के कारण वित्त वर्ष 21 में प्रिंट मीडिया का राजस्व 40 प्रतिशत तक कम हो गया था, लेकिन बाद में इसमें उछाल आया और यह 25 प्रतिशत (वित्त वर्ष 22) और 15 प्रतिशत (वित्त वर्ष 23) की दर से बढ़ा।

क्रिसिल ने कहा कि उसके अनुमान उन कंपनियों के विश्लेषण पर आधारित हैं, जिनकी वह रेटिंग करता है, जो सेक्टर की टॉपलाइन का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं।

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि कंपनियों का 70 प्रतिशत राजस्व विज्ञापन से आता है, जबकि शेष 30 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन से आता है।

एजेंसी ने कहा, "प्रमुख क्षेत्रों में कॉरपोरेट द्वारा विज्ञापन पर अधिक खर्च (विज्ञापन व्यय) और आगामी विधानसभा और आम चुनावों के मद्देनजर सरकारी विज्ञापन खर्च में वृद्धि से भारतीय प्रिंट मीडिया क्षेत्र का राजस्व इस वित्त वर्ष में 13–15 प्रतिशत बढ़कर 30,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।"

इसके निदेशक नवीन वैद्यनाथन ने कहा, "आगामी चुनावों के मद्देनजर सरकार द्वारा अधिक विज्ञापन खर्च, जो इस क्षेत्र के विज्ञापन राजस्व में पाँचवाँ हिस्सा योगदान देता है, विकास को बढ़ावा देगा।"

उन्होंने कहा कि इस वृद्धि से प्रिंट मीडिया का कुल राजस्व इस वित्त वर्ष के अंत में लगभग महामारी–पूर्व स्तर पर पहुँच जाएगा।

(द असम ट्रिब्यून, 12 जुलाई, 2023, गुवाहाटी)

नवंबर 2020 से अब तक पीआईबी की तथ्य–जांच इकाई को 28 हजार से ज्यादा 'कार्रवाई योग्य प्रश्न' हुए प्राप्त।

प्रेस सूचना ब्यूरो की तथ्य–जांच इकाई को नवंबर 2020 से अब तक 28,000 से ज्यादा "कार्रवाई योग्य प्रश्न" प्राप्त हुए जिनमें से सबसे ज्यादा प्रश्न वर्ष 2021 में प्राप्त हुए हैं, सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 22 जुलाई, 2023 को दिये गये लिखित उत्तर के अनुसार, वर्ष 2021 में इकाई को 15,412 कार्रवाई योग्य प्रश्न प्राप्त हुए, जबकि अगले वर्ष यह संख्या घटकर 8,107 रह गई।

वर्ष 2023 में 30 जून तक इकाई को 3,389 प्रश्न प्राप्त हुए। नवंबर और दिसंबर 2020 में इकाई को 1,472 कार्रवाई योग्य प्रश्न प्राप्त हुए।

एक महीने में सबसे अधिक प्रश्न अप्रैल 2021 में प्राप्त हुए, जब इकाई को 5,387 प्रश्न प्राप्त हुए, उसके बाद मई में यह संख्या (1,754) और जून में (1,540) रही।

(डेक्कन हेराल्ड, 24 जुलाई, 2023, बेंगलुरु)

तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के लिए पत्रकारिता के महत्व को समझाः पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2023 को कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता की मांग में बढ़ोतरी के लिए पत्रकारिता और समाचार पत्रों के महत्व को समझ लिया था।

वह लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद बोल रहे थे।

"तिलक ने स्वतंत्रता की मांग तेज करने के लिए पत्रकारिता और समाचार पत्रों के महत्व को समझ लिया था। उन्होंने अंग्रेजी में साप्ताहिक मराठा शुरू किया और एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी गोपाल गणेश अगरकर तथा विष्णु शास्त्री चिपलूनकर की मदद से उन्होंने मराठी दैनिक केसरी शुरू किया, मोदी ने कहा।

(द असम ट्रिब्यून, 2 अगस्त, 2023, गुवाहाटी)

पत्रकारों के लिए समुचित स्वास्थ्य सेवा न होने से चिंतित प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 नवंबर, 2023 को दीपावली मिलन के दौरान पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य सेवा तंत्र न होंने पर चिंता व्यक्त की।

इस अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, "पत्रकारों का भी राजनेताओं जैसा ही शेड्यूल होता है। उनका शेड्यूल बहुत व्यस्त होता है और उन्हें बहुत यात्राएं करनी पड़ती हैं। सोशल मीडिया ने इसमें और इजाफा किया है। मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि पत्रकारों को 40 की उम्र के बाद नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। मैंने देखा है कि 40 के बाद लोग स्वास्थ्य के मामले में ठीक नहीं रहते।

मेरा प्रस्ताव है कि पत्रकारों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए एक योजना बनाई जानी चाहिए। हम व्यापारिक घरानों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और ऐसी योजना बना सकते हैं जो पत्रकारों के लिए उपलब्ध रहे। यह आवश्यक है।"

पत्रकारों के काम जिसकी बहुत मांग है और उनके देर तक काम में लगे होने पर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी चिकित्सा नीति होनी चाहिए जो उनके लिए नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करे।

(द स्टेट्समैन, 18 नवंबर, 2023, नई दिल्ली)

लोकसभा ने समाचार पत्रों के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए विधेयक को दी मंजूरी

लोकसभा ने 21 दिसंबर, 2023 को प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण (पीआरपी) विधेयक, 2023 को विपक्ष के अधिकांश सदस्यों की अनुपस्थिति में ढाई घंटे की बहस के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक प्रेस रजिस्ट्रार के साथ समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाता है, पंजीकरण से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए एक अपीली बोर्ड स्थापित करता है, और एक अपराध को छोड़कर सभी अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटा देता है।

पीआरपी विधेयक प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की जगह लेगा, जिसके तहत समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों का सरकार के साथ पंजीकृत किया जाना आवश्यक था।

राज्यसभा ने 3 अगस्त को विधेयक पारित किया था।

पीआरपी विधेयक के तहत, कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी या गैरकानूनी क्रियाकलाप ख्जैसा कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत परिभाषित किया गया है, या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने का दोषी पाया जाता है, उसे कोई पत्रिका जारी करने की अनुमति नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय प्रेस महापंजीयक इच्छुक संस्थाओं से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के बाद पत्रिकाओं (जिसमें समाचार पत्र और पत्रिकाएँ शामिल हैं, लेकिन अकादमिक पत्रिकाएँ शामिल नहीं है) के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार होंगे।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 22 दिसंबर, 2023, नई दिल्ली)

हमारी सरकार सभी सही समाचार रिपोर्टों का लेती है संज्ञानः यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 फरवरी, 2024 को कहा कि उनकी सरकार मीडिया द्वारा प्रकाशित की गई सभी प्रामाणिक समाचार रिपोर्टों का संज्ञान लेती है, क्योंकि वे समाज के विचारों को सरकार तक पहुँचाते हैं।

यहां एक मीडिया घराने के 'संवाद' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आज हर खबर को सुझाव के रूप में लेती है और तथ्यों पर आधारित समाचार रिपोर्टों का संज्ञान लेती है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और तेजी से बढ़ते सोशल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को शामिल करते हुए मीडिया एक समृद्ध लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में खड़ा है, जो समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

(द स्टेट्समैन, 27 फरवरी, 2024, नई दिल्ली)

समाचार पत्रों के पंजीकरण के लिए लागू हुआ नया कानून

सरकार ने प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण अधिनियम (पीआरपी अधिनियम), 2023 और इसके नियमों को अपने राजपत्र में अधिसूचित किया है और इसके परिणामस्वरूप यह अधिनियम 1 मार्च से लागू हो गया है, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।

अब से पत्रिकाओं का पंजीकरण पीआरपी अधिनियम के प्रावधानों एंव प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण नियमों द्वारा शासित होगा।

अधिसूचना के अनुसार, भारतीय प्रेस महापंजीयक (पीआरजीआई) का कार्यालय भारत के समाचारपत्रों के पूर्व रजिस्ट्रार के कार्यों को पूरा करेगा।

नए अधिनियम में देश में समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली का प्रावधान है।

नई प्रणाली मौजूदा मैनुअल, बोझिल प्रक्रियाओं की जगह लेगी, जिसमें कई चरण और विभिन्न चरणों में अनुमोदन शामिल थे, जिससे प्रकाशकों को अनावश्यक कठिनाई हो रही थी, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।

पत्रिका के मुद्रक द्वारा सूचना, विदेशी पत्रिका के प्रतिकृति संस्करण के पंजीकरण के लिए आवेदन, पत्रिका के पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रकाशक द्वारा

आवेदन, पंजीकरण प्रमाण पत्र दोहराने के लिए आवेदन, पत्रिकाओं के स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन, पत्रिका के प्रकाशक द्वारा वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना और पत्रिका के प्रसार के सत्यापन के लिए डेस्क ऑडिट की प्रक्रिया सहित सभी आवेदन प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।

(मिलेनियम पोस्ट, 3 मार्च, 2024, दिल्ली)

आईएनएस ने केंद्र से न्यूजप्रिंट पर 5% सीमा शुल्क हटाने का किया आग्रह

इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी (आईएनएस) ने केंद्र सरकार से न्यूजप्रिंट पर 5% सीमा शुल्क हटाने का अनुरोध किया है, क्योंकि वैश्विक भू–राजनीतिक अनिश्चितताओं, गणना संबंधी जटिलताओं और भारतीय रुपये का मोल घटने सहित कई कारकों से प्रकाशकों पर पड़ने वाला बोझ बढ़ गया है।

आईएनएस ने यह भी कहा कि भारत और दुनिया भर में कई न्यूजप्रिंट मिलों ने या तो अपना कार्य रोक दिया है या बंद कर दिया है, जिससे भारत में न्यूजप्रिंट की आपूर्ति को लेकर चिंता हो गई हैं।

(हिंदुस्तान टाइम्स, 6 मार्च, 2024, दिल्ली)

लोकसभा चुनाव कवर करने वाले पत्रकारों के लिए सुरक्षा गाइड की गई लॉन्च

कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) ने द हिंदू के साथ मिलकर 8 मार्च, 2024 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में "भारतीय चुनाव 2024 को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए सुरक्षा गाइड" लॉन्च की।

इस गाइड में शत्रुतापूर्ण समाचार कवरेज के लिए स्टाफ तैनात करते समय संपादक की सुरक्षा चेकलिस्ट और डिजिटल सुरक्षा पर विस्तृत जानकारी सहित विशेष सलाह दी गई है। इसमें ऑनलाइन अभियानों से निपटने के तरीके बताए गए हैं, जो विशेष रूप से महिला पत्रकारों को एक सुनियोजित तरीके से लक्षित करते हैं, न्यूजरूम में तनाव का प्रबंधन करते हैं और भारतीय पत्रकारों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हैं।

CPJ के भारतीय प्रतिनिधि कुणाल मजूमदार ने कहा कि गाइड, जिसमें चुनावों की तैयारी करने और शारीरिक, डिजिटल तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में विवरण दिया गया हैं, चार क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में https://cpj-org पर उपलब्ध है।

(द हिंदू, 9 मार्च, 2024, चेन्नई)

ठाकुर ने लॉन्च किया SHABD; आकाशवाणी, डीडी न्यूज की पुनर्निर्मित वेबसाइटें

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 13 मार्च, 2024 को प्रसार भारती की ओर से समाचार साझा करने वाली सेवा PB – SHABD का शुभारंभ किया, जिसके तहत समाचार संगठनों के साथ टेक्स्ट समाचार, स्वच्छ वीडियो फीड और तस्वीरें साझा की जा सकेंगी।

प्रसारण और प्रसार के लिए पीबी–साझा ऑडियो विजुअल PB – SHABD एक पहले वर्ष के लिए प्रारंभीत ऑफर के रूप में निःशुल्क सेवा है और यह पचास श्रेणियों में सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में समाचार उपलब्ध कराएगी।

मंत्री ने डीडी न्यूज और आकाशवाणी न्यूज की पुनर्निर्मित वेबसाइटें और एक नए रूप में न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया।

(द एशियन एज, 14 मार्च, 2024, दिल्ली)

लोकसभा चुनाव में मीडिया कर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा

जिला निर्वाचन अधिकारी विजया जाधव ने घोषणा की है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान, भारत चुनाव आयोग द्वारा मीडिया कर्मियों को 'आवश्यक श्रेणी' में रखा गया है। इस प्रावधान के तहत चुनाव कवरेज के लिए जारी 'प्राधिकार पत्र' रखने वाले मीडिया कर्मी पोस्टल बैलेट के जरिए अपने वोट डाल सकेंगे।

इस पहल का उद्देश्य मीडिया कर्मियों को उनके मताधिकार का प्रयोग करने में सुविधा प्रदान करना और विकेंद्रीकृत (decentralized) मतदान के तरीके से चुनावी प्रक्रिया में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सुनिश्चित करना है।

(द पायनियर, 29 मार्च, 2024, रांची)

आधुनिक मीडिया परिदृश्य के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चार परिवर्तनकारी पोर्टल लॉन्च किए, जिनमें भारत में मीडिया परिदृश्य में क्रांति लाने का वादा किया गया हैं। इन पोर्टल में प्रेस सेवा पोर्टल, नैविगेट भारत पोर्टल और लोकल केबल ऑपरेटरों के लिए राष्ट्रीय रजिस्टर शामिल हैं। इस प्रकार की पहल का उद्देश्य समाचार पत्र प्रकाशकों और टीवी चौनलों के लिए अधिक अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देकर व्यापार में आसानी सुनिश्चित करना, सरकारी पत्रव्यवहार में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना, प्रामाणिक सरकारी वीडियो तक पहुँच आसान करना और लोकल केबल ऑपरेटरों का एक व्यापक डेटाबेस बनाना

है, जिससे सरकार केबल टेलीविजन क्षेत्र में नियामक प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बना सके।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 27 फरवरी, 2024, नई दिल्ली)

प्रेस और जन साधारण

प्रिंट मीडिया विज्ञापन राजस्व 2023 में 4% बढ़ा

डिजिटल मीडिया संभवतया 2024 में मीडिया और मनोरंजन (M&E) क्षेत्र में अग्रणी के रूप में टेलीविजन को पीछे छोड़ देगा, जिसका अनुमान 75,100 करोड़ रुपये है, यह बात उद्योग निकाय FICCI (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) और EY की 5 मार्च, 2024 को जारी एक संयुक्त रिपोर्ट में कही गई है। इसमें कहा गया है कि भारतीय मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2023 में 8.1 प्रतिशत बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इसके 2.55 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने और 2026 तक 3 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने की उम्मीद है।

(हंस इंडिया, 6 मार्च, 2024, हैदराबाद)

मीडिया कल्याण

गृह मंत्रालय पत्रकारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) करेगा तैयार

मीडियाकर्मी बनकर आए तीन हमलावरों के गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या करने के एक दम बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निदेश पर गृह मंत्रालय ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का फैसला किया है, सूत्रों से पता चला है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय पत्रकारों की सुरक्षा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा।

(द असम ट्रिब्यून, 17 अप्रैल, 2023, गुवाहाटी)

पत्रकारों के कल्याण के लिए लॉन्च किया गया पोर्टल

हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने 26 अप्रैल, 2023 को मीडिया वेल बींग एसोसिएशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में मीडिया वेल बींग (एमडब्ल्यूबी) पोर्टल लॉन्च किया।

गुप्ता ने राज्य के 75 पत्रकारों को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी भी वितरित की और मीडिया वेलबींग एसोसिएशन को अपने स्वैच्छिक कोष से 11 लाख रुपये की राशि देने की भी घोषणा की।

(द ट्रिब्यून, 26 अप्रैल, 2023, गुरुग्राम)

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के लिए होगा समिति का गठनः मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7 सितंबर, 2023 को कहा कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के प्रयासों के तहत एक समिति गठित की जाएगी।

भोपाल में पत्रकार समागम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुराने ध्वस्त भवन के स्थान पर एक नया पत्रकार भवन बनाया जाएगा। इसे 'राज्य मीडिया सेंटर' कहा जाएगा और इसमें एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर, लाइब्रेरी और कैंटीन होगी।

चौहान ने कहा, 'राज्य के पत्रकार सुरक्षा अधिनियम को तैयार करने की संस्तुतियों के लिए वरिष्ठ पत्रकारों की एक समिति गठित की जाएगी।'

उन्होंने यह भी कहा कि 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पत्रकारों को दिए जाने वाले मानदेय को मौजूदा 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाएगा, जबकि पत्रकार की मृत्यु होने पर उनके जीवनसाथी को 8 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

उन्होंने कहा, "मान्यता प्राप्त पत्रकार अपने गृह निर्माण के लिए वर्तमान में 25 लाख रुपये के बजाय 30 लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं।"

(हिंदुस्तान टाइम्स, 8 सितंबर, 2023, नई दिल्ली)

पत्रकारों की पेंशन, मीडिया फेलोशिप योजनाओं को फिर से लागू करने का सरकार से आग्रह

जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय (डीआईपीआरओ), तिनसुकिया ने 19 जनवरी, 2024 को तिनसुकिया जिला परिषद कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में जिले के मान्यता प्राप्त पत्रकारों के बीच मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा भेजे गए सद्भावना उपहार वितरित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया।

सभा को संबोधित करते हुए तिनसुकिया जिला पत्रकार संघ (टीडीजेए) के अध्यक्ष डॉ. ऋषि दास ने सरकार से मीडिया फेलोशिप योजनाओं को फिर से शुरू करने का आग्रह किया। ये योजनाएं पिछले दो सालों से बंद हैं।

(द असम ट्रिब्यून, 20 जनवरी, 2024, गुवाहाटी)

मीडिया पर हमला

पत्रकार की गैर कानूनी हिरासत पर बंगाल पुलिस प्रमुख को भेजा गया नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख को एक शिकायत को लेकर नोटिस भेजा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि संदेशखली मुद्दे को कवर करने वाले एक पत्रकार को "गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था", अधिकारियों ने 20 फरवरी, 2024 को कहा।

एनएचआरसी ने एक बयान में कहा कि आरोपों में मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का भी गंभीर मुद्दा उठाया गया है।

(द पायनियर, 21 फरवरी, 2024, भोपाल)

न्यायालय और प्रेस

न्यायाधीश विचाराधीन मुद्दों पर मीडिया से बात नहीं कर सकतेः सुप्रीम कोर्ट

यह देखते हुए कि न्यायाधीशों को लंबित मामलों पर साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल, 2023 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से चार दिनों के भीतर एक रिपोर्ट मांगी कि क्या न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए रिश्वत के मामले के बारे में एक समाचार चैनल को साक्षात्कार दिया था। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश तब आया जब मामले की सुनवाई के दौरान टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने टीवी चौनल एबीपी आनंदा में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के साक्षात्कार के खिलाफ शिकायत की।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा के साथ पीठ साझा करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा मामले के बारे में एक समाचार चैनल को दिए गए कथित साक्षात्कार पर कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा, "मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि न्यायाधीशों को लंबित मामलों पर साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है।"

"मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि न्यायाधीशों को लंबित मामलों पर साक्षात्कार देने का कोई अधिकार नहीं है।" अगर उन्होंने याचिकाकर्ता के बारे में ऐसा कहा है, तो उन्हें कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है।

सवाल यह है कि क्या एक न्यायाधीश जिसने एक राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में इस तरह के बयान दिए हैं, उन्हें सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

"इसके लिए प्रक्रिया होनी चाहिए" सीजेआई ने टिप्पणी की। सीजेआई ने कहा कि न्यायाधीश को खुद को अलग करते हुए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक और पीठ स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए था।

(द पायनियर, 25 अप्रैल, 2023, नई दिल्ली)

पत्रकारों का विशेष दर्जा उन्हें अनुचित श्रम अधिनियम से रखता है अलगः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र ट्रेड यूनियनों की मान्यता और अनुचित श्रम व्यवहार निवारण अधिनियम के तहत श्रमजीवी पत्रकारों को कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। 29 फरवरी को अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि अपने अद्वितीय स्टेटस के कारण, पत्रकार औद्योगिक अदालत में इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं।

वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट के तहत पत्रकारों को दिए गए विशेष विशेषाधिकारों को बरकरार रखते हुए, हाईकोर्ट ने कहा कि विवादों का निपटारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग जर्नलिस्ट्स एक्ट में विवाद समाधान के लिए तंत्र की रूपरेखा पहले से ही दी गई है।

(मिलेनियम पोस्ट, 7 मार्च, 2024, दिल्ली)

पुरस्कार और नियुक्ति

चार वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित

मोरीगांव सांबादिक समाज द्वारा चार वरिष्ठ पत्रकारों को ऐतिहासिक बिहुटोली मैदान में "बसंत उत्सव" के अवसर पर सम्मानित किया गया। साथ ही इस अवसर पर जिले के राष्ट्रीय एवं जातीय नेताओं सहित 100 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का स्वागत भी किया गया।

चार वरिष्ठ पत्रकारों डॉ. नबाकांत बोरदोलोई, उपेन डेका, महेंद्र नाथ हजारिका और बुबू मोनी गोस्वामी को मोरीगांव सांबादिक समाज द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अभिनंदन कार्यक्रम का संचालन 'बसंत उत्सव' समिति के अध्यक्ष अजीत सरमा ने किया।

(द सेंटिनल, 4 मई, 2023, गुवाहाटी)

वरिष्ठ पत्रकार सम्मानित

वयोवृद्ध पत्रकार, संपादक एवं प्रेस क्लब ऑफ करीमगंज के पूर्व अध्यक्ष सतु रॉय को दिनांक 16 मई, 2023 को बिपिन चंद्र पॉल स्मृति भवन में प्रेस क्लब द्वारा सम्मानित किया गया। क्लब के सदस्यों ने रॉय को गमोसा, सेलेंग सडोर, सरई और एक अभिनंदन पत्र से सम्मानित किया। इस संबंध में प्रेस क्लब के अध्यक्ष मिहिर देबनाथ की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार बिवाश बर्धन, अरूप रॉय, जूली दास, हीरक दास, अरूप रतन चक्रवर्ती, प्रबीर भट्टाचार्य और महताबुर रहमान उपस्थित थे।

(द असम ट्रिब्यून, 21 मई, 2023, गुवाहाटी)

अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पत्रकार पुरस्कार हेतु चुने गए 3 पत्रकारों में टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्टर भी

जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कोयला और ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर रिपोर्ट करने वाली मेनका बहल को कवरिंग क्लाइमेट नाउ द्वारा दो अन्य पत्रकारों समेत 2023 की अंतरराष्ट्रीय जलवायु पत्रकार के तौर पर चुना गया है। अन्य दो पत्रकार द गार्जियन के डेमियन कैरिंगटन और क्रिटिकल फरीक्वेंसी पॉडकास्ट नेटवर्क की संस्थापक एमी वेस्टरवेल्ट हैं।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 19 सितंबर, 2023, नई दिल्ली)

डॉ. अबू हनीफा स्मृति पुरस्कार दिए गए

नागांव स्थित हैबरगांव प्रेस क्लब ने दिनांक 16 नवंबर, 2023 को दिन भर चले आयोजन में नागांव एडीपी कॉलेज सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया ।

हैबरगांव प्रेस क्लब ने वरिष्ठ पत्रकार सभाराम मजूमदार एवं कनक हजारिका को प्रसिद्ध लेखक लेफ्टिनेंट डॉ. अबू हनीफा स्मृति पुरस्कार प्रदान किया ।

(द असम ट्रिब्यून, 19 नवंबर, 2023, गुवाहाटी)

एक्सप्रेस के पत्रकारों ने 2 श्रेणियों में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक अवार्ड्स जीते

इंडियन एक्सप्रेस ने दिनांक 2 दिसंबर, 2023 को मुंबई में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक अवार्ड्स के अंतर्गत दो श्रेणियों में पुरस्कार जीते।

द इंडियन एक्सप्रेस में कंसल्टिंग एडिटर नीरजा चौधरी को ''लाइफटाइम अचीवमेंट'' पुरस्कार दिया गया, जबकि वरिष्ठ सहायक संपादक मिहिर वासवदा को भारत से खाड़ी देशों में गए प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा पर उनकी ख़बर के लिए खेल (प्रिंट) श्रेणी में पुरस्कार मिला। यह ख़बर ऐसे मजदूरों पर थी जिन्होंने कतर विश्व कप से संबंधित परियोजनाओं के लिए खाड़ी का रुख़ किया लेकिन वहां उनका निधन हो गया और उनके परिवारों को मुआवजा भी नहीं मिला।

जर्नलिस्ट ऑफ द इयर का पुरस्कार संयुक्त रूप से द न्यूज मिनट की प्रधान संपादक और संस्थापक धन्या राजेंद्रन और स्वतंत्र पत्रकार शरद व्यास को दिया गया । सभी श्रेणियों और अलग–अलग फॉर्मेट में 25 पुरस्कार प्रदान किए गए।

मुख्य अतिथि और स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिख ने यह पुरस्कार प्रदान किए। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में काम के लिए पारिख को उनके 100वें वर्ष के पड़ाव पर सम्मानित किया गया ।

(द संडे एक्सप्रेस, 3 दिसंबर 2023, नई दिल्ली)

दिल्ली में कल्याण बरुआ पुरस्कार प्रदान किया गया

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिनांक 11 दिसंबर, 2023 को पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण काम के लिए द असम ट्रिब्यून के नई दिल्ली के पूर्व संवाददाता दिवंगत कल्याण बरुआ की प्रशंसा की।

माई होम इंडिया और नॉर्थ ईस्ट मीडिया फोरम (एनईएमएफ) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र को प्रोत्साहन देने एवं प्रमुखता से पेश करने में असाधारण योगदान के लिए पांच पत्रकारों को सम्मानित किया गया।

जिन लोगों को कल्याण बरुआ पुरस्कार प्रदान किया गया उनमें ''प्रिंट मीडिया'' श्रेणी में रंजू दोदुम (अरुणाचल प्रदेश), 'इलेक्ट्रॉनिक मीडिया' श्रेणी में पार्थ ज्योति बोरा (असम), 'फोटोग्राफी' के लिए गीतिका तालुकदार (असम), 'फ्रीलांस वीडियोग्राफी' के लिए बिनोद तमांग (सिक्किम) और ''लाइफटाइम अचीवमेंट'' के लिए दीपक दीवान शामिल हैं।

(द असम ट्रिब्यून, 12 दिसंबर, 2023, गुवाहाटी)

वरिष्ठ आईएएस संजय जाजू ने बतौर सूचना एवं प्रसारण सचिव पदभार संभाला

तेलंगाना कैडर के 1992 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी संजय जाजू ने दिनांक 5 फरवरी, 2024 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री जाजू ने इससे पहले 2018 से 2023 तक भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव और अक्तूबर 2014 से मार्च 2018 तक राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के निदेशक के तौर पर कार्य किया है । उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव के रूप में भी कार्य किया है ।

(द हिंदू, 6 फरवरी, 2024, नई दिल्ली)

लातूर के लेखक को डॉ. पंजाबराव देशमुख पुरस्कार की घोषणा

लातूर के प्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं पर्यावरण विशेषज्ञ अतुल देउलगांवकर को राज्य सरकार की ओर से प्रतिष्ठित 'डॉ. पंजाबराव देशमुख पुरस्कार' मिलेगा । इस पुरस्कार की घोषणा दिनांक 10 फरवरी, 2024 को उनके काम, विशेषकर उनकी पुस्तक ''पृथ्वीचा अक्ख्यान'' को सम्मान स्वरूप की गई थी ।

(द फ्री प्रेस जर्नल, फरवरी 11, 2024, मुंबई)

श्रद्धांजलि

- वरिष्ठ पत्रकार पुष्प पॉल सिंह का हृदयगति रुकने से दिनांक 16 अप्रैल, 2023 को निधन हो गया । उन्होंने त्रिपुरा में द *टाइम्स ऑफ इंडिया* के साथ पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत की थी और 30 वर्षों से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे । वरिष्ठ पत्रकार सिंह ने *इकोनॉमिक टाइम्स और बीबीसी* के लिए भी काम किया । उत्तर पूर्व क्षेत्र की मीडिया बिरादरी ने इस नामी पत्रकार की मौत पर शोक प्रकट किया । पत्रकारिता के क्षेत्र में पुष्प पाल सिंह का योगदान, विशेषकर पूर्वोत्तर के मसलों को कवर करने के मामले में, बहुत बड़ा था।

(द एशियन एज, 18 अप्रैल, 2023, नई दिल्ली)

- दिनांक 7 जून, 2024 की शाम को शहर के एक अस्पताल में वयोवृद्ध पत्रकार मनमोहन का निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे । मनमोहन ने द स्टेट्समैन, द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया समेत विभिन्न अंग्रेजी अखबारों के लिए काम किया। उन्हें खोजी पत्रकारिता में विशेषज्ञता हासिल थी और उन्होंने नवभारत टाइम्स के रोविंग संपादक के तौर पर भी काम किया था।

(द स्टेट्समैन, 8 जून, 2023, नई दिल्ली)

- दिल्ली में ब्यूरो प्रमुख और कूटनीतिक संपादक जैसे पदों समेत तीन दशकों तक टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े सुभाष चक्रवर्ती का दिनांक 23 जून, 2024 को सुबह सुबह निधन हो गया । वह 90 से अधिक आयु के थे । उनके साथ काम करने एवं मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले अनेक पत्रकारों ने 'दादा'(जिस नाम से वे हर तरफ जाने जाते थे) को एक ऐसे उत्कृष्ट रिपोर्टर के तौर पर याद किया जिसके गहरे संबंध राजनीतिक और कॉर्पोरेट वर्ग के बीच समान रूप से थे ।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 24 जून 2023, नई दिल्ली)

- तिनसुकिया जिले के वरिष्ठ पत्रकार और हूनलाल हायर सेकेंडरी स्कूल, डूमडूमा के सेवानिवृत्त शिक्षक पवन दत्ता ने दिनांक 24 जून, 2023 को रूपाई साइडिंग टॉप–उबोन में अपने निवास स्थान पर अंतिम सांस ली । दत्ता ने साल 1979 में बतौर पत्रकार तिनसुकिया से प्रकाशित एक असमिया साप्ताहिक, पूर्वांचल बटोरी के स्थानीय संवाददाता के तौर पर अपना करियर शुरू किया । बाद में उन्होंने असमिया दैनिक नतुन दैनिक, अजिर बटोरी और अमर असोम में डूमडूमा संवाददाता के रूप में काम किया ।

(द असम ट्रिब्यून, 25 जून 2023, गुवाहाटी)

- प्रसिद्ध पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, लेखक एवं कार्यकर्ता अच्युत याग्निक का दिनांक 4 अगस्त, 2023 को अहमदाबाद में हृदयगति रुकने से निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। 10 वर्षों तक प्रसिद्ध गुजराती दैनिक गुजरात समाचार के लिए काम करने वाले याग्निक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे । उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में भी योगदान दिया। वह सूरत स्थित सेंटर फॉर सोशल स्टडीज की पत्रिका अर्थात के पहले संपादक थे ।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 5 अगस्त 2023, नई दिल्ली)

- प्रसिद्ध प्रकाशक, शिक्षाविद् और "द पायनियर" के मुद्रक एवं प्रकाशक नरेंद्र कुमार (85) का दिनांक 10 अगस्त, 2023 को निधन हो गया । वह भारतीय प्रकाशक संघ के अध्यक्ष और हर आनंद प्रकाशन के भारतीय अध्यक्ष थे, जो कि पिछले 60 वर्षों से सैकड़ों प्रसिद्ध पुस्तकों के प्रकाशन में संलग्न रहा है।

(द पायनियर, 11 अगस्त 2023, नई दिल्ली)

- 80 के दशक की शुरुआत से *इंडिया टुडे* और *द टाइम्स* ऑफ इंडिया के लिए एक राजनीतिक कार्टूनिस्ट के रूप में काम करते हुए निनान ने किसी भी राजनीतिक हस्ती को नहीं बख्शा। 1990 के दशक में *द इंडियन एक्सप्रेस* के साथ भी काम कर चुके निनान का मैसूर में दिनांक 8 सितंबर, 2023 को 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी एलिजाबेथ और दो बेटियां संयुक्ता और अपराजिता हैं।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 9 सितंबर, 2023, नई दिल्ली)

- असम के अनुभवी पत्रकार अनिल बरुआ का दिनांक 28 नवंबर, 2023 को शहर स्थित एक अस्पताल में निधन हो गया, जहां उन्हें हृदय संबंधी समस्याओं के कारण भर्ती कराया गया था । वह दैनिक असम के पूर्व संपादक थे । 1939 में पूर्वी असम के डेरागांव में जन्मे बरुआ एक अन्य असमिया दैनिक *"दैनिक जन्मभूमि"* के लिए भी काम करते थे । वह 1966 में उप–संपादक के रूप में *"दैनिक असम"* में शामिल हुए और 2001 में बतौर इस अखबार के संपादक सेवानिवृत्त हुए । बरुआ को राज्य सरकार के गणतंत्र दिवस पत्रकारिता पुरस्कार 2022 समेत अनेक पुरस्कार मिले ।

(द स्टेट्समैन, 30 नवंबर, 2023, नई दिल्ली)

- वयोवृद्ध पत्रकार जादू काकाती का बढ़ती उम्र से जुड़ी बीमारियों के चलते दिनांक 5 जनवरी, 2024 को तड़के गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच) में

निधन हो गया । वह 92 वर्ष के थे । काकाती का पत्रकारिता करियर कई दशकों तक चला। इस दौरान उन्होंने विशेष तौर पर राज्य के सामाजिक–राजनीतिक विकास पर अंतर्दृष्टिपूर्ण लेखन कर अपना योगदान दिया ।

(द असम ट्रिब्यून, 6 जनवरी, 2024, गुवाहाटी)

- वयोवृद्ध पत्रकार एवं त्रिपुरा के पहले दैनिक 'जागरण' के संपादक परितोष विश्वास का लंबी बीमारी के बाद दिनांक 23 फरवरी, 2024 को उनके आवास पर निधन हो गया। 1981 में वे 'जागरण' के संपादक बने और अंतिम सांस तक इस पद पर बने रहे। 'जागरण' की शुरुआत अक्तूबर 1954 में त्रिपुरा से प्रकाशित एक बंगाली दैनिक के रूप में हुई थी ।

(द सेंटिनल, 25 फरवरी 2024, गुवाहाटी)

- वरिष्ठ पत्रकार और मुंबई में *द हिंदू* के ब्यूरो के पूर्व प्रमुख सतीश नंदगांवकर का दिनांक 28 फरवरी, 2024 को निधन हो गया। नंदगांवकर का करियर व्यापक था, पत्रकारिता के अलावा वह मुंबई की सबसे पुरानी फिल्म सोसायटी एवं फिल्म फेस्टिवल थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल से जुड़े थे जो अब भी अस्तित्व में है । नंदगांवकर मीडिया फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सह–संस्थापक भी थे ।

(द हिंदू, 29 फरवरी 2024, दिल्ली)

- वयोवृद्ध पत्रकार एनवीआर स्वामी, जो चार दशकों तक प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ थे, का दिनांक 28 फरवरी, 2024 को निधन हो गया । स्वामी (85) को हैदराबाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था । पीटीआई में अपनी लंबी पारी के बाद स्वामी ने अफ्रीका में थॉमसन पब्लिकेशन के साथ काम किया । वह 2002 से ऑकलैंड में रह रहे थे ।

(तेलंगाना टुडे, 29 फरवरी 2024, हैदराबाद)

सोशल मीडिया

मणिपुर पुलिस ने फर्जी खबरों पर नकेल कसी

जातीय संघर्ष से ग्रस्त राज्य मणिपुर में सामान्य स्थिति बहाल करने और हिंसा की घटनाएं खत्म करने के लिए प्रयासों में जुटी मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाहें और फर्जी ख़बरें प्रसारित करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज करना शुरू कर दिया है। घटनाक्रम से परिचित अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

दिनांक 29 जुलाई, 2023 को अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में मणिपुर पुलिस ने चुराचांदपुर में कुकी संगठनों के प्रधान समूह इंडिजेनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) के प्रवक्ता और नेताओं के खिलाफ एक फर्जी ख़बर प्रसारित करने के लिए मामला दर्ज किया । इस फर्जी ख़बर में कहा गया था कि हाल ही में शुरू हुई मालगाड़ी सेवा द्वारा कथित तौर पर हथियार और गोला–बारूद राज्य में लाए जा रहे हैं।

यह घटनाक्रम पिछले सप्ताह राज्य के मुख्य सचिव विनीत जोशी के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के कार्यालय को लिखे पत्र के बाद हुआ है। इस पत्र में आरोप लगाया गया था कि कुछ नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) और गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) मणिपुर की जातीय झड़पों से जुड़ी गलत और असत्यापित जानकारी जारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा देखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि ऐसी अफवाहें और फर्जी रिपोर्टें 'शांति बहाली प्रक्रिया में बाधा डाल रही हैं।'

पुलिस अधिकारियों ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने एक बैठक की जिसमें दो दिन में अफवाहों से निपटने का फैसला लिया गया। एक मध्य स्तर के पुलिस अधिकारी ने बताया कि निर्णय के मुताबिक 'पहला लक्ष्य सोशल मीडिया पर अफवाहों का सक्रियता से मुकाबला करना है और दूसरा अगर लोग जानबूझकर शांति भंग करने के लिए अफवाहें फैला रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करना है।'

(हिन्दुस्तान टाइम्स, 31 जुलाई, 2023, नई दिल्ली)

विश्व मीडिया और भारतीय प्रेस

अमेरिकी पत्रकार को जमानत से अदालत का इनकार

एक रूसी अदालत ने दिनांक 18 अप्रैल, 2023 को दिए अपने फैसले में अमेरिकी रिपोर्टर इवान गर्शकोविच को जमानत देने से इनकार कर दिया । गर्शकोविच को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसके लिए उन्हें 20 साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

जासूसी के आरोप में अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है, गर्शकोविच को मॉस्को की लेफोर्टोवो जेल में रखा जा रहा है । क्रेमलिन का कहना है कि उसे 'रंगे हाथों' पकड़ा गया था, हालांकि क्रेमलिन ने इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया है ।

गर्शकोविच के जासूसी में शामिल होने की बात से उनके रोजगार प्रदाता वॉल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिकी सरकार ने इनकार किया है और उनकी रिहाई की मांग की है ।

(हिन्दुस्तान टाइम्स, 19 अप्रैल, 2023, नई दिल्ली)

अमेरिका का पत्रकारों को वीजा से इनकार, रूस हुआ नाराज

रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की यात्रा पर उनके साथ जाने वाले रूसी पत्रकारों को अमेरिकी वीजा देने से इनकार किए जाने पर दिनांक 23 अप्रैल, 2023 को कहा कि मॉस्को वाशिंगटन को 'माफ नहीं करेगा'।

(द हिंदू, 24 अप्रैल, 2023, दिल्ली)

सरकार की शिकायतों के बाद हांगकांग के अखबार ने वोंग केई–क्वान को न छापने का निर्णय लिया

हांगकांग के एक अखबार ने दिनांक 11 मई, 2023 को घोषणा की कि वह सरकार की शिकायतों के बाद शहर के सबसे प्रमुख राजनीतिक कार्टूनिस्ट की कृतियों का प्रकाशन नहीं करेगा। बीजिंग द्वारा चलाई जा रही कार्रवाई के बाद यह ख़बर स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने एवं मीडिया पर प्रतिबंध का एक और उदाहरण है।

चीनी भाषा के अखबार मिंग पाओ ने यह नहीं बताया कि वह 7 मई, 2023 से वोंग केई–क्वान के साथ अपनी 40 साल की साझेदारी को समाप्त क्यों कर रहा है । वोंग, जिन्हें जुन्जी उपनाम से जाना जाता है, ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि आपसी परामर्श के जरिए यह फैसला लिया गया।

साल 2019 में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के बाद बीजिंग ने एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है, लिहाजा शहर के कला और मीडिया समुदायों ने कला एवं अन्य सामग्री के सृजन में ख़तरे की अस्पष्ट रेखाएं पार करने में सावधानी बरतना सीख लिया है, क्योंकि ऐसी कला सामग्री को कम्युनिस्ट पार्टी के दबदबे को चुनौती देने वाला माना जा सकता है। अधिकारियों ने आलोचनात्मक आवाजों के खिलाफ औपनिवेशिक युग वाले कानून का भी तेजी से उपयोग किया है ।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 12 मई, 2023, नई दिल्ली)

9 मई के हमले उकसाने के आरोप में दो पाक पत्रकारों पर मामला दर्ज

पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दिनांक 9 मई को देश में भड़की हिंसा में तथाकथित संलिप्तता के लिए पाकिस्तान पुलिस ने दो पत्रकारों पर देशद्रोह एवं आतंकवाद के आरोप में मामला दर्ज किया । दिनांक 15 जून, 2023 को एक मीडिया रिपोर्ट में यह बताया गया। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आबपारा पुलिस

स्टेशन ने हिंसा के एक माह से अधिक समय बाद एंकर साबिर शाकिर एवं मोईद पीरजादा के साथ एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया।

एफआईआर में दावा किया गया है कि दिनांक 9 मई को शिकायतकर्ता मेलोडी चौक पर मौजूद था, जहां एक गुस्साई भीड़ ने शाकिर पीरजादा और सैयद अकबर हुसैन से वीडियो संदेशों के जरिए निर्देश लेकर संपत्ति में तोड़फोड़ की थी । शिकायतकर्ता ने दावा किया कि एफआईआर में लिखित व्यक्तियों ने लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाया और उन्हें सशस्त्र बल प्रतिष्ठानों पर हमला करने, आतंक फैलाने, विद्रोह भड़काने और देश में अराजकता पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस घटना के बाद वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने पाकिस्तान से आग्रह किया कि वह 'बिना विश्वसनीयता वाली इस शिकायत में विद्रोह जैसे हास्यास्पद आरोपों' को तुरंत खारिज करे, जिन आरोपों को एक व्यक्ति ने संघीय राजधानी में दो पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल किया है।

(द पायनियर, 16 जून, 2023, नई दिल्ली)

कनाडा ने मीडिया बिल को दी हरी झंडी, एफबी ने न्यूज सुविधा समाप्ति की घोषणा की

मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने कनाडा में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर समाचारों की पहुंच को समाप्त करने की योजना बनाई है। कनाडा में इंटरनेट की दिग्गज कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार संबंधी सामग्री के प्रकाशन के लिए समाचार प्रकाशकों को भुगतान करने की अनिवार्यता वाला संसद से पारित क़ानून एक बार लागू होने पर यह फैसला अमल में लाया जाएगा। यह जानकारी कंपनी ने दिनांक 22 जून, 2023 को दी। ऑनलाइन न्यूज अधिनियम नाम के इस विधेयक को सीनेट के ऊपरी सदन ने दिनांक 22 जून, 2023 को पहले ही मंजूरी दे दी थी और गवर्नर जनरल से शाही रजामंदी मिलने के बाद इसका क़ानून बनना एक औपचारिकता भर है ।

यह क़ानून कनाडा के मीडिया समुदाय की शिकायतों के बाद प्रस्तावित किया गया था। यहां मीडिया समुदाय तकनीकी कंपनियों का सख्त विनियमन चाहता है ताकि उन्हें समाचार व्यवसायों को ऑनलाइन विज्ञापन बाजार से बाहर करने से रोका जा सके ।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 24 जून, 2023, नई दिल्ली)

फ्रांसीसी पत्रकार अति–दक्षिणपंथी संपादक को रोकने में नाकाम, हड़ताल वापस ली

फ्रांस के प्रमुख संडे अख़बार के पत्रकारों ने दिनांक 1 अगस्त, 2023 को घोषणा की कि वे देश के हालिया इतिहास में सबसे लंबी मीडिया हड़ताल में से एक को समाप्त कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने भविष्यवाणी की कि एक अति–दक्षिणपंथी ट्रैक रिकॉर्ड वाले संपादक की प्रधान संपादक के तौर पर नियुक्ति के विरोध में दर्जनों पत्रकार इस्तीफा दे सकते हैं।

सरकारी नेताओं के साक्षात्कार और मोटे तौर पर मध्यमार्गी नीतियों के विश्लेषण के बारे में जानने वाले *ले जर्नल ड्यू डिमांचे* के कर्मचारियों ने कहा कि यह स्पष्ट हो जाने के बाद कि जल्द ही अखबार के नए मालिक बनने वाले फ्रांसीसी अरबपति विंसेंट बोलोर इस संपादक की इस नियुक्ति को वापस नहीं लेंगे, उन्होंने 40 दिन के वॉकआउट को ख़त्म करने का निर्णय लिया है। कर्मचारियों ने कहा कि नए नेतृत्व के साथ काम करने या अपनी नौकरी छोड़ने के अलावा उनके पास बहुत कम विकल्प थे।

नए संपादक ज्योफ्री लेज्यून, जो पहले एक ऐसी अति–दक्षिणपंथी फ्रांसीसी पत्रिका का कामकाज देख रहे थे जिस पर नस्ली दृष्टि से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने के लिए जुर्माना लगाया गया था, दिनांक 1 अगस्त, 2023 को अपनी नई जिम्मेदारी संभालने वाले थे। जेडीडी नाम से जाने जाने वाले इस अखबार में उनकी नियुक्ति की ख़बर आने के बाद फ्रांसीसी मीडिया और राजनीतिक हलकों में एक बड़ा तूफान आ गया था और ऐसी चिंताएं जताई गईं थीं कि मुख्यधारा के एक प्रमुख न्यूज आउटलेट को दक्षिणपंथी प्लेटफॉर्म में तब्दील किया जा सकता है । पेरिस से प्रकाशित होने वाले इस अखबार में इस हंगामे से पहले लगभग 100 पत्रकार काम करते थे।

(बिजनेस स्टैंडर्ड, 3 अगस्त 2023, दिल्ली)

ईरान ने दो महिला पत्रकारों को जेल की सजा सुनाई

ईरान की दो महिला पत्रकार ''साजिश'' और ''मिलीभगत'' के आरोपों में मिली तीन साल की सजा को आंशिक तौर पर निलंबित किए जाने के बाद लगभग एक महीने का वक्त सलाखों के पीछे बिताएंगी। स्थानीय मीडिया ने दिनांक 3 सितंबर, 2023 को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी।

नेगिन बाघेर और एल्नाज मोहम्मदी को सजा का चालीसवां हिस्सा या एक महीने से भी कम समय जेल में बिताना होगा, यह जानकारी उनके वकील अमीर रईसियन ने सुधारवादी दैनिक अखबार हाम मिहान को दी जहां मोहम्मदी काम करती हैं ।

(द इकोनॉमिक टाइम्स, 4 सितंबर, 2023, नई दिल्ली)

'विदेशी एजेंट' बताए जाने को अदालत में चुनौती देंगे नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी पत्रकार

रूस के सबसे सम्मानित स्वतंत्र पत्रकारों में से एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता दिमित्री मुराटोव स्वयं को "विदेशी एजेंट" करार दिए जाने के क्रेमलिन के हालिया फैसले को चुनौती देने के लिए अदालत में मुकदमा दायर करेंगे। यह जानकारी दिनांक 4 सितंबर, 2023 मुराटोव के अखबार नोवाया गजेटा ने दी। अखबार ने बताया कि स्वयं को "विदेश एजेंट" बताए जाने के बाद मुराटोव ने अस्थायी रूप से नोवाया गजेटा के प्रधान संपादक पद से हटने का फैसला भी लिया है। इस दौरान उनके डिप्टी सर्गेई सोकोलोव कार्यवाहक प्रधान संपादक बनेंगे ।

रूस के न्याय मंत्रालय ने दिनांक 1 सितंबर, 2023 को मुराटोव को "विदेशी एजेंट" करार दिया। यह एक ऐसी उपमा है जिसका इस्तेमाल मंत्रालय ने असहमति दबाने की कोशिश में अपने आलोचकों के खिलाफ व्यापक रूप से किया है। मुराटोव पर आरोप है कि उन्होंने "रूसी संघ की विदेश एवं घरेलू नीति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनाने वाले विचार प्रसारित करने के लिए विदेशी प्लेटफॉर्मों का उपयोग किया।"

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 6 सितंबर, 2023, नई दिल्ली)

म्यांमार के पत्रकार को 20 साल की सजा

मई में आए घातक चक्रवात के बाद के कवरेज के लिए म्यांमार की एक अदालत ने एक भूमिगत समाचार एजेंसी के फोटो पत्रकार को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। मीडिया संस्थान ने दिनांक 6 सितंबर, 2023 को यह जानकारी दी।

फरवरी 2021 में सेना द्वारा आंग सान सूकी की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद से हिरासत में लिए गए किसी भी पत्रकार में साई जॉ थाइके को दी गई सजा सबसे गंभीर लगती है। थाइके स्वतंत्र ऑनलाइन समाचार सेवा म्यांमार नाउ के फोटोग्राफर हैं।

(द पायनियर, 8 सितंबर, 2023, नई दिल्ली)

'मी टू' पीड़ितों की आवाज बनने वाले चीन के पत्रकार के खिलाफ मुकदमा

दो साल की हिरासत के बाद यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक चीनी पत्रकार पर एक श्रम अधिकार कार्यकर्ता के साथ राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के आरोप में दिनांक 22 सितंबर, 2023 को मुकदमा चलाया गया । यह घटना चीन के नागरिक समाज के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाए जाने का नवीनतम उदाहरण है।

कभी चीन के #MeToo आंदोलन की एक प्रमुख आवाज रहीं स्वतंत्र पत्रकार हुआंग जुएकिन और उनके एक्टिविस्ट दोस्त वांग जियानबिंग को पुलिस सितंबर 2021 में पकड़कर ले गई और बाद में उनके विरुद्ध राजसत्ता के खिलाफ विनाशकारी गतिविधियां उकसाने के आरोप लगाए गए। उनके खिलाफ यह मुकदमा दक्षिणी चीन के गवांगझौ इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट में चलाया गया।

इस बारे में सरकार के रुख़ की बहुत कम जानकारी है, लेकिन दोनों पर जिस अस्पष्टता के साथ अपराध के आरोप लगाए गए उन्हें चीन में लंबे वक्त से असहमति को दबाने के एक तरीक़े के तौर पर देखा जाता रहा है ।

2012 में शी जिनपिंग के सत्ता में आने के बाद से सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने उन लोगो को चुप कराने की मांग की है। जिन्होनें मुक्त भाषण और राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है।

(द इंडियन एक्सप्रेस, 23 सितंबर, 2023, नई दिल्ली)

चीन में 3 साल हिरासत में रखा पत्रकार अपने घर ऑस्ट्रेलिया लौटा

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार चेंग लेई, जिन्हें चीन में तीन साल से ज्यादा समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा के आरोप में हिरासत में रखा गया था, रिहा होने के बाद दिनांक 11 अक्तूबर, 2023 को घर लौट आईं। चीनी राज्य टेलीविजन की बिजनेस एंकर रहीं अड़तालीस वर्षीय चेंग को राज्य के रहस्यों को दूसरे देश के साथ साझा करने के आरोप में अगस्त 2020 में हिरासत में लिया गया था। चेंग, जिन पर 2022 में गुप्त रूप से मुकदमा चलाया गया था, मेलबर्न पहुंची और अपने दो बच्चों और परिवार के साथ फिर से एकजुट हुईं । चीन के सुरक्षा मंत्रालय ने चेंग के खिलाफ लगे आरोपों का पहली बार विवरण देते हुए कहा कि उन्हें चीनी मीडिया आउटलेट में अपने काम से संबंधित सरकारी रहस्यों को अवैध रूप से विदेश भेजने के आरोपों में दोषी ठहराया गया था। दो साल और 11 महीने की अपनी सज़ा काटने के बाद उन्हें चीन से वापस भेजा गया।

(द टाइम्स ऑफ इंडिया, 12 अक्तूबर, 2023, नई दिल्ली)

******

अध्याय–IV

प्राकृतिक आपदा के बीच समाचारों की कवरेज करने वाले मीडियाकर्मियों / रिपोर्टरों के लिए पी.सी.आई. द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश दिनांक 21.08.2023

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 25–09–2021 को एक शिकायत–सह–प्रस्ताव प्रेस परिषद (पीसीआई) को भेजा था, जिसमें प्राकृतिक आपदाओं को कवर करते समय समाचार मीडिया के लिए दिशानिर्देशों की मांग की गई थी। राधाकांत त्रिपाठी नामक व्यक्ति की शिकायत, जोकि मूल रूप से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को संबोधित थी, को आयोग द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रेषित किया गया था।

इसकी शुरूआत 23 सितंबर, 2021 की घटना से हुई थी, जब एक प्रमुख ओडिशा समाचार चैनल, ओटीवी के मुख्य रिपोर्टर, अरिंदम दास, महानदी में फंसे एक हाथी को मुक्त करने के लिए किए जा रहे बचाव अभियान पर रिपोर्टिंग करते समय दुखद रूप से उफनती महानदी में डूब गए। दास और उनके कैमरामैन प्रवत सिन्हा, ओडिशा आपदा रैपिड एक्शन फोर्स (ओडीआरएएफ) के कर्मियों के साथ एक नाव में थे, जब नाव भंवर में बह गई और उलटकर पलट गई। अन्य लोगों को बचा लिया गया, अरिंदम दास, जो तैरना नहीं जानते थे, को बचाया नहीं जा सका।

मीडियाकर्मी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों ने रिपोर्टर और कैमरामैन को बचाव कार्यों के लिए सौंपी गई नाव में कैसे जाने दिया? क्या उन्होंने समाचार टीम को नाव पर चढ़ने से पहले आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए थे? हाथी बचाव को कवर करने का कार्य अरिंदम दास को सौंपते समय, चैनल के समाचार संपादक, राधामाधव मिश्रा ने यह पता लगाया कि बचाव स्थल पर स्थिति पत्रकारों के लिए उचित रूप से सुरक्षित थीं या नहीं। और, इसके अलावा, क्या समाचार संपादक ने उन्हें कवरेज का कार्य सौंपने से पहले इस बात पर विचार किया कि क्या रिपोर्टर और कैमरामैन के पास तैरने की योग्यता जैसी आत्म–संरक्षण के लिए बुनियादी अर्हता है?

यह संदर्भ 22–09–2022 को प्रेस परिषद (पीसीआई) की बैठक में चर्चा के लिए रखा गया। चूंकि मामले में विस्तृत चर्चा और जांच की आवश्यकता थी, पीसीआई ने मामले की जांच करने और एक रिपोर्ट तथा दिशानिर्देश तैयार करने के लिए प्रसन्ना मोहंती (संयोजक), गुरबीर सिंह और सुमन गुप्ता की तीन सदस्यीय उप–समिति का गठन किया।

विफल 'बचाव अभियान'

घटना के इर्द–गिर्द के तथ्यों की जांच से ही पता चलता है कि अरिंदम दास की मौत राज्य सरकार के अधिकारियों जिन्हें हाथी के बचाव कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी

गई थी, साथ–साथ ओटीवी समाचार चैनल के प्रबंधन द्वारा सुरक्षा प्रक्रियाओं की कठोर उपेक्षा का परिणाम थी। खतरनाक बहते पानी के बीच केवल एक मेगाफोन से लैस कर्मियों द्वारा हवा भरने योग्य डिंगी के साथ चलाया गया "बचाव अभियान" आपदा को बुलावा देना था।

हाथी चतुराई से तैरते है और उन्हें नदी पार करने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। घटनास्थल की अन्य पत्रकारों की रिपोर्ट से पता चला कि उसी झुंड के बाकी हाथी, जिन्हें नदी में देखा गया था, वे आसानी से अथागढ़ के जंगलों से चंदका की ओर तैर कर चले गए। जो एक हाथी रह 'फंसा' रह गया था, वह भी अंततः बाहर निकल गया होता और खत्म नहीं हुआ होता, अगर उस स्थान पर सेलफोन इस्तेमाल कर रही भीड़ द्वारा पैदा किया गया भ्रम और शोर–शराबा न होता।

बिना सोचे–समझे चलाए गए 'बचाव अभियान' ने केवल उस तमाशे को और बढ़ा दिया, जिससे स्तब्ध होकर भीड़ अपने सेल फोन पर इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी को फिल्माने के लिए घटनास्थल पर आ गई। वास्तव में, साइट पर पत्रकारों ने कहा है कि ओडीआरएएफ और वन विभाग के अधिकारियों के लिए सबसे अच्छा तरीका भुवनेश्वर को कटक से जोड़ने वाले मुंडाली पुल से भीड़ और यातायात को हटाना होना चाहिए था। इससे वह जानवर शांत हो जाता और जंबो को भागने का साफ रास्ता मिल जाता।

आखिरकार, रिपोर्टर और उसके कैमरामैन को बचाव अभियान चला रही नाव पर कैसे जाने दिया गया? यह ओडीआरएएफ और वन अधिकारियों की ओर से एक गंभीर चूक थी कि उन्होंने दो पत्रकारों को नाव में शामिल होने की अनुमति देकर बचाव दल की सुरक्षा से समझौता किया। ऐसा भी प्रतीत होता है कि उन्होंने ओटीवी टीम के प्रत्यय पत्र की जांच नहीं की–वे इस काम के लिए प्रशिक्षित थे या नहीं? और न ही उन्हें सुरक्षा तंत्र प्रदान किया गया था, जिससे वे बच सकते थे। इसके अलावा, क्या ओटीवी प्रबंधन के पास कोई एस ओ पी थी कि प्राकृतिक आपदाओं को कैसे कवर किया जाए? और क्या संपादकीय प्रमुख ने जाँच की, कि क्या अरिंदम दास और कैमरामैन, प्रवत सिन्हा के पास तैरने की योग्यता सहित आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल था?

दुर्भाग्य से ओटीवी (OTV) टीम के आचरण ने भी इस त्रासदी में योगदान दिया। बचाव अभियान का हिस्सा रही नाव पर चढ़ने की कार्रवाई स्पष्ट रूप से गलत थी। एक सनसनीखेज कहानी और बचाव प्रयास की विशिष्ट छवियां हासिल करने की

उत्सुकता में, वे न केवल अपनी सुरक्षा बल्कि ओआरडीएफ बचाव दल के अन्य सदस्यों की सुरक्षा से समझौता करने के लिए तैयार हो गए। बचाव अभियान को लाइव कवर करने के लिए दूर और सुरक्षित स्थान का चयन सही रास्ता होता।

महानदी त्रासदी से सीख लेकर, हम व्यापक मुद्दों पर आगे बढ़ सकते हैं और प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने के दो पहलुओं से निपट सकते हैंः 1. प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए एसओपी और दिशानिर्देशय और 2. प्राकृतिक आपदाओं की मीडिया कवरेज के लिए अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण।

पृष्ठभूमि

प्राकृतिक आपदाएँ दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से, जिसके परिणामस्वरूप, चक्रवाती तूफान और बाढ़ जैसी चरम मौसम की स्थिति पैदा होती है, जो बदले में हिमस्खलन, और मानव जीवन, संपत्ति और फसलों के विनाश का कारण बनती है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) के अनुसार, "भारत ने इस वर्ष (2022) के नौ महीनों में हर दिन लगभग एक आपदा देखी है, गर्मी और ठंडी लहरों, चक्रवात और बिजली गिरने से लेकर भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन तक।" इन आपदाओं ने 2,755 लोगों की जाने ले ली, 1.8 मिलियन हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ, 416,667 से अधिक घर नष्ट हो गए और लगभग 70,000 पशुधन का नुकसान हुआ।

पिछले साल प्रकृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आपदाओं में अमरनाथ बाढ़ शामिल थी, जब 8 जुलाई, 2022 को जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ गुफाओं के पास बादल फटने से 16 लोगों की जाने चली गई और कई लोग घायल हो गए। मानसून से संबंधित तबाही में, पिछले साल, जहां उत्तर प्रदेश में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं 18 जिलों के 1,300 से अधिक गांव, बाढ़ के पानी में डूब गए। एक और बड़ी आपदा, 30 जून, 2022 की रात को तुपुल रेलवे निर्माण स्थल के पास मणिपुर के नोनी जिले में भूस्खलन था। इस घटना में 29 सेना कर्मियों सहित कम से कम 58 लोग मारे गए थे।

पिछले कुछ वर्षों में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवातों से भी भारी नुकसान हुआ है। चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात को प्रभावित किया था। पिछले साल चक्रवात असानी ने और 2021 में चक्रवात तौकता ने पश्चिमी तट को प्रभावित किया था। नवंबर 1970 में पश्चिम बंगाल और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में आया चक्रवात भोला सबसे भयानक चक्रवातों में से एक रहा है, जिसमें तीन लाख से अधिक लोगों की जाने चली गई थी।

यह स्वाभाविक है कि समाचार नेटवर्क से इन प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने के लिए कहा जाता है – उनके निर्माण के समय से लेकर बचाव कार्यों, चिकित्सा राहत और उसके बाद जन सांख्यिकीय और आर्थिक प्रभाव के रूप में मानवीय अनुवर्ती कार्रवाई तक।

प्राकृतिक आपदाओं की प्रकृति को देखते हुए उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। स्थानीय रूप से वे कभी–कभी दूरदराज के इलाकों में होते हैं और पत्रकारों को आपदा बिंदुओं तक पहुंचने का कार्य सौंपना पड़ता है, जो अक्सर लंबे, अपरिचित और यहां तक कि शत्रुतापूर्ण इलाके को कवर करते हैं। दूसरे, प्राकृतिक आपदाएँ एक पल में शुरू या समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि ये लंबे समय तक चलने वाली वे त्रासदियाँ हैं, जो कई हफ्तों और यहां तक कि महीनों तक भी प्रभाव डालती हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि से समाचार नेटवर्क और उनके पत्रकारों को लाइव आपदा स्थल जहां वे जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, के जोखिम के प्रति पूरी तरह सचेत रहना होगा, क्योंकि वे बहुत आसानी से उसका शिकार बन सकते हैं, जैसा कि उड़ीसा महानदी त्रासदी ने दर्शाया है।

भारत में प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने वाले पत्रकारों के अनुभवों से महत्वपूर्ण सबक लिये जा सकते है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जंगल की आग को कवर करने वाले ऑस्ट्रेलियाई पत्रकारों से लेकर फुकुशिमा परमाणु आपदा को कवर करने वाले पत्रकारों के अनुभव ने सुरक्षा उपायों और दिशानिर्देशों के संग्रह में योगदान दिया है कि इन आपदाओं को कैसे कवर किया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि फुकुशिमा घटना, एक प्राकृतिक आपदा के रूप में शुरू हुई थी, जहां एक बड़े भूकंप के बाद, 15 मीटर की सुनामी ने तीन फुकुशिमा दाइची रिएक्टरों की बिजली आपूर्ति और शीतलन क्षमता को अक्षम कर दिया था। चेरनोबिल के बाद इससे 11 मार्च 2011 को सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई, जब पहले तीन दिनों में परमाणु संयंत्रों के सभी तीन कोर पिघल गए।

इस रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय, हमारा ध्यान प्रेस क्लब ऑफ कोलकाता और भारत जापान प्रयोगशाला, कीं विश्वविद्यालय, जापान की ओर से स्नेहासिस सूर और राजीव सॉ द्वारा लिखित एक दिलचस्प अध्ययन रिपोर्ट की ओर आकर्षित हुआ। जुलाई 2023 में प्रकाशित इस रिपोर्ट का नाम है: *आपदा जोखिम कम करने में मीडिया की भूमिका–कुछ आवश्यक सुझाव* (*Role of Media in Disaster Risk Reduction –A few essential tips*)। अध्ययन काफी विस्तृत है और आपदाओं को कवर करने वाले पत्रकारों को विभिन्न प्रकार के सुरक्षा संबंधी सुझाव और मूल जानकारी प्रदान करता है।

इस में अध्ययन 'आपदाओं' की परिभाषा को उचित व्यापक रूप दिया गया है और इसमें उन आपदाओं को भी शामिल किया गया है, जिन्हें पूरी तरह से 'प्राकृतिक आपदाएं' नहीं कहा जा सकता है। ये मानव–जनित आपदायें हैं, जिनमें सशस्त्र संघर्ष शामिल नहीं हैं, जो सामाजिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं, जैसे झुग्गी–झोपड़ियों या उफनती नदियों के किनारे की बस्तियों में लोगों की भारी भीड़, जो 'सामाजिक–प्राकृतिक' घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह, बड़े पैमाने पर महामारी या चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति का आज काफी प्रभाव है।

एक 'औषधीय–प्राकृतिक' आपदा के रूप में अभूतपूर्व कोविड 19 महामारी से बहुत बड़ी सीख मिलती है, जिसने मार्च 2020 से 3 वर्षों तक चली विनाश की लहर में, डब्ल्यूएचओ के अनुसार, दुनिया भर में 7 मिलियन से अधिक लोगों को समाप्त कर दिया।

ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क के पास प्राकृतिक आपदाओं को कवर करने के लिए यथा परिभाषित एसओपी हैं, और इनका सख्ती से पालन किया जाता है। एसएएफई–सिक्योरिंग एक्सेस टू फ्री एक्सप्रेशन, मीडिया जैसे मीडिया संगठन भी हैं, जिन्होंने पत्रकारों के अनुभव को संग्रहीत किया है और इन घटनाओं को कवर करने वाले मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए हैंड बुक विकसित की है। इन्हें निम्नानुसार संक्षेप में दिया जा सकता हैः

क. पत्रकारों और समाचार संगठनों के लिए दिशानिर्देशः

तैनाती से पहले

1. **जोखिम आकलनः** किसी प्राकृतिक आपदा को कवर करने के लिए, किसी कार्य को शुरू करने से पहले, समाचार टीमों को बुनियादी तौर पर उनके सामने आने वाली संभावित स्थिति को समझने के लिए गहन जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए। इसमें टीम को, कवर की जाने वाली आपदा के प्रकार और इसमें शामिल जोखिमों के बारे में शिक्षित करना शामिल है – विशेष रूप से भूकंप के बाद, के झटके, भूस्खलन और सुनामी, जो प्रारंभिक आपदा के बाद हो सकते हैं।

2. **समुचित योजनाः** मीडिया टीम जिसे यह कार्य सौंपा जाए, को सुरक्षित प्रवेश और निकास बिंदुओं की पहचान करने के लिए समय देना चाहिए। आपदा क्षेत्र में प्रवेश से पहले, साइट पर पहले से मौजूद होम गार्ड, पुलिस या फायर ब्रिगेड कर्मियों जैसे आपातकालीन प्रथम प्रतिक्रिया कर्ताओं से ब्रीफिंग आवश्यक है।

3. **संचार संपर्कः** संचार संपर्क के कम से कम दो चैनल (माध्यम) स्थापित करें। आदर्श रूप से, उनमें से एक को इंटरनेट एक्सेस की आवश्यकता नहीं होनी

चाहिए, क्योंकि वह विफल हो सकता है। प्रस्थान से पहले, क्षेत्र में मोबाइल कवरेज के बारे में जानकारी प्राप्त करना महत्वपूर्ण है।

4. **बैकअप किट:** टीम को सबसे खराब जोखिम वाली स्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से वहां जाना चाहिए, जहां सड़क और संचार की पहुंच बाधित हो सकती है और जहां योजना के अनुसार "कभी कुछ नहीं हो"। टीम को अतिरिक्त सामान, एक प्राथमिक चिकित्सा किट और सुरक्षात्मक कपड़े और साधनों से सुसज्जित होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वॉटरप्रूफ होने चाहिए और आपातकालीन स्थिति के समय बैकअप बैटरियां, संभावित सुरक्षित स्थान उपलब्ध होने चाहिए।

5. **मानसिक तैयारी:** रिपोर्टरों और टीमों को गंभीर विनाश और मानवीय पीड़ा का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार रहना चाहिए। तनाव और उत्कंठा से नहीं बचा जा सकता है, लेकिन संकट से मनोवैज्ञानिक रूप से निपटने के लिए साधनों के साथ अच्छी तैयारी होना आवश्यक है, ताकि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सके।

6. **दुर्घटना बीमा कवर जरूरी है:** समाचार संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपदा स्थल पर तैनात किए जा रहे समाचार कर्मियों का दुर्घटनाओं और संभावित जीवन हानि से सुरक्षा के लिए उचित बीमा हों। समाचार नेटवर्कों के लिए दुर्घटना बीमा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, ताकि जोखिम भरे स्थानों पर जाने वाले समाचार कर्मियों और साथ ही उन के परिवारों की सुरक्षा की जा सके, जो रोजी–रोटी कमाने के लिए उन समाचारकर्मियों पर निर्भर हैं। {ओटीवी (OTV) के अरिंदम दास के परिवार से पूछताछ से पता चला कि 'हाथी बचाव' कार्य पर भेजे जाने से पहले उनके संगठन द्वारा कोई दुर्घटना बीमा कवर प्रदान नहीं किया गया था।}

तैनाती के दौरान

1. आपदा स्थल पर पहुंचने पर, यह आवश्यक है कि मीडिया टीम, प्रभारी प्राधिकारी के साथ संपर्क स्थापित करें और सुरक्षा ब्रीफिंग के बाद ही आपदा स्थल में प्रवेश करने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करें। किसी आपदा स्थल पर प्रथम प्रतिक्रिया करने वालों की मंजूरी न केवल पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बल्कि बचाव टीमों के लिए भी आवश्यक है। यदि स्थानीय विशेषज्ञ हैं, तो स्थानीय भूगोल एवं आपदा की प्रकृति एवं प्रभाव को समझने के लिए उनकी सहायता ली जानी चाहिए।

2. आपदा स्थल पर, मीडिया टीम को बदलती स्थिति, जो घातक साबित हों सकती है, के प्रति सतर्क रहना चाहिए पहले से चल रही आपदा को तुरंत समझना होगा ताकि यह सूचित किया जा सके कि वहां रुकना है या वह स्थान खाली करना है। यदि संदेह हो, तो वहां मौजूद अधिकारियों और आपदा विशेषज्ञों की चेतावनियों का हमेशा पालन करें।

3. साक्षात्कार के समय, मीडिया टीम को साक्षात्कार देने वाले की भावनात्मक सीमाओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। झूठी आशा या ऐसे वादे न करें, जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। इसके बजाय जो लोग आपदा के प्रभाव से बच गए है, उन लोगों की आपबीती सुनने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि संभव हो, तो टीम को पीड़ितों के साथ आघात और उसके प्रभावों के बारे में जानकारी साझा करना चाहिए, और उनका, मार्गदर्शन करना चाहिए कि कहां से वे अपनी त्रासदी और नुकसान से निपटने के लिए पेशेवर मदद ले सकते हैं।

4. टीम को, परिवार और दोस्तों तथा आपदा की स्थिति से संबंधित अन्य पत्रकारों के साथ जुड़े रहकर, लगातार अपने मानसिक और भावनात्मक हित का मूल्यांकन करते रहना चाहिए।

तैनाती के बाद

1. जब सौंपा हुआ कार्यभार समाप्त हो जाए और मीडिया टीम जाने के लिए तैयार हो, तब उसे अपनी निकास रणनीति पर काम करना चाहिए। निकास वहां से न किया जाए जहां से प्रवेश किया गया था, और यह सुनिश्चित करने के लिए बुनियाद स्तर पर कार्य किया जाना आवश्यक है कि बाहर निकलने का रास्ता सबसे सुरक्षित और तेज हो। आपदा क्षेत्र छोड़ते समय, यह आवश्यक है कि टीम, प्रभारी लोगों को सूचित करें कि वे वहां से जा रहे हैं।

2. मूल स्थान(होम बेस) पर लौटने के बाद, मीडिया टीम को संपादकों और एकजुट दलों के साथ समुचित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। सुरक्षा योजनाओं ने क्या काम किया या क्या नहीं किया, इसका पूर्वव्यापी अवलोकन करने से आपदा के समय भविष्य में तैनाती के लिए सहायता मिलेगी।

3. आपदा क्षेत्रों से लौटने वाले रिपोर्टरों और टीमों को अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति पर नजर रखनी चाहिए, और आघात या अभिघातजन्य तनाव विकार (पीटीएसडी) होने पर परामर्शदाता या किसी अन्य पेशेवर से सहायता परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ध्यान या व्यायाम जैसा सकारात्मक अभ्यास करने की संस्तुति की जाती है।

ख. आपदा स्थलों पर बचाव कार्यों की निगरानी करने वाले व्यक्तियों के लिए दिशानिर्देश

बचाव टीमों और सरकार एवं स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे स्थानीय अधिकारियों के अनुसार स्थानीय अधिकारियों, आपदा क्षेत्र को लेकर समाचार रिपोर्टिंग करना एक कठिन कार्य है। एक आपदा, जिसमें बड़े पैमाने पर जीवन की हानि, चोटें और संपत्ति का विनाश शामिल होता है, बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है और यह लोगों के व्यापक वर्ग की रुचि का विषय है। दूसरा पहलू यह हैः यदि वास्तविक समाचार और अपडेट की कमी हो, तो यह कमी अफवाहों और अटकलों से पूरी होगी। इससे दहशत फैल सकती है और कानून–व्यवस्था चरमरा सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि समाचार नेटवर्कों को पाठकों और दर्शकों को आपदा क्षेत्रों की स्थिति से अवगत कराने के लिए रिपोर्ट करने और अपडेट प्रदान करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिएः

1. आपदा क्षेत्रों में काम कर रही बचाव और स्थानीय सरकार की टीमों को व्याप्त स्थितियों पर हर समय नजर रखनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पत्रकारों और मीडिया टीमों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो। इसलिए अनुमति सामान्य या आकस्मिक रूप से नहीं दी जा सकती। यदि बचाव दल और स्थानीय सरकार को खतरा बढ़ा हुआ दिखाई देता है, और सुरक्षा की उचित गारंटी नहीं दी जा सकती, तो स्थिति ठीक होने तक मीडिया दलों को उस क्षेत्र से बाहर रखना होगा। 'शून्य' जोखिम का मामला कभी नहीं होता; लेकिन स्थानीय प्राधिकारी को यथोचित रूप से विश्वस्त होना चाहिए कि रिपोर्टिंग संबंधी कार्य से पत्रकारों को खतरा न हो या आपदा क्षेत्र में लोगों और बचाव टीमों की सुरक्षा से समझौता न हो। यदि आपदा क्षेत्र में स्थिति बदतर हो जाती है, जैसे कि ज्वालामुखी द्वारा ताजा विस्फोट या बाढ़ में उफान के मामले में, प्राधिकारी मीडिया टीमों को क्षेत्र छोड़ने के लिए कहने के विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।

2. आपदा क्षेत्रों में प्रवेश करने वाली मीडिया टीमों को आपदा के तर्क संगत पहलुओं पर उचित रूप से जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि रिपोर्टर समझ सकें कि स्वयं को सुरक्षित कैसे रखा जाए। उदाहरण के लिए, कई ऑस्ट्रेलियाई आपातकालीन सेवाओं में संकटग्रस्त क्षेत्रों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं। बचाव टीमों को आपदा के संदर्भ और पृष्ठभूमि की भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए, ताकि उस क्षेत्र से ली जा रही समाचार सामग्री सच्ची और सूचनाप्रद हो। जब भी स्थिति में कोई बदलाव हो,

तो समुचित अपडेट के साथ नियमित रूप से ब्रीफिंग होनी चाहिए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका, स्थानीय प्रशासन के एक प्रवक्ता को नियुक्त करना है, जिसे अच्छी तरह से जानकारी हो और उसे आपदा स्थल पर मीडिया टीमों के साथ लगातार बातचीत करने का अधिकार हो।

3. आपदा क्षेत्र में लोगों का उनकी साक्षात्कार करने और रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हुए प्रथम प्रतिक्रिया करने वालों को बातचीत और अपडेट के माध्यम से अपनी सुरक्षा के साथ–साथ मीडिया टीमों के साथ हर समय उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी भी हालत में, स्थानीय अधिकारियों को ऐसी स्थिति नहीं आने देनी चाहिए, जहां स्थानीय मीडिया टीमों से संपर्क टूट जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि मीडिया टीमें, विशिष्ट खतरे वाले बिंदुओं के बहुत करीब नहीं जाएंगी, न ही उन क्षेत्रों में भटकेंगी, जहां वे उस आपदा का शिकार बन सकते हैं, जिस पर वे उस समय रिपोर्ट कर रहे हैं।

ग. आपदा क्षेत्रों से जिम्मेदारी पूर्वक रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश

प्राकृतिक आपदाओं का व्यापक प्रभाव होता है और इसलिए अपने पाठकों और दर्शकों को आपदा स्थल की स्थिति और हताहतों की जानकारी देने में समाचार मीडिया की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि वह इस भूमिका को जिम्मेदारी से निभाए और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करने में मदद करें। इस संबंध में समाचार टीमों को जिन दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है वे इस प्रकार हैं:

1. समाचार संगठनों को, प्राथमिकता के आधार पर, स्थानीय क्षेत्र और लोगों को किसी घटना पर प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। यह जानकारी स्पष्ट, समय पर और सुस्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए, पहला स्रोत, बचाव एजेंसियां, सेना, अग्निशमन सेवा, पुलिस या साइट पर मौजूद अन्य सरकारी अधिकारी होने चाहिए, जो वहां पर काम कर रहे हों और जिन्हें घटनाओं की प्रत्यक्ष जानकारी हो। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियन ब्रॉड कास्टिंग कॉर्पोरेशन (एबीसी) की एक रिपोर्ट, चक्रवात और अन्य आपदाओं को कवर करने वाले अपने पत्रकारों को सलाह देती है कि जब उन्हें दुविधा हो और समाचार टीमें अभी भी समाधान खोज रही हो, तब वे शुरुआती दौर में केवल 'आधिकारिक रूप से प्राप्त' समाचार ही प्रकाशित और प्रसारित करें।

   (इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी आधिकारिक विज्ञप्तियाँ सत्य हैं। अक्सर

अति उत्साही बचाव एजेंसियां, एक उज्ज्वल तस्वीर पेश करने की कोशिश कर सकती हैं। ऐसे मामलों में, समाचार टीमों को अपना कार्य करना चाहिए, और ऐसी सामग्री को प्रकाशित/प्रसारित करने से अस्वीकार कर देना चाहिए, जो दिखावटी जनसंपर्क या प्रचार की परिधि में आता हो।)

2. समाचार संगठनों का एक अन्य कठिन कार्य, विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी को निष्पक्षता से और बिना पक्षपात या पूर्वाग्रह के साझा करना है। यह याद रखना चाहिए कि आपदा क्षेत्रों का भौतिक रूप से संपर्क न होने और वहां इंटरनेट जैसी संचार की सामान्य लाइनें न होने की संभावना है। इसलिए स्थानीय आबादी, राहत पाने, निकास बिंदु खोजने और यह समझने के लिए कि आपदा, कैसे सामने आ रही है, जैसे मार्गदर्शन के लिए समाचार मीडिया पर निर्भर है। ये इनपुट प्रदान करके समाचार मीडिया बचाव अभियान का हिस्सा बन जाता है।

3. आपदा क्षेत्रों से रिपोर्टिंग करने वाले समाचार मीडिया की नई एवं बढ़ती भूमिका, दहशत फैलने को रोकना और झूठी सूचनाओं का मुकाबला करना है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रसार ने आज यह सुनिश्चित कर दिया है कि सेल फोन और इंटरनेट कनेक्शन वाला कोई भी व्यक्ति रिपोर्टर बन सकता है। लोगों को किसी आपात स्थिति और हताहतों की संख्या के बारे में सबसे पहले ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी मिलती हैं। इनसे घबराहट और भगदड़ मच सकती है, जो बाद में मानव निर्मित आपदाओं को जन्म दे सकती है। जिम्मेदार समाचार रिपोर्टिंग को सोशल मीडिया से जोड़ना होगा और तुरंत सत्यापित करना होगा कि क्या सच है और क्या गलत है। लोगों को भी यह एहसास है कि आधिकारिक समाचार चौनल, सच्ची रिपोर्टिंग के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि समाचार नेटवर्क स्वयं को सत्यापन के एक महत्वपूर्ण दूसरे स्रोत के रूप में स्थापित करें, ऐसे एक फिल्टर के रूप में, जो समाचार को शोर और अफवाह से अलग करता है। समाचार को मीडिया अक्सर इसका शिकार हो जाता है और गलत समाचारों को दोहराता है। इसलिए तैयारी और वहां लगातार ध्यान देना आवश्यक है, ताकि समाचार नेटवर्क गलती से भी झूठी सूचना न फैलाए।

4. आपदा स्थलों पर समाचार टीमों को, स्थानीय जनता की ध्वनि बनने से विपरीत कार्य भी करना चाहिए। जिन लोगों को आपदा का सामना करना पड़ा है, उनकी आवाज को साक्षात्कारों के माध्यम से बढ़ाना; और प्रत्यक्ष रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से जो गलत हुआ है, उस पर स्थानीय

नागरिकों की आवाज और विचार देने से, आपदा से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे स्थानीय समुदायों पर भावनात्मक रूप से सुखद प्रभाव पड़ता है।

5. अंततः, एक बार जब आपदा क्षेत्र नियंत्रण में आ जाता है और यह पहले पन्ने से हट जाता है, तो समाचार टीमें अपना सामान बांध करके घर चली जाती हैं। उस समय समाचार नेटवर्कों की नई जिम्मेदारी बनती है, कि वह आपदा के अंतिम छोर पर नजर रखे। दुनिया जानना चाहती है कि क्या आपदा और बचाव कार्य टीम अपना काम जारी रखे हुए हैं या नहीं। और उसके भावी परिण ाम क्या रहे हैं और जिस संकट से वे गुजरे है, उसे लेकर स्थानीय समुदायों की स्थिति कैसे है? मीडिया द्वारा निरंतर रूप से दी गई जानकारी, न केवल पीड़ितों के लिए नैतिक मरहम के रूप में कार्य करेगी, बल्कि अधिकारियों को आगे कार्रवाई के लिए प्रेरित भी करेगी।

ह०/–
प्रसन्ना मोहंती (संयोजक)

ह०/–
गुरबीर सिंह

ह०/–
सुमन गुप्ता

अध्याय–V

एलजीबीटीक्यू+समुदाय पर समाचार कवरेज के लिए पी.सी.आई. द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देश दिनांक 21.08.2023

प्रस्तावना

एलजीबीटीक्यू+मुद्दों पर मीडिया रिपोर्टिंग के मुद्दे पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से पत्र प्राप्त होने और श्री पी. सेंथिल के अभ्यावेदन पर, भारतीय प्रेस परिषद ने इस मुद्दे पर गहन विचार–विमर्श के बाद, मीडिया द्वारा एलजीबीटीक्यू+समुदाय के चित्रण के मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं।

क. संक्षिप्त विवरण एवं उद्देश्य

हम एक–दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं, का महत्वपूर्ण हिस्सा भाषा और शब्दों का उपयोग है। शब्दों और विराम चिह्नों का उपयोग करके वाक्यों को एक साथ जोड़ा जाता है और भाषा से संस्कृतियाँ निर्मित होती हैं, मैं और हम के प्रयोग की संस्कृति किसी स्थान, उसके इतिहास, संस्कृति और लोगों की सूचक है। इसी तरह, 'आप' शब्द किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान दिखाने का जरिया है, कि उनके या उनकी उम्र के प्रति आपके भाव क्या है।

ऐसे शब्दों का उपयोग, जो लिखित या मौखिक रूप से दो या दो से अधिक लोगों के बीच समीकरण को गौरवान्वित करता है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 'she', 'he'और 'they' सर्वनाम एक व्यक्ति या लोगों, एक भाषा और एक विकसित होती संस्कृति के लिए हैं जो और अधिक और गरिमामय होने की ओर बढ़ रही है। ऐसे सर्वनामों का उपयोग करने में असमर्थता या विफलता, उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति को 'she' कहने के लिये अनुचित है, जब उनका निर्धारित लिंग 'पुरुष' है, और इसलिए उन्हें 'he' और 'him' कहा जाना चाहिए। किसी हिंदी भाषी संस्कृति में किसी वरिष्ठ व्यक्ति को आप के बजाय तू कहना किसी भी व्यक्ति के लिए अशोभनीय है।

यह सर्वविदित है कि शब्द, प्रेम, प्रशंसा और सम्मान का संचार कर सकते हैं, लेकिन वे भ्रामक, अपमानजनक और घृणास्पद भी हो सकते हैं।

जैसा कि एवियनवे (2021) द्वारा *कॉन्शियसली स्पीकिंग* में कहा गया है, 'भाषा तटस्थ नहीं है। व्यापक भाषा व्यक्तियों या समूहों के अद्वितीय मूल्यों, कौशल, दृष्टिकोण, अनुभव, संस्कृति, क्षमता और अनुभवों को स्वीकार करती है। अपमानजनक या भेदभावपूर्ण भाषा, व्यक्तियों या समूहों को कम महत्व देती है, उन्हें बदनाम करती है, अपमानित करती है और समाज में रूढ़िवादिता और असमानता को कायम रखती है। 'सबसे खराब स्थिति में, पुस्तक में लिखा है, 'भेदभावपूर्ण भाषा नफरत या बदनामी को भड़काती है। भेदभावपूर्ण भाषा और दृश्य प्रस्तुतीकरण लोगों को कराते हैं, उन्हें बहिष्कृत करते हैं, हाशिए पर रखते हैं या उनका प्रतिनिधित्व कम करते हैं, जिससे वे दिखाई नहीं देते हैं।'

इस डॉकेट (प्रलेख सार) का उद्देश्य लिंग, लैंगिकता, इसकी शब्दावली और उपयोग की समझ को बढ़ाना है। इसका उद्देश्य, श्री पी. सेंथिल कुमार द्वारा की गई शिकायत को ध्यान में रखना और बेहतर भाषा उपयोग के माध्यम से समाधान का प्रस्ताव देना है, ताकि प्रेस इसे लेकर अधिक जागरूक हो, कि वे LGBTQIA + समुदाय का संदर्भ कैसे दें और जब लोगों के इस समूह के प्रतिनिधित्व का प्रश्न आता है, चाहे वह सचित्र हो या पाठ के माध्यम से, तब क्या करें और क्या न करें।

यह दस्तावेज उस भाषा में परिपूर्ण नहीं है, शब्द और उपयोग विकसित किये जा रहे हैं। यह स्वीकार्य होगा कि एक समय में समलैंगिकता और विषमलैंगिकता जैसे कोई शब्द नहीं थे और अब लिंग पहचान (जीआई) और यौन अभिविन्यास (एसओ) की भरमार है। जीआई और एसओ से भिन्न लिंग विशेषताओं (एससी) को देखने को भी महत्व दिया गया है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने एसओसीआईईएससी (SOCIESC) शब्दों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जहां हम लेबल को देखने के बजाय मोटे तौर पर लिंग, सेक्स और लैंगिकता को देखते हैं।

<u>ख. शब्दावली:</u>

लिंगः किसी व्यक्ति की जैविक संरचना को दर्शाता है। जैविक संरचना का मूल्यांकन, शरीर के बाहरी हिस्सों और आंतरिक अंगों, लिंग गुणसूत्रों और/या ऊतकों और अंगों से किया जाता है। सेक्स को यौन विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में समझना महत्वपूर्ण है। कोई व्यक्ति या तो जन्म से महिला, पुरुष या मध्यलिंगी भिन्नता वाला व्यक्ति या मध्यलिंगी होता है।

मध्यलिंगी लोग/मध्यलिंगी विविधता वाले व्यक्ति (एससी): मध्यलिंगी लोग, ऐसी शारीरिक या जैविक यौन विशेषताओं, जैसे यौन शरीर रचना, प्रजनन अंग, हार्मोनल पैटर्न और/या क्रोमोसोमल पैटर्न के साथ पैदा होते हैं, जो पुरुष या महिला की विशिष्ट परिभाषाओं में फिट नहीं होते हैं। ये विशेषताएँ जन्म के समय स्पष्ट हो सकती हैं या जीवन में, बाद में, अक्सर युवावस्था में उभर सकती हैं। मध्यलिंगी लोगों की कोई भी यौन स्थिति और लिंग पहचान हो सकती है।

लिंगः लिंग, उन दृष्टिकोणों, भूमिकाओं, व्यवहारों, अनुभवों और भावनाओं को संदर्भित करता है, जो किसी व्यक्ति के जैविक लिंग के साथ जुड़े होते हैं। इस बात को हम खुद को और एक–दूसरे को किस नजरिए से देखते है, समझते हैं, हम कैसे कार्य करते हैं कैसें बातचीत करते हैं, और समाज में शक्ति और संसाधनों के वितरण को प्रभावित करता है। लिंग अन्य कारकों को अलग करता है, जो असमानताओं, भेदभाव और अंतर को प्रेरित करते हैं, जैसे कि जाति, धर्म, मानव जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, क्षमता, आयु, भौगोलिक स्थिति और यौन अभिविन्यास, इत्यादि।

लिंग के दो घटक होते हैं, जिन्हें समझना बहुत महत्वपूर्ण है:

- लिंग पहचान

  लिंग पहचान, किसी के, स्वयं के लिंग की गहराई से महसूस की गई, और अनुभव की गई भावना को दर्शाती है। हर किसी की लिंग पहचान होती है, जो उनकी समग्र पहचान का हिस्सा है।

- लिंग अभिव्यक्ति

  लिंग अभिव्यक्ति वह तरीका है जिसमें हम अपने लिंग को अपने कार्यों और रूप के माध्यम से व्यक्त करते हैं। लिंग अभिव्यक्ति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और उभय लिंगी किसी भी संयोजन से हो सकती है। बहुत से लोगों के लिए, उनकी लिंग अभिव्यक्ति, उन विचारों के साथ होती है, जिन्हें हमारा समाज उनके लिंग के लिए उपयुक्त मानता है। अन्य लोगों के लिए ऐसा नहीं है।

- ट्रांसजेंडर पुरुष (ट्रांसमैन): ट्रांसजेंडर पुरुष वह पुरुष होता है, जिसके जन्म के समय लिंग महिला का निर्धारित किया गया था। वे अपने शरीर को अपने लिंग पहचान के साथ मिलाने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं/नहीं भी कर सकते हैं।

- ट्रांसवुमनः ट्रांसवुमन वह महिला होती है, जिसके जन्म के समय लिंग पुरुष का निर्धारित किया गया था। वे अपने शरीर को अपने लिंग पहचान के साथ मिलाने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं/नहीं भी कर सकते हैं।

- ट्रांसजेंडर/ट्रांस': यह उन लोगों के लिए एक व्यापक शब्द है, जिनकी लिंग पहचान जन्म के समय हमें दिए गए लिंग से भिन्न होती है। 'ट्रांस'' में तारा/तारांकन सभी गैर–सिजेंडर लिंग पहचान का उल्लेख करता है। इनमें ट्रांसवुमेन, ट्रांसमेन, जेंडर नॉन–कान्फॉर्मिंग, जेंडरक्वीर, जेंडर नॉन–बाइनरी आदि शामिल होंगे।

- लिंग अस्वीकारात्मकः इस श्रेणी में वे लोग आते है, जिनकी लिंग अभिव्यक्ति, जन्म के समय उनके निर्धारित लिंग के संबंध में सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

- लिंग पुष्टिकरण सर्जरी (जीएएस): एक बहु–चरणीय प्रक्रिया, जिसमें एक ट्रांस' व्यक्ति, अपनी लिंग पहचान और लिंग अभिव्यक्ति के साथ–साथ अपनी शारीरिक रचना को मिलाना/या न मिलाना चुन सकता है। बहुत से ट्रांस' व्यक्तियों को डिस्फोरिया (अधीरता) से राहत दिलाने के लिए उनकी भलाई के लिए इन सर्जरी की आवश्यकता होती है। हालाँकि, लिंग पुष्टि एक गहरा व्यक्तिगत अनुभव है। प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति सर्जरी की इच्छा नहीं रखता या उसके पास इस सर्जरी के लिए संसाधन नहीं होते।

- परिवर्तन (Transition): सामाजिक, कानूनी, और/या चिकित्सा प्रक्रिया–जिससे कोई व्यक्ति अपनी लिंग पहचान की खोज और/या पुष्टि करता है, इसमें हार्मोन लेना सर्जरी करवानाय और नाम, सर्वनाम, पहचान दस्तावेज और बहुत कुछ बदलना शामिल हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। उल्लेख करने के लिए कभी–कभी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। कई व्यक्ति अपने नियंत्रण के भीतर और बाहर, कई कारणों से परिवर्तन न करना चुनते हैं या इसे करने में असमर्थ हैं। किसी व्यक्ति की लिंग पहचान की वैधता, किसी सामाजिक, कानूनी और/या चिकित्सीय परिवर्तन पर निर्भर नहीं करती है; बल्कि आत्म–पहचान ही लिंग पहचान को मान्य करती है।

लैंगिकता: लैंगिकता को, स्वयं को जानने और अभिव्यक्त करने के अनुभव के रूप में समझा जा सकता है। लैंगिकता विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं, विश्वास, दृष्टिकोण, मूल्यों, व्यवहार, अभ्यास–भूमिकाओं और रिश्तों में अनुभव और व्यक्त की जाती है। हालॉकि लैंगिकता में ये सभी आयाम शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन सभी को हमेशा अनुभव या व्यक्त नहीं किया जाता हैं। लैंगिकता जैविक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक कारकों के परस्पर प्रभाव से लैंगिकता प्रभावित होती है।

लैंगिकता के दो घटक हैं:

1. यौन रुझान/आकर्षण: यौन रुझान किसी व्यक्ति के अन्य लोगों के प्रति शारीरिक, रोमांटिक और/या भावनात्मक आकर्षण का उल्लेख करता है। हर किसी का यौन रुझान होता है, जो उनकी पहचान का हिस्सा है। यौन रुझान का लिंग पहचान और यौन विशेषताओं से कोई संबंध नहीं है।
2. यौन व्यवहार: यह किसी व्यक्ति के पुरुषों, महिलाओं और/या गैर–बाइनरी लोगों के साथ यौन व्यवहार का उल्लेख करता है। इस अवधारणा का उपयोग अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य/महामारी विज्ञान के संदर्भ में किया जाता है, जहां अभिरुचि या पहचान के बजाय व्यवहार ध्यान का केंद्र होता है।

आगे विस्तार निम्नानुसार है:–

- विषमलैंगिकता: विषमलैंगिकता का तात्पर्य, अन्य लिंग के सदस्यों के प्रति आकर्षण से है।
- समलैंगिकता: समलैंगिकता का तात्पर्य समान लिंग के सदस्यों के प्रति आकर्षण से है।
- समलैंगिक (गे): एक व्यक्ति जिसकी पहचान एक पुरुष के रूप में है और भावनात्मक रूप से और/या यौन और/या रोमांटिक रूप से उन अन्य लोगों के प्रति आकर्षित

होता है, जिनकी पहचान एक पुरुष के रूप में है। जो लोग समलैंगिक हैं, उन्हें कोई यौन अनुभव होना आवश्यक नहीं है; यह आकर्षण और आत्म–पहचान है, जो अभिरुचि निर्धारित करता है।

- *लेस्बियनः* लेस्बियन की परिभाषा में हाल के वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। हाल ही में, समलैंगिक, वह व्यक्ति है जिसकी पहचान महिला के रूप में है और वह भावनात्मक और/या यौन और/या रोमांटिक रूप से उन अन्य लोगों के प्रति आकर्षित होता है, जिनकी पहचान महिला के रूप में है। जो लोग समलैंगिक हैं उन्हें कोई यौन अनुभव होना आवश्यक नहीं है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय ने वर्तमान में गैर–बाइनरी समलैंगिक व्यक्तियों को शामिल करने के लिए समलैंगिक की परिभाषा को बदल दिया है और इसने समलैंगिकों को 'गैर–पुरुषों के प्रति आकर्षित होने वाले गैर–पुरुष' के रूप में परिभाषित किया है।

- *उभयलिंगी (बाइसैक्शूअल):* वे लोग जो भावनात्मक और/या रोमांटिक और/या यौन रूप से अपने ही लिंग अपने से भिन्न लिंग के लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। वे लोग जिनकी पहचान उभयलिंगी के रूप में होती है, उन्हें विभिन्न लिंगों के लोगों के साथ समान अनुभव या आकर्षण के समान स्तर की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी अनुभव की यह केवल आकर्षण और आत्म–पहचान है, जो अभिविन्यास निर्धारित करती है।

ग. रिपोर्टिंग में मीडिया संवेदनशीलता

कोई व्यक्ति भाषा के साथ–साथ लेंस या दृष्टि का उपयोग कैसे करता है, इसके कई पहलू हैं। इसका सरल उदाहरण यह है कि रिपोर्टिंग, फिल्म स्क्रिप्ट और सिनेमा में बड़े पैमाने पर पुरुष दृष्टि ने हमेशा भूमिका निभाई है। उसी लेंस और दृष्टि ने पुरुषों में से नायकों का निर्माण किया, एवं महिलाओं को सीमित भूमिका जैसे कि एक गृहिणी (केवल) तक सीमित कर दिया, या केवल वहीं तक सीमित कर दिया जहां पुरुष, महिलाओं को देखना चाहते थे या महिलाओं को एक इंसान के रूप में मानते थे। पुरुषों की दृष्टि और प्रभुत्व भी एक कारण है कि इतिहास में अधिकतर महिलाओं को मिटा दिया गया या बाहर कर दिया गया (जाने–अनजाने)।

परिणाम, जैसा कि शोध में अक्सर सामने आया है, लिंग भूमिकाओं और रूढ़िवादिता की गहन समस्याएं हैं। जब इन भूमिकाओं को केवल एकमात्र भूमिका नहीं माना जाता है, तो विचित्र होना और विचित्रता सहजता से उभर कर सामने आ जाती है।

जैसा कि महिलाओं द्वारा अपना स्थान पाने और उसे पाने के लिए पुनः दावा किये जाने का मामला है, वैसे ही विचित्र (queer) लोगों के मामले में भी होता है। हालाँकि, विचित्र/विलक्षण (queer) लोगों के प्रति संवेदनशीलता की आवश्यकता के लिए एक अलग सोच

और दृष्टिकोण की जरूरत है क्योंकि सामाजिक कलंक (भेदभाव) उनके अस्तित्व को परेशान करता रहता है। आखिरकार, कानून, नफरत किये जाने वाले किसी समुदाय की गरिमा या स्थिति को रातों–रात नहीं बदल सकता।

भाषाः

वर्तमान में, LGBTQIA+ के पक्ष में कानून के साथ, समुदाय की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए भाषा का चयन करते समय सतर्क रहना और ऐसे शब्दों और शब्दावली का उपयोग करना और भी महत्वपूर्ण है, जिन्हें यह समुदाय अपने लिए स्वीकार करता है।

- ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो queer समुदाय को सिर्फ 'SEX' के रूप में ही न पहचाने।
- यदि किसी की लिंग पहचान स्पष्ट नहीं की गई है, तो "he", "she", या "it" के बजाय "then/they" जैसे तटस्थ शब्दों का उपयोग करना सबसे उत्तम रहेगा।
- LGBTQIA+ लोगों और उनसे संबद्ध मुद्दों की किसी भी प्रकार रिपोर्टिंग से पहले, विचार करें कि क्या "gay",LGBTQIA+, "bisexual" या "transgender" जैसे लेबल उपयुक्त हैं। यदि वे कहानी/समाचार के लिए आवश्यक और प्रासंगिक नहीं हैं, तो उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के यौन रुझान या लिंग पहचान की स्थिति का उल्लेख केवल तभी किया जाना चाहिए, जब उसका उल्लेख किया जाना, कहानी के लिए प्रासंगिक हो। समुदाय में केवल LGBTQIA+ के अलावा जाति, वर्ग, धर्म, कौशल, योग्यता और पेशे संबंधी अन्य पहचान भी महत्वपूर्ण हैं। एक मानक के रूप में, और 'सामान्य' करने के लिए, एक विषमलैंगिक व्यक्ति को कभी भी उसकी लैंगिकता के आधार पर संबोधित या लेबल नहीं किया जाता है।
- LGBTQIA+ की पहचान और संबंधों (जैसे कि 'कथित ट्रांसजेंडर व्यक्ति', या 'कथित संबंध') का वर्णन करते समय "कथित" शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सभी अन्य संबंधों की तरह ही वास्तविक और मान्य हैं।
- 'द gay कम्यूनिटी' जो एक व्यापक शब्द नहीं है, के बजाय 'एलजीबीटी', 'एलजीबीटीक्यू', 'LGBTQIA+" जैसे व्यापक शब्दों का प्रयोग करें। LGBTQIA समुदाय में समलिंगी एक विशेष पहचान है, और यह अन्य सभी पहचानों की व्याख्या नहीं करता है। इस तरह का उपयोग उन पुरुषों तक लैंगिकता के स्पेक्ट्रम को सीमित करता है जो कई अन्य लोगों को छोड़कर, पुरुषों के प्रति यौन रूप से आकर्षित होते हैं। यह यौन पहचानों को मिटाने और अदृश्य करने जैसा है।
- इसी तरह, 'समलिंगियों को शादी करने दो' जैसे शीर्षकों से बचें। यह एक व्यापक स्टेटमेंट है, जो विविध लिंग पहचान और यौन अभिरुचि को एक पहचान (यानी

समलैंगिक) तक सीमित करता है, जबकि लिंग पहचान और यौन अभिरुचि वास्तव में एक व्यापक है, जिसमें कई अभिव्यक्तियाँ है। उदाहरण के लिए, LGBTQIA+ शीर्षक और कैप्शन देते समय यथासंभव व्यापक रहने का प्रयास करें। एक आकर्षक शीर्षक देना संभव है, राजनीतिक रूप से सही और व्यापक हो।

- अपने लेख में ट्रांसजेंडरों का प्रयोग न करें; 'ट्रांसजेंडर' एक विशेषण है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति, ट्रांसमहिला, ट्रांसपुरुष और/या ट्रांस' व्यक्तियों का उपयोग करें।
- 'सेक्स–चेंज सर्जरी' या 'सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी' के बजाय अधिक उपयुक्त 'सेक्स एफरमेटिव सर्जरी (जीएएस)' का उपयोग करें।
- 'हिजड़ा (Eunuch)' शब्द का प्रयोग न करें। सही उपयोग 'ट्रांसजेंडर महिला' या 'ट्रांस महिला' और/या हिजड़ा महिला है। हालाँकि, जिन व्यक्तियों का आप साक्षात्कार कर रहे हैं या जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनसे पुछ लेना सबसे अच्छा है।
- आपको "He was a she" या "She was he" या उनकी परिवर्तन प्रक्रिया और सर्जरी जैसे वाक्यांशों का उपयोग करके किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पिछली लिंग पहचान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर, यह ट्रांस अनुभव और पूर्वाग्रहों से मुक्त जीवन जीने की उनकी कोशिशों को विफल करता है और उनका उपहास करता है। यह उन्हें उनकी पहचान से वंचित करता है, वे जानते हैं कि वे कौन हैं, और वे कौन थे। इस तरह के संदर्भ ऐसे अतीत से संबंधित हैं जिन्हें वे 'मृत' मानते हैं, और जन्म के समय हुई गलती मानते हैं।
- 'वह अपनी समलैंगिकता (Lesbianism) पर शर्मिंदा नहीं थी' जैसे शीर्षकों से बचें, क्योंकि 'ism' कहने से यह पहचान के बजाय सनक या प्रवृत्ति बन जाती है।
- समलिंगी (homosexual) शब्द का प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। वैज्ञानिक और नैदानिक तर्क के अलावा, इस शब्द में मनोवैज्ञानिक विकार के पुराने और बदनाम संकेत हैं।
- 'यौन प्राथमिकता', 'विशेष अधिकार' और 'समलिंगी (gay) जीवन शैली' जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। ये अपमानजनक शब्द हैं। समलैंगिक, उभयलिंगी, समलैंगिक, अलैंगिक या समलैंगिक होना यौन अभिरुचि है। दूसरे, यह समुदाय, विशेष अधिकार नहीं, बल्कि 'समान अधिकार' की मांग कर रहा है।

तस्वीरें एवं गोपनीयता

- LGBTQIA+ मुद्दों को लेकर लेखों और समाचारों के लिए उपयोग की जाने वाली तस्वीरों का संग्रह विविध होना चाहिए और हमारे जीवन की वास्तविकताओं का

प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। कुछ तस्वीरें केवल 'मलिन चोट', 'गौरव–परेड', 'हिंसा के छायाचित्र' आदि को दर्शाती हैं। LGBTQIA+ व्यक्तियों के लिए तस्वीरों की एक लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रयास करें, और ऐसा करते समय, उनकी सहमति भी लें।

- LGBTQIA+ के रूप में पहचान वाले लोगों की उनके सोशल मीडिया अकाउंट से तस्वीरें लेना अनुचित है। हो सकता है कि वे अपनी लिंग अभिव्यक्ति, लिंग पहचान या यौन पहचान के प्रकाशित होने और व्याप्त स्तर पर दर्शकों के लिए उपलब्ध होने से सुरक्षित महसूस न करें। भले ही वे आपके 'दोस्त' हों, हमेशा ऐसा करते समय उनकी अनुमति लें क्योंकि बहुत से LGBTQIA+ लोग अपनी यौन अभिरुचि और/या लिंग पहचान के बारे म'खुले' नहीं होते हैं। यहां तक कि जो लोग "खुले भी" होते हैं, वे केवल कुछ संदर्भों और जगहों पर ही इसके बारे में सुरक्षित महसूस करते हैं।
- किसी भी प्रकार के प्रकाशन में LGBTQIA+ के रूप में पहचाने जाने वालों के नाम, फोटो, घर या कार्यस्थल के पते को दर्शाने से पहले हमेशा अनुमति लें। जिन लोगों का आप साक्षात्कार ले रहे हैं, उन्हें उनकी तस्वीरें या अन्य जानकारी प्रकाशित करने के फायदे और नुकसान के बारे में भी जरूर बताएं।
- लोगों के निजी विवरण का उपयोग करने के लिए उन्हें विश्वास में लेना नैतिक कार्य नहीं है (अर्थात उनके बारे में जानना)।
- उन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की 'पुरानी' तस्वीरें न मांगें, जिन्होंने Gender Affirmative सर्जरी करवाई हो। यह संवेदनशील और अनावश्यक है।

परिप्रेक्ष्यः

- LGBT*QIA+ कोई मोनोलिथ नहीं है। यह एक व्यापक शब्द है। इसमें विविध यौन अभिरुचि, लिंग पहचान और यौन विशेषताओं वाले व्यक्ति शामिल हैं। अपने समाचारों में इन सबको एक न दर्शायें। यदि आप किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं, तो यह लिंग पहचान को लेकर हैं; यदि आप लैंगिकता और आकर्षण के बारे में लिख रहे हैं, तो यह यौन अभिरुचि को लेकर है। मध्यलिंगी विभेद वाले व्यक्तियों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है।
- यह सुनिश्चित करें कि आप किसी व्यक्ति के जीवन पर रिपोर्टिंग करते समय उसके वर्ग, जाति, धर्म, पंथ और अन्य सामाजिक सीमाओं पर विचार करें। ये लिंग और लैंगिकता को भी प्रभावित करते हैं।

- उपांत समुदायों (marginalised) के व्यक्तियों के साथ 'पीड़ित' के रूप में व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह उन्हें और अधिक अशक्त बनाता है। 'हमें उन्हें बचाना चाहिए' "The saviour syndrome" स्वर वाले "The saviour syndrome" और 'top down' कथनों से बचें। LGBTQIA+ समुदाय पर उन कहानियों की तलाश करें, जो 'पीड़ित' के रूप में उनकी पहचान पर ध्यान केंद्रित न करती हों।

- LGBTQIA+ लोगों की स्पष्टता के लिए, व्यवसाय, कला, संगीत, साहित्य, मानवाधिकार सक्रियता, वैज्ञानिकों और खिलाड़ियों में समलिंगी और ट्रांस' व्यक्तियों पर ध्यान दें।

- देश भर में LGBTQIA+ समुदाय के सदस्यों का नेटवर्क तैयार करना महत्वपूर्ण है। कई पत्रकार उद्धरणों के लिए, बार–बार उन्हीं लोगों के पास चले जाते हैं। यह LGBTQIA+ समुदाय की विविधता तक पत्रकारों की पहुंच को सीमित करता है, और समुदाय द्वारा अपना प्रतिनिधित्व करने, विविध अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को पहचानने के स्वर को भी सीमित करता है।

- यदि आप एक बीट रिपोर्टर हैं, तो अपने लेख/रिपोर्टिंग सामग्री को शुरुआत से देखने पर जोर दें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेस्क संपादक ने कुछ राजनीतिक रूप से गलत बयान तो नहीं दे दिए है।

- पत्रकार का कार्य निश्चित रूप से, एक कार्यकर्ता होना नहीं है, हालाँकि, यह जानते हुए कि LGBT*QIA+ व्यक्तियों का जीवन कितना पराधीन/अनिश्चित है, यदि आपके सामने ऐसे व्यक्तियों की कहानियाँ आती हैं जिन्हें, सहायता की आवश्यकता है, तो आप, समुदाय के साथ काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों से उन्हें जोड़ सकते हैं।

घ. सन्दर्भ एवं आभारः

इस दस्तावेज को रेनबो लिट फेस्ट–क्वीर एंड इनक्लूसिव (आरएलएफ)के समर्थन से नजरियाः ए क्वीर फेमिनिस्ट रिसोर्स ग्रुप (नजरियाः क्यूएफआरजी) द्वारा एक साथ रखा गया है।

इस दस्तावेज में विभिन्न संगठनों का संसाधनों के रूप में उल्लेख किया गया है, जिसमें एनयूजे प्राइड, सेलेब्रेटिंग एंड सपोर्टिंग लेसिबयन, गे, बाइसैक्शुअल एंड ट्रांसजेंडर मेंबर्स ऑफ द नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स, नजरिया द्वारा LGBTQIA+ रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देशः क्यूएफआरजी, एवियनडब्ल्यूई द्वारा रचित कॉन्शियसली स्पीकिंग और पी सेंथिल कुमार द्वारा औपचारिक शिकायत शामिल है।

मीडिया के लिए दिशानिर्देशों पर इस अंतिम लेकिन विकसित किये जा रहे दस्तावेज तक पहुंचने के लिए, LGBTQIA+ समुदाय के पत्रकारों और समुदाय के साथ और उसके लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों से उनकी राय लेने की एक गहन प्रक्रिया शामिल है। भारतीय प्रेस परिषद द्वारा शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था और श्री प्रदीप कश्यप तथा सुश्री अंजलि कुमारी द्वारा इस विषय पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

नजरिया क्यूएफआरजी और आरएलएफ का यह दस्तावेजः हालांकि, वर्तमान, राजनीतिक रूप से सही और LGBTQIA+ की आवाज के रूप में मौजूद होने से पहले वर्षों की सामग्री और संदर्भों की अच्छी तरह से जांच कर चुका है। दोनों संगठन का सुझाव और मानना है कि चूंकि भाषा विकसित हो रही है, इसलिए इन दिशानिर्देशों पर समय–समय पर दोबारा गौर करने की आवश्यकता है।

******

अध्याय – VI

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा आमंत्रित सुझाव पर माननीय अध्यक्ष के केविएट सहित परिषद की रिपोर्ट 26.09.2023

पृष्ठभूमि और घटनाक्रमः

15 अप्रैल 2023 की देर शाम इलाहाबाद (प्रयागराज) के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय परिसर में अभियुक्त पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ अहमद की हत्या पुलिस की हिरासत में रहते कर दी गई। घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग के अध्यक्ष दिलीप बाबासाहेब भोसले पूर्व मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद हैं। माननीय न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़ के सुप्रीम कोर्ट जाने के फलस्वरूप रिक्त स्थान पर न्यायमूर्ति भोसले ने प्रभार ग्रहण किया था। पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने अभियुक्त की गोली लगने से हुई मृत्यु की घटना जैसी वारदातों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भारतीय प्रेस परिषद से सुझाव मांगे। न्यायिक जांच आयोग (आगे से आयोग) ने 26 जुलाई 2023 के पत्र संख्या 118–2023, दिनांक 11 अगस्त के पत्र संख्या 128 और दिनांक 28 अगस्त के पत्र संख्या–135 द्वारा परिषद का अभिप्राय मांगा गया। 28 अगस्त के पत्र में 16 अगस्त तक सुझाव उपलब्ध कराने की याददेही की गई। भारतीय प्रेस परिषद ने तीन सदस्यों की समिति गठित की जिसकी सूचना 5 सितंबर 2023 के पत्र क्रं 17–8–2023 PCI भेजकर दी गई। समिति में प्रकाश दुबे संयोजक के साथ ही सर्वश्री गुरबीर सिंह और जयशंकर गुप्ता सदस्य हैं। समिति से 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। समिति के सदस्यों की ओर से श्री प्रकाश दुबे ने बारंबार आयोग के माननीय अध्यक्ष से संपर्क किया। उन्होंने अपने आश्वासन के अनुसार स्वदेश आते ही 13 सितंबर 2023 को मुलाकात का समय दिया। विस्तार से घटना के बारे में पत्रकारों की राय और उनकी दुश्चिंताओं पर विचारों का आदान–प्रदान हुआ। श्री दुबे ने बताया कि भारतीय प्रेस परिषद पत्रकारों के आचरण पर समय समय पर निदेश और सुझाव जारी करती है। परिषद के आचरण संबंधी प्रकाशन की प्रति भी आयोग के माननीय अध्यक्ष को सौंपी। उनका सुझाव था कि इसकी प्रतियां पांच सदस्यीय न्यायायिक जांच आयोग के अन्य सदस्यों को भेजी जाएं ताकि वे भी अवगत हो सकें।

सबंधित घटना के कुछ बिंदुओं का क्रमवार संक्षिप्त उल्लेख करने से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी–

क) दोनों भाइयों की हत्या 15 अप्रैल की देर शाम प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल की दहलीज पर उस समय की गई जब उन्हें धूमनगंज की पुलिस लॉकअप से कॉल्विन अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए लाया जा रहा था। अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों और पुलिस के कुछ उच्चपदस्थ अधिकारियों का भी मानना है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए दोनों को रूटीन चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल लाना जरूरी नहीं था। ऐसे संवेदनशील मामलों में आवश्यक चिकित्सा जांच आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के साथ चिकित्सक दल स्वयं पुलिस लॉकअप में जाकर करते हैं। पहले ऐसा हुआ भी है। अभियुक्त अतीक और अशरफ को अस्पताल जाने की प्रक्रिया पर संदेह प्रकट किया गया है।

ख) धूमनगंज के पुलिस लॉकअप से कॉल्विन अस्पताल की दूरी सात किमी है जिसे पूरा करने में 20 मिनट लग गए। मीडिया कर्मियों को और उनकी आड़ में पत्रकार की फर्जी पहचान के साथ उपस्थित तीन हत्यारों को अतीक और अशरफ के मूवमेंट और अस्पताल पहुंचने के समय की पक्की सूचना कैसे मिली? किसने दी होगी? यह चकित करने वाली बात है।

ग) मीडियाकर्मियों को और उनके वेशधारी हत्यारों को दोनों भाइयों के इतना करीब जाकर उनसे बात करने, उनका इंटरव्यू करने की छूट और इजाजत किसी ने दी थी? या नहीं? इस मुद्दे पर जांच आयोग ने विचार किया होगा। अतीक और अशरफ के साथ एकदम सटकर चलनेवाले पत्रकारों की पहचान क्या पहले से सुनिश्चित की गई थी? अगर की गई थी तो फिर पत्रकारिता की आड़ में तीन हत्यारे उनके इतना पास कैसे पहुंच गए कि सटकर कनपटी पर गोली मार सके? क्या उनके पास किसी ज्ञात–ख्यात अखबार टीवी चैनल का पहचान कार्ड–पत्र या फिर सरकार का मान्यता कार्ड था? प्रथमद्रष्टया साक्ष्य हत्या के पीछे गहरी साजिश की ओर संकेत करते हैं? वारदात में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं।

पत्रकार जगत के लिए ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। संवादमाध्यमों के विश्लेषकों के अनुसार प्रथमद्रष्टया साक्ष्य हत्या के पीछे गहरी साजिश की ओर संकेत करते हैं। वारदात में पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकरण से सबसे अधिक धक्का निश्चित ही राज्य के प्रशासन को लगा होगा। इसका एक और बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ कि पत्रकारों की साख पर आंच आई है। एक

बड़ा वर्ग यह मानता है कि जानी बूझी साजिश के अंतर्गत हत्या के लिए पत्रकारों की आड़ ली गई। इसका कारण स्पष्ट है। आम तौर पर पत्रकार, वकील आदि के काम के प्रति आम जनता और प्रशासन में सम्मान का भाव है। इस साख के कारण भीड़–भड़क्के वाले इलाकों में उनको प्रवेश मिलने में आसानी होती है। नौसेना अधिकारी बनकर आए व्यक्ति ने मुंबई में भरी अदालत में खून कर दिया था। उसके पहनावे के कारण अदालत में दाखिल होते समय किसी ने नहीं रोका।

ऐसी वारदातें हुई हैं जिनमें पुलिस का पत्रकार विरोधी चेहरा स्पष्ट रूप से सामने आया है। कुछ उदाहरण इस बात को प्रमाणित करते हैं।

तथ्य

- उत्तर प्रदेश में ही हाथरस जाते समय मलयालम भाषा के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को नौ अक्टूबर 2021 को हिरासत में लिया। एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना की जांच पड़ताल करने पत्रकार कप्पन फोटोग्राफर के साथ जा रहे थे। उ प्र पुलिस ने उनके विरुद्ध UAPA की धाराओं के अतर्गत अभियोग दर्ज किया। प्राथमिकी में इस बात को दर्ज किया गया कि वह दंगे भड़काने जा रहा था। निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक उसकी जमानत याचिका खारिज की गई। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने पर भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित ने जानना चाहा कि पुलिस के पास कोई सबूत है? विस्फोटक पदार्थ या ऐसी कोई चीज बरामद हुई है? उ प्र पुलिस के वकील महेश जेठमलानी ने कहा–जी। सबूत है। पूछा गया–क्या? वकील ने उत्तर दिया–हमने आपत्तिजनक साहित्य बरामद किया है। अभियुक्त बलात्कार पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जा रहा था।

  सुप्रीम कोर्ट की लताड़ और आदेश की वजह से 704 दिन जेल में रहने के बाद सत्र न्यायाधीश ने दो फरवरी 2023 को जमानत आदेश पर हस्ताक्षर किए। अगले दिन उसकी रिहाई हुई। वह जेल में था तब मां का देहांत हो गया। प्रकरण अदालत के विचाराधीन है।

- मणिपुर की नृशंस और शर्मनाक वारदातों की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच जारी है। संपादकों की प्रतिनिधि संस्था एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया ने तथ्यान्वेषण समिति मणिपुर भेजी। भारतीय प्रेस परिषद ने आचार संहिता में पत्रकार संगठनों और संवादमाध्यमों को बार बार आत्म निरीक्षण करते रहने का सुझाव दिया है। इस तरह के मानक निर्देशों की प्रति आयोग के माननीय अध्यक्ष को 13 सितंबर 2023 को भेंट की गई। संपादकों की संस्था एडिटर्स गिल्ड ने इसी पष्ठभूमि में तथ्यान्वेषण समिति

भेजी। उनका उद्देश्य हत्या की घटनाओं के दोषी व्यक्तियों की पड़ताल करना नहीं था। उन्हें स्पष्ट रूप से सिर्फ यह जानना था कि वारदातों के प्रकाशन में संवाद माध्यमों की भूमिका क्या रही? रिपोर्ट जारी होने पर मणिपुर पुलिस ने तथ्यान्वेषण समिति और संपादकों की संस्था की अध्यक्ष के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की। इस तरह की कई घटनाएं हैं जिनसे यह धारणा बनती है कि पुलिस अपनी गलतियां छुपाने के लिए किसी हद तक जा सकती है। पत्रकारों को कर्तव्य वहन करने से रोक सकती है, भले ही वह किसी राज्य की पुलिस हो। यह प्रश्न विचारणीय है कि एक तरफ संवाद संकलन के लिए रवाना हुए पत्रकार के पास पहचान पत्र होने के बावजूद जमानत के लिए साल भर से अधिक जेल में रखना, पूर्व घोषित तथ्यान्वेषण समिति के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई करना जब कि एडिटर्स गिल्ड ने असहमति रखने वाले संबंधित राज्य के पत्रकार संगठनों के कथन को रिपोर्ट के साथ वेबसाइट पर डाला है ताकि दूसरा पक्ष सामने आए। हम इन दोनों मामलों में अपनी तरफ से सिर्फ पत्रकारों के साथ हो रहे व्यवहार की जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में पत्रकारों की आड़ में हत्यारों को पूरी छूट मिलने से आश्चर्य होता है। कहीं ऐसा तो नहीं, कि इस तरह की साजिश की योजना बनाई गई हो ताकि एक तरफ हत्या में पत्रकारों को दोषी ठहराया जा सके और दूसरी तरफ पत्रकारिता करने वाले कर्तव्यनिष्ठ पत्रकारों को भी किसी न किसी बहाने रोकने का आधार मिले?

सिफारिशः

1. प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस और प्रशासन की भूमिका की कड़ाई से जांच हो। पत्रकार जगत की धारणा है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने की सुनियोजित रणनीति बनाई गई थी। अपराध छिपाने के लिए कहा जा सकता है कि पत्रकार के वेष में हत्यारे आए थे। पहले भी इस बात का उल्लेख है कि घंटों तक इंतजार में खड़े पत्रकारों और पत्रकारवेश की आड़ ले रहे हत्यारों को किसी ने नहीं पहचाना जबकि वर्दी वाली पुलिस के साथ सादे वेश में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। घटना की कड़ाई से जांच करने से कई लाभ होंगे। सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि–

क. अपराध करने के लिए पत्रकारों की आड़ लेने की साजिश की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

ख. इस घटना का आसरा लेकर पत्रकारों को संवाद संकलन करने से रोका जा सकता है। उनके काम में बाधा पहुंचाने के लिए इस तरह की दलील दी जा सकती है।संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह भारत में पत्रकारों को किसी प्रकार का विशेष अधिकार या संरक्षण प्राप्त नहीं है। संविधान के अनुच्छेद–19–एक में हर भारतीय को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है।

2. इससे पुलिस को भी अपनी छवि सुधारने का अवसर मिलेगा। अब तक यह माना जाता रहा है और भरपूर उदाहरण दिए जा सकते हैं जब कर्तव्यदक्ष पुलिस और प्रशासनिक कर्मी उन पत्रकारों को संरक्षण देते थे जो अपराधियों, भ्रष्टाचार आदि का भांडा फोड़ते थे। उन्हें धमकियां मिलती थीं, हमले होते थे। कुछ कर्तव्यदक्ष पत्रकारों को प्राणों की बलि देनी पड़ी। जागरूक सामाजिक संगठनों, नागरिकों और पुलिस संरक्षण मिलता रहा है। अब स्थिति में अंतर आ रहा है।

3. साजिश का शक क्यों है? प्रश्न का उत्तर इतनी जानकारी लेने से मिल सकता है कि क्या पुलिस की ओर से किसी पत्रकार या संगठनों को पूर्व सूचना दी गई थी? जांच से पता चलेगा कि पत्रकारों के वेष में आए हत्यारों को कहां से सूचना मिली? हत्या के अभियुक्तों में से एक पहले भी हत्या में शामिल बताया जाता है। इस बात की पड़ताल होनी चाहिए।

4. नई परिस्थिति में सुरक्षा के खतरे की आड़ में किसी भी व्यक्ति को रोका जा सकता है। संक्षिप्त में दो उदाहरण। दिल्ली के संसद सौध में तत्कालीन प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था। कार्यक्रम की रिपोर्टिग करने पहुंचे पत्रकार को पहचान पत्र के साथ ही कार्यक्रम का निमंत्रण दिखाने कहा गया। चकित होकर उसने कहा–ठीक है–आप सब मुझे जानते हैं। उत्तर मिला–राजीव गांधी की हत्या भी पत्रकार बताकर की गई। दूसरा उदाहरण–संसद भवन पर हमले के बाद वे पत्रकार भी चुपचाप सुरक्षाकर्मियों को पहचान पत्र दिखाने लगे जो कई दशक से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थति में इस बात की जांच परम आवश्यक है कि हत्यारों के गोली चलाने पर इस वारदात में पुलिस मौन रहकर क्यों देखती रही? उसने कितनी तत्परता दिखाई? आज तो वीआईपी मूवमेंट के दौरान तक पत्रकारों को पहचान पत्र दिखाने के बावजूद धकेल दिया जाता है।

5. राज्य सरकार से इस बात की जानकारी ली जाए कि पत्रकारों को अधिमान्यता देने का तरीका क्या है? अनेक राज्यों में पत्रकारों को मान्यता देने वाली समितियां या तो अस्तित्व में नहीं हैं या उनमें सिर्फ नौकरशाह सदस्य हैं। अनेक राज्यों में बरसों से अधिमान्यता समितियों का नवीनीकरण नहीं किया गया है। मान्यता देने में विलंब, उपेक्षा, पक्षपात, नियमों का अनादर और अनदेखी आम हैं। आयोग निर्देश दे कि समितियों में पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि हों। सदस्य पत्रकारों और प्रतिनिधित्व पाने वाले नामों में पूरी पारदर्शिता बरती जाए तथा प्रक्रिया को पारदर्शक बनाया जाए। राज्यों में पत्रकारों के पास यही एक पहचान पत्र है जिसके फलस्वरूप उन्हें कर्तव्यपालन में सुविधा मिलती है।

अधिमान्यता समिति यदि वर्तमान में राज्य में अस्तित्व में है तो उसके सदस्योंके नाम और संख्या बताई की जाए। कितने शासकीय, पदैन और कितने पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, यह बताया जाए।

अधिमान्यता (Accreditation) से जुड़ा एक और सुझाव है। मान्यता देने से पहले पत्रकारों की पृष्ठभूमि की पुलिस पड़ताल अनिवार्यतरू होती है। ऐसे में किसी पत्रकार को डराने, धमकाने या दबाव में लाने के लिए मान्यता रद्द करने का प्रयास न हो। आजकल नए संशोधन हो रहे हैं जिनमें कहा जाता है कि राजद्रोह या ऐसे ही किसी कारण से मान्यता देने से मना किया जा सकता है या मान्यतापत्र छीना जा सकता है। बिना प्रमाण के मात्र सत्य लिखने से रोकने के लिए इस तरह के तरीके पर अंकुश लगे। प्रशासन को इस तरह के निर्देश दिए जाएं ताकि फर्जी पत्रकार और अधिकृत पत्रकार के बीच की सीमा रेखा स्पष्ट हो।

6. नए तकनीकी साधनों के कारण नई चुनौतियां आई हैं।

- प्रशासन को कथित सिटीजन पत्रकार और पेशेवर पत्रकार में अंतर करना चाहिए। सोशल मीडिया और वाट्सएप पर एकतरफा, हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जानकारी आने लगी है। इसके पीछे कई बड़े चेहरे और भारी पूंजीनिवेश है। भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कानूनों को इस तरह लागू किया जाए कि समाचार और पत्रकारिता की आड़ लेकर द्वेष न फैलाया जा सके।

- अक्सर देखा गया है कि विद्वेष भरे भड़काऊ बयान देने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई से पुलिस बचती है, नजरअंदाज करती है लेकिन उसकी आलोचना करने वाले पत्रकारों, अखबारों को सताती है। जांच के अधीन प्रस्तुत प्रकरण में इस बात पर विचार किया जाए कि संबंधित राज्य में इस तरह की कितनी घटनाएं हुई हैं? पुलिस के पास रिकार्ड होगा।

7. उ. प्र. सरकार से रिकॉर्ड मांगा जाए–

- कितने पत्रकारों के विरुद्ध राज्य में अभियोग दर्ज हैं?
- पत्रकार की परिभाषा राज्य में क्या स्वीकृत है?
- कितने पत्रकार दोषी पाए, कितने जेल में है और कितने दोषमुक्त हुए ?

8. इस तरह की सुनियोजित साजिश के तहत हुई या हो रही हत्याओं में अपराधी–हत्यारे कभी पत्रकार तो कभी अदालत परिसर में अधिवक्ता का वेश धारण कर हत्या जैसे गंभीर अपराध को अंजाम देते हैं। इसे जनरलाइज कर पत्रकारों अथवा अधिवक्ताओं

को उनकी पेशागत ड्यूटी से रोकना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला ही कहा जाएगा।

9. इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस–प्रशासन और इसका खुफियातंत्र मजबूत और निष्पक्ष भाव से सक्रिय हो, अति विशिष्ट तथा अत्यंत संवेदनशील लोगों के पास अत्यावश्यक नहीं होने पर मीडिया की पहुंच रोकने के बजाए पुलिस–खुफियातंत्र को एहतियाती कदम के साथ मुस्तैद रहना होगा। मीडिया कर्मियों और अधिवक्ताओं की पहचान सुनिश्चित करने के साथ ही उनकी तलाशी–फ्रिस्किंग भी की जा सकती है। अब ऐसे उपकरण आ चुके हैं जिनसे किसी व्यक्ति की पड़ताल कर विस्फोटक या हथियार का पता लगाया जा सकता है। इससे एक तरफ पत्रकारों को अपमानजनक स्थिति से नहीं गुजरना होगा, खासकर तब जब पत्रकारिता में महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं और साहसिक पत्रकारिता में नाम कमा रही हैं। वहीं दूसरी ओर अपराधियों को भनक तक नहीं लगेगी कि उनपर गहरी नजर है।

अंततः

समिति यह एक बार फिर याद दिलाना चाहेगी कि पत्रकारिता या पत्रकारों का मुख्य काम संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना है। आज भी देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का या तो पूरा अर्थ नहीं पता या वे इसका सही–सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पत्रकारिता इस दिशा में एक विश्वसनीय साधन है। उनकी साख पर हमले का इस्तेमाल कर दायित्व से रोकने का मतलब संविधान में मिले अधिकारों से वंचित करने जैसा होगा। इजराइली मूल के सुपरिचित पत्रकार लेखक ने एक इंटरव्यू में पत्रकारों को चुनौतियों के प्रति सचेत करते हुए कहा था–उन्हीं के शब्दों में–In the news market, you are not the customer but the product.

You are being sold.

बदनाम करने या खत्म करने के हर प्रयास के विरुद्ध पत्रकारों के बचाव के लिए यह सर्वसम्मत रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

ह०/–	**ह०/–**	**ह०/–**
प्रकाश दुबे	**गुरबीर सिंह**	**जयशंकर गुप्ता**
संयोजक	**सदस्य**	**सदस्य**

भारतीय प्रेस परिषद
अध्यक्ष कार्यालय

दिनांकः 19.09.2023

अभियुक्त अतीक अहमद और खालिद अजीम उर्फ अशरफ की मृत्यु की घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा आमंत्रित किये गये सुझाव पर परिषद की उप–समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी

अतीक अहमद और खालिद अजीम उर्फ अशरफ के मारे जाने/मृत्यु के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित पांच सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए 26 जुलाई, 2023 के पत्र के माध्यम से पीसीआई से सुझाव मांगे हैं। उक्त पत्र का विषय नीचे उद्धृत हैः

> "दिनांक 15.04.2023 को मोतीलाल नेहरू मंडल अस्पताल परिसर में अभियुक्त अतीक अहमद एवं खालिद अजीम उर्फ अशरफ की मृत्यु/मारे जाने की घटना जैसी वारदातों की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सुझाव मांगने के संबंध में"

21 अगस्त, 2023 को इस पर विचार–विमर्श करके सुझाव सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की गई जिसके सदस्य श्री जय शंकर गुप्ता, श्री प्रकाश दुबे, श्री गुरबीर सिंह थे। समिति ने दिनांक 16 सितंबर, 2023 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

मैंने रिपोर्ट का अवलोकन किया है। कुछ सुझाव स्वीकार्य हैं। हालांकि मेरी राय में, पृष्ठभूमि के वर्णन में समिति ने अपने दायरे को पार किया है। इसने कुछ ऐसे मुद्दों की चर्चा की है जो सर्वथा न्यायिक आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। समिति ने न केवल अपनी टिप्पणियों को प्रथम दृष्टया टिप्पणियां बताया है, बल्कि उन्हें अंतिम निष्कर्ष का ही रूप दे दिया है जो मेरी राय में सही नहीं है। यदि रिपोर्ट को बहुमत द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो निस्संदेह इसे न्यायिक आयोग को भेजा जाएगा। हालाँकि, मैं इसे इस केविएट के साथ भेजना उचित समझती हूँ।

ह0/–
(रंजना प्रकाश देसाई)
अध्यक्ष

अध्याय – VII
प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबंधित शिकायतों में दिए गए न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण

भारतीय प्रेस परिषद को, राजनीतिक दलों, सरकारी प्राधिकरणों, असामाजिक तत्वों या यहां तक कि प्रेस सहित विभिन्न स्रोतों से होने वाले किसी भी संभावित खतरे की निगरानी करके प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करने का दायित्व सौंपा गया है। प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के अनुसार, परिषद का उद्देश्य भारत में न केवल प्रेस की स्वतंत्रता का संरक्षण करना है, बल्कि समाचारपत्रों तथा समाचार एजेंसियों के स्तर में सुधार करना भी है। परिषद ऐसी किसी भी घटना की समीक्षा करती है, जिससे लोकहित और लोक–महत्व के समाचार की उपलब्धता और प्रसार का निर्बन्धन संभाव्य हो। यह समाचारपत्रों, पत्रकारों, संस्थानों या व्यक्तियों द्वारा किसी प्राधिकारी, संगठन, सरकार (राज्य या केंद्र), या व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की गई ऐसी शिकायतों पर विचार करती है, जो प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे में डालती हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद को प्रेस की मुक्त कार्यप्रणाली को कम करने के प्रयासों के आरोपों के संबंध में सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों के विरुद्ध 212 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष के 396 मामलों पर विचार किया जाना लंबित था। 608 मामले जिन पर परिषद द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित था, उनमें से न्याय–निर्णयन के द्वारा 63 मामले समाप्त कर दिये गये, जबकि 200 मामले जांच के लिए पर्याप्त आधार न होने, परिषद के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने या न्यायाधीन होने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार कर दिये गये। 1 मामला सीधे परिषद के समक्ष रखा गया। शेष 344 मामलों पर समीक्षाधीन अवधि की समाप्ति के समय कार्रवाई चल रही थी।

निम्नलिखित आलेख, न्यायनिर्णीत मामलों के लिए प्रतिवादियों, शिकायतकर्ताओं और राज्यों की श्रेणियों की स्थिति स्पष्ट करता है।

प्रेस की स्वतंत्रता को खतरे से संबंधित शिकायतों में दिए गए न्यायनिर्णयों का आलेखी चित्रण

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियां

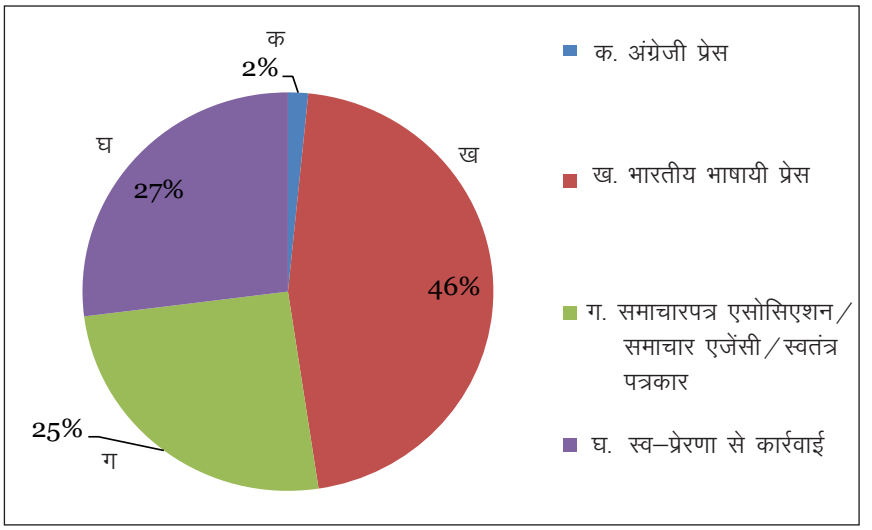

प्रतिवादियों की श्रेणियां

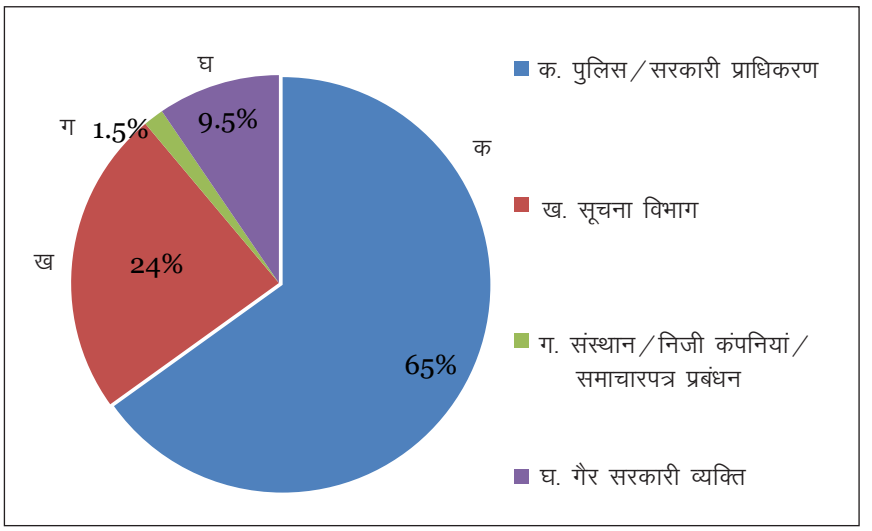

शिकायतकर्ता प्रकाशनों का राज्यवार विवरण

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 63

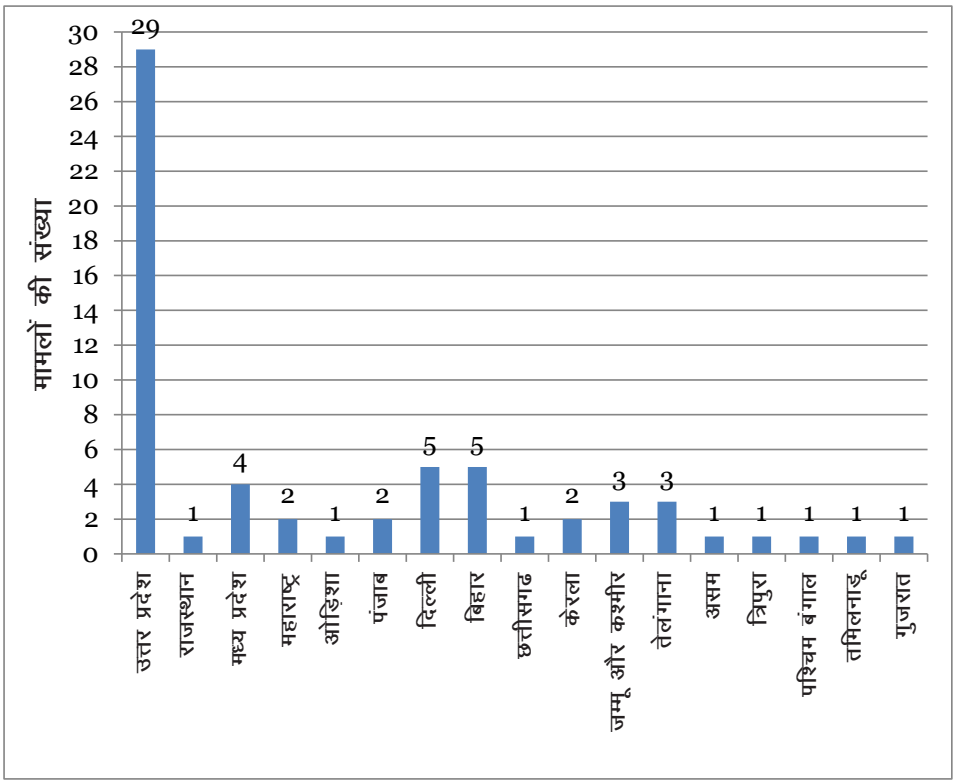

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 63

राज्य	मामलों की संख्या
उत्तर प्रदेश	29
राजस्थान	1
मध्य प्रदेश	4
महाराष्ट्र	2
ओड़िशा	1
पंजाब	2
दिल्ली	5
बिहार	5
छत्तीसगढ़	1
केरल	2
जम्मू और कश्मीर	3
तेलंगाना	3
असम	1
त्रिपुरा	1
पश्चिम बंगाल	1
तमिलनाडू	1
गुजरात	1
कुल	63

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसमें जनमत को ढालने की अपार शक्ति है और इससे जनहित और सूचना के अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि, मुक्त एवं आलोचनात्मक लेखन अपरिहार्य रूप से उन लोगों को उलझन में डालने की क्षमता रखते हैं, जिनके विरूद्ध ऐसे लेख प्रकाशित किये गये हैं।

प्रेस को, बार–बार, अपने वृतिक कर्तव्यों का ईमानदारी से और निष्पक्ष तरीके से निर्वहन करने में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। पत्रकारों को अक्सर विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, जैसे शारीरिक हमला, झूठे आरोप, उनके घरों या प्रेस कार्यालयों पर छापे, अपहरण, और गंभीर मामलों में, यहां तक कि हत्या तक भी – ये सभी कथित तौर पर उनके पत्रकारीय कर्तव्यों से जुड़े होते हैं। पत्रकारों का उत्पीड़न न केवल प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है बल्कि आतंकवादी व उग्रवादी या अन्य असामाजिक तत्व भी उन्हें उत्पीड़ित करते हैं ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, परिषद ने ऐसे कुल **उनत्तीस (29)** मामलों का न्याय–निर्णयन किया। इनमें से, **पांच (5)** मामलों का समर्थन किया गया, जबकि **तेरह (13)** मामलों में कार्रवाई बंद कर दी गई। निपटान किये जाने के कारण **एक (1)** मामला सम. ाप्त कर दिया गया और शेष **दस (10)** मामलों को जारी न रखने/न्यायाधीन होने/प्रत्याहरण/निराधार होने के कारण, उनमें कार्रवाई बंद कर दी गई।

नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को और स्पष्ट करता है।

.

समाचारकर्मियों का उत्पीड़न

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 29

क.	अनुमोदित	5
ख.	कार्रवाई बंद	13
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधन	1
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	10

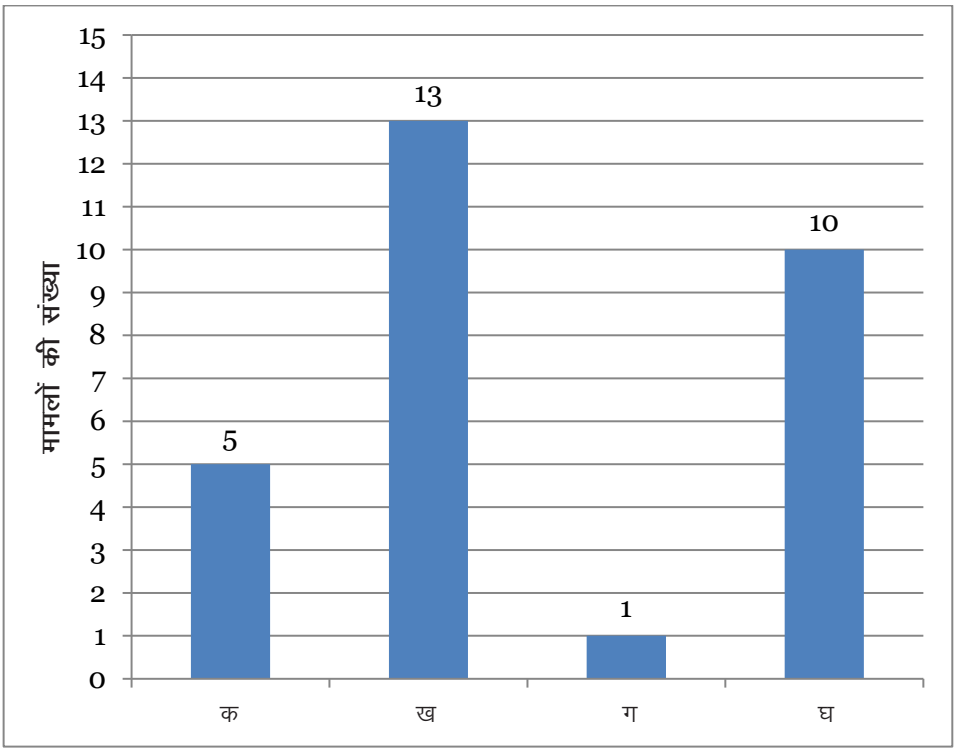

प्रेस को सुविधाएं

संसद द्वारा पारित 1978 के अधिनियम द्वारा भारत में समाचारपत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों में सुधार करने और प्रेस की स्वतंत्रता के संरक्षण के उद्देश्य से भारतीय प्रेस परिषद को अधिदेशित किया गया है। इसे प्रेस परिषद अधिनियम की धारा 13(2)(ङ) द्वारा सुदृण किया गया है, जिसके तहत परिषद को ऐसे किसी भी बात, जिससे लोक–हित के समाचार के प्रदाय और प्रसार का निर्बंधन संभाव्य हो, की निगरानी करने की आवश्यकता होती है। परिषद से कई अवसरों पर यह अनुरोध किया गया है कि वह, विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा विज्ञापनों को अनुचित या मनमाने ढंग से जारी करने से इंकार करने, या पत्रकारों को मान्यता देने से इनकार करने की ऐसी शिकायतों की जांच करे, जिससे उन्हें सरकार से संबंधित समाचार या जानकारी इकट्ठा करने के उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया गया हो। इस तरह की कार्रवाई, समाचारपत्रों, विशेष रूप से मध्यम और लघु श्रेणियों के क्षेत्रीय समाचारपत्रों की वित्तीय सक्षमता पर गंभीर रूप से प्रभाव डाल सकती हैं। परिषद ने देखा है कि, कई बार, समाचारपत्रों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार प्राधिकारी, इनका उपयोग समाचारपत्र के संपादकीय को नियंत्रित करने के माध्यम के रूप में करते हैं।

परिषद ने समीक्षाधीन वर्ष में ऐसे **चौदह (14)** मामलों पर न्यायनिर्णयन किया। इनमें से **दो (2)** मामलों का समर्थन किया गया जबकि **दो (2)** मामलों में कार्रवाई बंद कर दी गई। निपटान किये जाने के कारण शेष **दस (10)** मामलों को समाप्त कर दिया गया।

नीचे दिया गया आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

प्रेस को सुविधायें

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 14

क.	अनुमोदित	2
ख.	कार्रवाई बंद	2
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	10
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	0

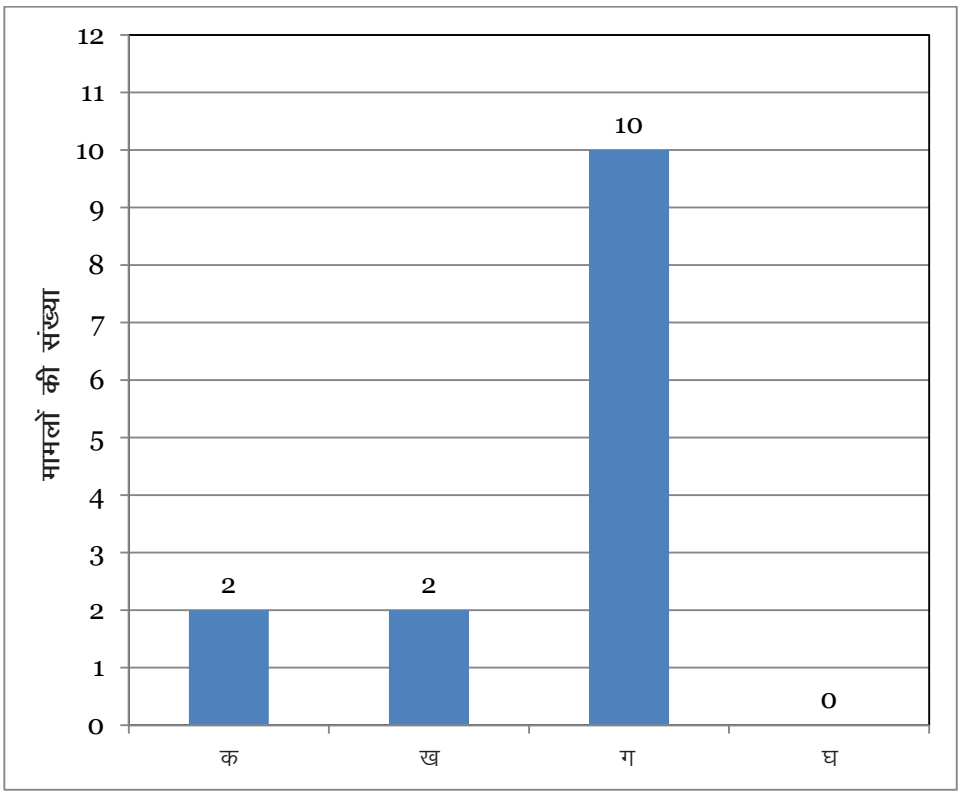

प्रेस की स्वंतत्रता के उल्लंधन के संबंध में स्व–प्रेरणा से कार्रवाई

भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष को प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियमन 13 के तहत, गंभीर चिंतन के मामलों में, अन्य बातों के साथ–साथ प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले या कटौती से संबंधित मामलों में स्व–प्रेरणा से संज्ञान लेने का अधिकार है। तत्पश्चात् प्रेस परिषद (जांच प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 14 के अंतर्गत शिकायत दर्ज किये जाने की तरह जांच विनियम 5 से आगे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

इस वित्तीय वर्ष के दौरान, इस श्रेणी में आने वाले **सत्रह (17)** न्यायनिर्णय उन विशिष्ट साधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका उपयोग प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए किया जा सकता है। इनमें से **एक (1)** मामले का समर्थन किया गया, जबकि **सात (7)** मामलों में कार्रवाई बंद कर दी गई। **एक (1)** मामले का निपटारा कर दिया गया और शेष **आठ (8)** मामलों को जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने के कारण, उनमें कार्रवाई बंद कर दी गई।

निम्नलिखित आलेख इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

.

प्रेस की स्वतंत्रता के उल्लंघन के संबंध में स्व–प्ररेणा से कार्रवाई

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 17

क.	अनुमोदित	1
ख.	कार्रवाई बंद	7
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	1
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	8

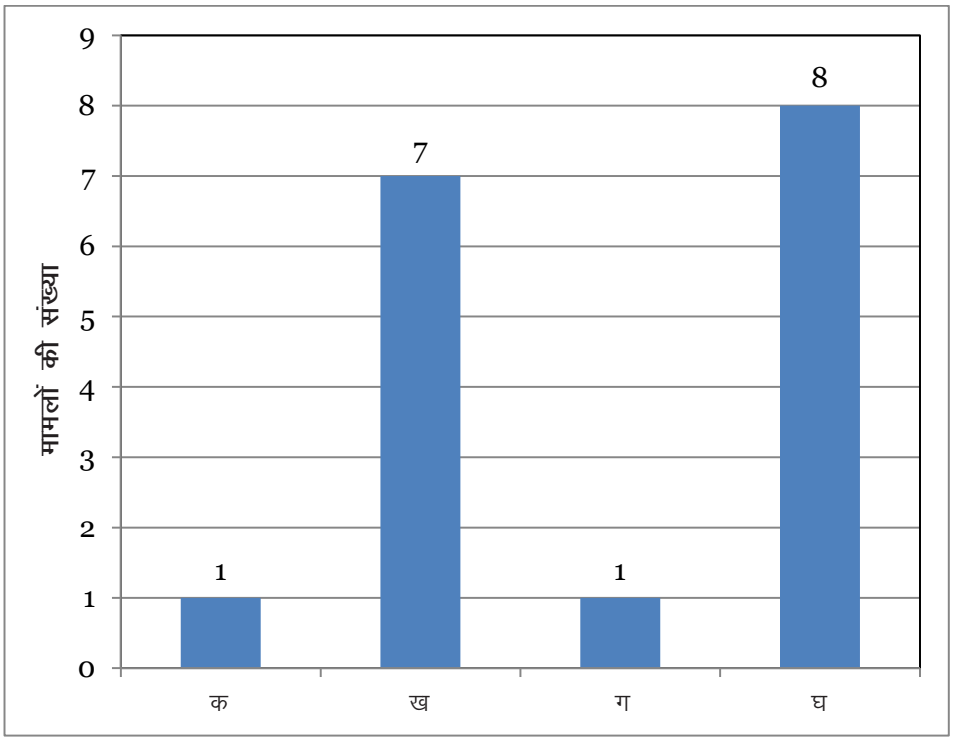

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

प्रेस की स्वतंत्रता प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज का एक मौलिक पहलू है और एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार है, जो अन्य प्रकारों की स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। हालाँकि, विभिन्न संस्थाएँ जैसे प्राधिकरण, राजनीतिक, सामाजिक, या धार्मिक संगठन और अन्य दबाव समूह, अक्सर उन मुद्दों पर, जो उन्हें प्रभावित करते हैं, पर प्रेस के स्वतंत्र विचारों को मूक करने हेतु उसपर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। ऐसा वे पत्रकारों को समाचार कवर करने से रोककर, प्रेस कर्मियों को धमकी देकर या उन पर शारीरिक हमला करके या प्रेस की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर हासिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रेस में छापे मारना, समाचारपत्रों के अंको के परिचालन में बाधा डालना जैसे अन्य तरीके हैं, जिनसे प्रेस की निर्विघ्न कार्यप्रणाली में बाधा डाली जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता को, ऐसे प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए, परिषद प्रेस द्वारा दर्ज शिकायतों के प्राप्त होने पर, उन पर निर्णय लेती है।

परिषद ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान **तीन (03)** ऐसे मामलों पर न्यायनिर्णय किया, जिसमे से **एक (1)** मामले का समर्थन किया गया जबकि **एक (1)** मामले में कार्रवाई बंद कर दी गई। शेष **एक (1)** मामले को शिकायत का निवारण किये जाने के कारण समाप्त कर दिया गया।

नीचे दिया गया आलेख इस स्थिति को स्पष्ट करता है।

प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 3

क.	अनुमोदित	1
ख.	कार्रवाई बंद	1
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	1
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/होने के कारण बंद	0

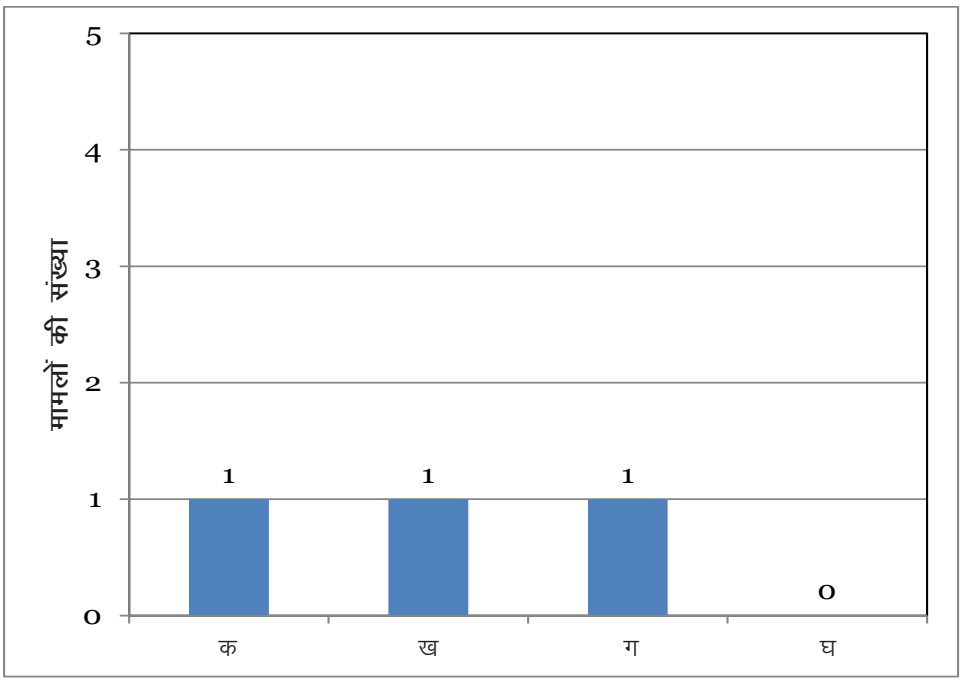

अध्याय–VIII
प्रेस के विरूद्ध दर्ज मामलों में दिए गए न्यायनिर्णयों का सांख्यिकीय विश्लेषण

पिछले अध्याय में हमने, प्राधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा समाचारपत्रों को अपने हिसाब से चलने के लिए समय–समय पर अपनाई गई विभिन्न दबावपूर्ण युक्तियों का अवलोकन किया है। लेकिन यह समग्र तस्वीर का मात्र एक पहलू है। ऐसी कई घटनायें हुई हैं, जहां प्रेस ही अनैतिक गतिविधियों में लिप्त है, जो उच्च पत्रकारिता के विपरीत है।

भारतीय प्रेस परिषद का प्रमुख दायित्व है – प्रेस के स्तर में गिरावट को रोकना और पत्रकारिता–नीति को बनाए रखना तथा उसके विकास को बढ़ावा देना। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, परिषद को पत्रकारिता के औचित्य और रुचि के मान्यता प्राप्त नैतिक सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए, प्रेस के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होती हैं। ये उल्लंघन किसी समाचारपत्र में समाचारों, वक्तव्यों, कार्टूनों, चित्रों, तस्वीरों, स्ट्रिप्स या विज्ञापनों के प्रकाशन या गैर–प्रकाशन संबंधी हो सकते हैं। परिषद, पब्लिक द्वारा संपादकों, श्रमजीवी पत्रकारों या समाचारपत्रों के कर्मचारियों द्वारा वृत्तिक कदाचार के विरुद्ध दायर मामलों पर भी विचार करती है। परिषद, न्यायनिर्णयन और न्यायिक घोषणाओं के माध्यम से प्रेस के लिए आचार संहिता का निर्माण करती है, ताकि वह नैतिक सीमाओं में रहकर अपने कर्तव्य का निर्वाह करते समय उनका अनुपालन करे। परिषद के समक्ष दर्ज की गई शिकायतों के आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि कुल शिकायतों का एक बड़ा हिस्सा प्रेस के खिलाफ था।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिषद को प्रेस के विरूद्ध 775 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष के 944 मामले लंबित थे। अतः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रेस के विरूद्ध परिषद को कुल मिलाकर 1719 शिकायतों पर विचार करना था। इनमें से, 103 मामलों का न्यायनिर्णयों के जरिये निपटान किया गया, 765 मामले दोनों पक्षों की संतुष्टि से निपटाये जाने या कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार की कमी या अनभियोजन या मामला न्यायाधीन होने के कारण शिकायतों को खारिज किये जाने के कारण प्रारंभिक स्तर पर ही समाप्त कर दिये गये। अतः समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के अंत में इस श्रेणी में 851 मामले लंबित थे।

निम्नलिखित आलेख न्यायनिर्णीत मामलों के लिए प्रतिवादियों, शिकायतकर्ताओं और राज्यों की श्रेणियों को दर्शाता है।

.

प्रेस के विरूद्ध दर्ज मामलों में दिए गए न्यायनिर्णयों का आलेखी चित्रण

शिकायतकर्ताओं की श्रेणियां

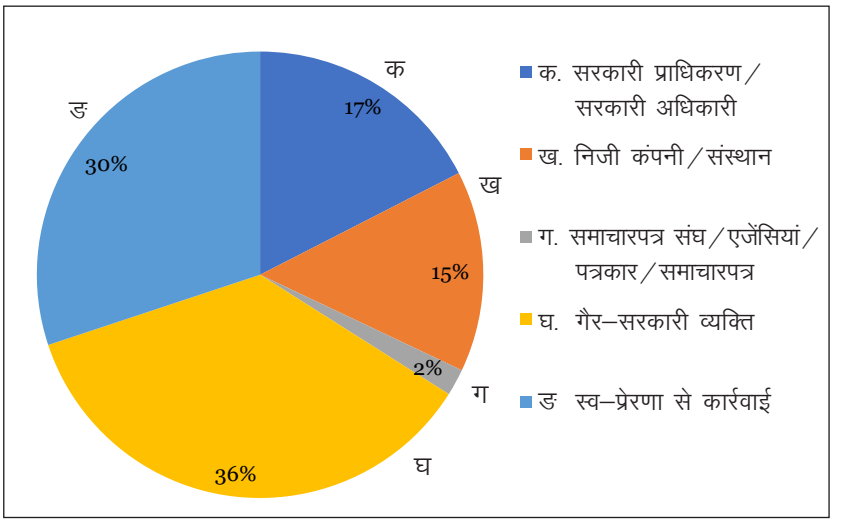

प्रतिवादियों की श्रेणियां

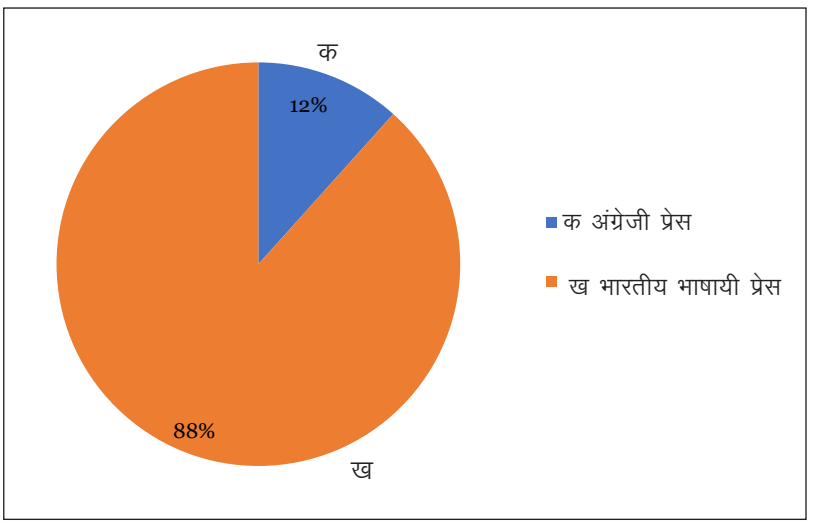

प्रतिवादी प्रकाशनों का राज्यवार विवरण

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 103

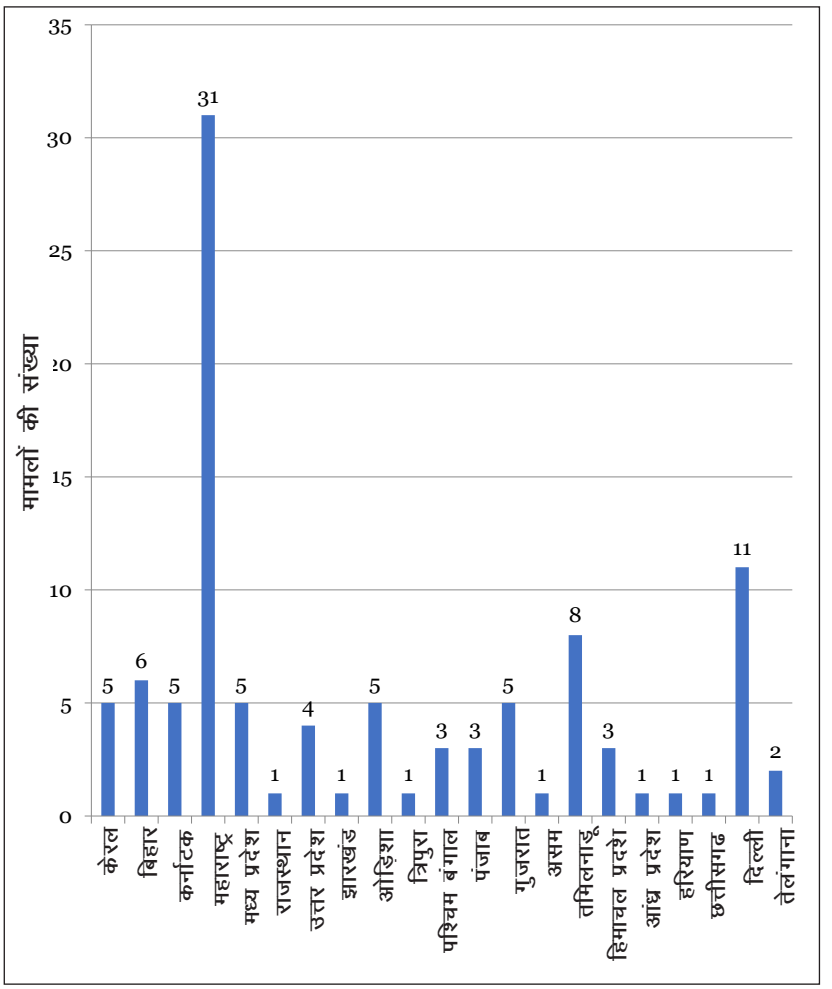

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 103

राज्य	मामलों की संख्या
केरल	5
बिहार	6
कर्नाटक	5
महाराष्ट्र	31
मध्य प्रदेश	5
राजस्थान	1
उत्तर प्रदेश	4
झाारखंड	1
ओड़िशा	5
त्रिपुरा	1
पश्चिम बंगाल	3
पंजाब	3
गुजरात	5
असम	1
तमिलनाडू	8
हिमाचल प्रदेश	3
आंध्र प्रदेश	1
हरियाणा	1
छत्तीसगढ़	1
दिल्ली	11
तेलंगाना	2
कुल	103

सिद्धांत और प्रकाशन

गलतियां मनुष्यों से ही होती हैं और अन्य व्यक्तियों की तरह ही प्रेस भी, कभी–कभी, किसी व्यक्ति या सरकारी कर्मियों और संस्थानों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली गलत रिपोर्टें या लेख प्रकाशित कर सकती है। तुरंत सुधार इसे ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि, अक्सर जब व्यथित व्यक्ति मामले में अपना पक्ष रखते हुए प्रतिवाद या प्रत्युत्तर भेजता है, तो संपादक, उत्तर के अधिकार के सिद्धांतों को नजरअंदाज करते हुए, उसे प्रमुखता देते हुए तुरंत प्रकाशित करने का इच्छुक नहीं होता है।

ऐसी कई अन्य सामान्य आचार नीतियां हैं जो प्रेस को उनके द्वारा कार्रवाई करने में और पाठकों के प्रति उनके रवैये के लिए मार्गदर्शन करती हैं। इनके कथित उल्लंघन के कारण पाठक अपनी शिकायतों के निवारण के लिए परिषद का रूख करते हैं। कई वर्षों से अपनी सांविधिक जिम्मेदारी को निभाते हुए, प्रेस परिषद ने, भिन्न–भिन्न मामलों के आधार पर अपने न्यायनिर्णयों व विभिन्न मुद्दों पर सरकारी प्राधिकरण या संस्थानों या न्यायालयों की घोषणाओं से निकाले गये मार्गदर्शी सिद्धांतों के जरिये पत्रकारिता के आचरण के मानक विकसित किये हैं। परिषद का इन न्यायनिर्णयों के जरिये यही प्रयास रहा है कि वह उस विश्वास, आदर व गरिमा को बनाये रखने में प्रेस की सहायता कर सके, जिसके वह योग्य है।

इस वर्ष परिषद को पत्रकारिता नीति/दिशा–निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुईं। इस वर्ष किये गये न्यायनिर्णयों में से **पच्चीस (25)** न्याय–निर्णय इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनमें से **आठ (8)** शिकायतों का समर्थन किया गया, जबकि **चार (4)** मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हो पाये। निपटारा होने या प्रतिवादी द्वारा आश्वासन दिए जाने पर **तीन (3)** मामलों को समाप्त किया गया। **दस (10)** मामलों को, जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद कर दिया गया।

निम्न आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

सिद्धांत और प्रकाशन

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 25

क.	अनुमोदित	8
ख.	कार्रवाई बंद	4
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	3
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	10

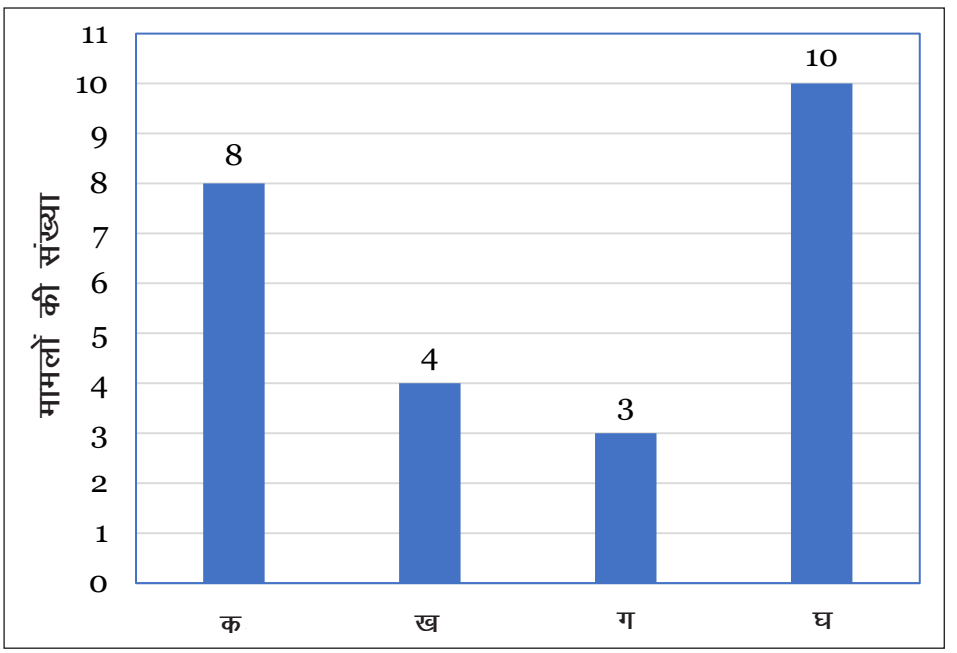

प्रेस और मानहानि

संपूर्ण इतिहास में, एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा, समाज द्वारा उन्हें दिया जाने वाला सम्मान, और उनकी नैतिक और बौद्धिक निष्ठा में रखा गया विश्वास, उनकी सबसे मूल्यवान धरोहर मानी जाती है। मानवीय मूल्यों के संरक्षण और अच्छी सोच प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, मानहानि से संबन्धित पत्रकारिता नीति के मानकों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

जब मानहानि की बात आती है, तो किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और किसी की प्रतिष्ठा का संरक्षण के अधिकार के बीच बहुत ही नाजुक संतुलन होता है। प्रेस को अक्सर इस महीन रेखा से संबन्धित काम सौंपा जाता है, क्योंकि उन्हें मानहानि से बचने के लिए अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ किसी व्यक्ति के अधिकार में संतुलन करना होता है। अतः, व्यक्तियों को बदनाम करने से बचने और उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए प्रेस के लिए सावधानी बरतना और नैतिक मानकों का पालन करना महत्वपूर्ण है।

परिषद ने कथित मानहानिकारक प्रकाशनों के संबंध में इस वर्ष **चौतीस (34)** शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिये। इनमें से **चौदह (14)** शिकायतों का समर्थन किया गया, जबकि **चार (4)** मामलों में आरोपों को अस्वीकार कर दिया गया। **तीन (3)** मामलों में, प्रतिवादी ने या तो सुधार कर लिया या दोनों पक्षों के बीच मामले में समाधान हो गया। **तेरह (13)** शिकायतों में मामलों को जारी न रखने/प्रत्याहरण/निराधार होने के कारण बंद कर दिया गया।

आलेखीय प्रस्तुति स्थिति को और स्पष्ट करती है।

.

प्रेस और मानहानि

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 34

क.	अनुमोदित	14
ख.	कार्रवाई बंद	4
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	3
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने क कारण बंद	13

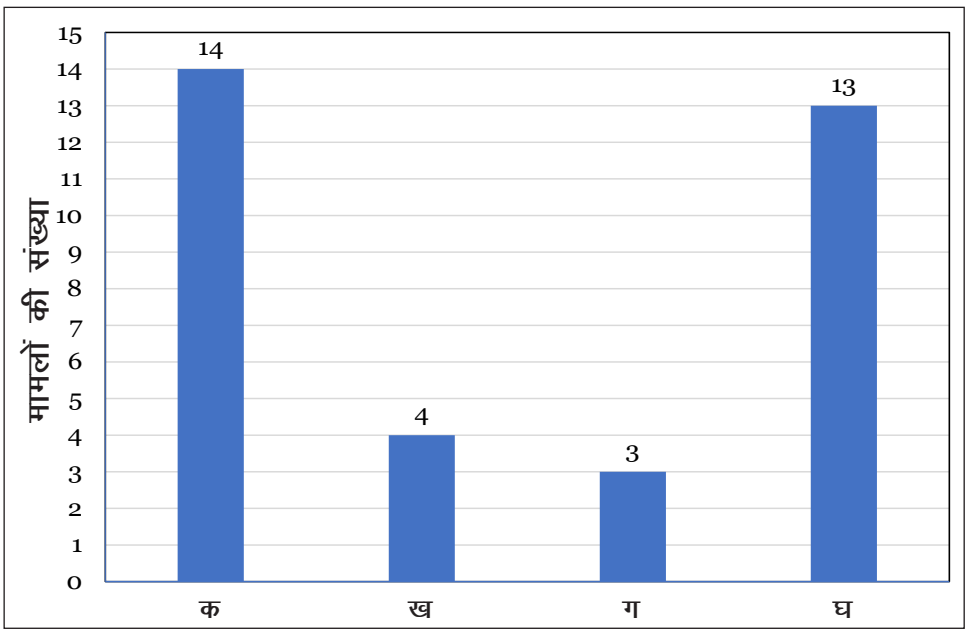

प्रेस और नैतिकता

मीडिया सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुर्भाग्य से, कुछ प्रेस आउटलेट अभद्र और अश्लील सामग्री प्रकाशित करते हैं, जिसमें ऐसी छवियाँ और लेख शामिल हैं जो हो सकता है कि आम जनता के लिए प्रासंगिक न हों। ऐसी सामग्री युवाओं की सोच पर हानिकारक प्रभाव डाल सकती है। समाचारों को सनसनीखेज बनाना, जानकारी इकट्ठा करने के लिए अवैध साधनों का इस्तेमाल करना और अनुकूल कवरेज के बदले में उपहार या एहसान लेना जैसे कार्य प्रेस की विश्वसनीयता को कम करते हैं और नैतिक सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा, अखबार के कॉलम के माध्यम से लोगों को बदनाम करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करना या उनसे पैसे ऐंठना पत्रकारिता के मानकों का घोर उल्लंघन है।

इसके अलावा, मीडिया परिदृश्य में एकांतता अधिकारों की अवहेलना एक और चिंताजनक मुद्दा है। पत्रकारों के पास काफी शक्ति होती है क्योंकि वे सूचना के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और यह महत्वपूर्ण है कि इस शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए क्योंकि यह प्रेस की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।

चार (4) मामलों में, परिषद ने प्रेस और नैतिकता के प्रश्न पर निर्णय लिया। सभी **चारों (4)** शिकायतों में मामले के न्यायाधीन होने/जारी न रखने/वापस लेने/निराधार होने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई।

आलेखीय प्रस्तुति स्थिति को और स्पष्ट करती है।

प्रेस और नैतिकता

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 04

क.	अनुमोदित	0
ख.	कार्रवाई बंद	0
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधन	0
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने क कारण बंद	4

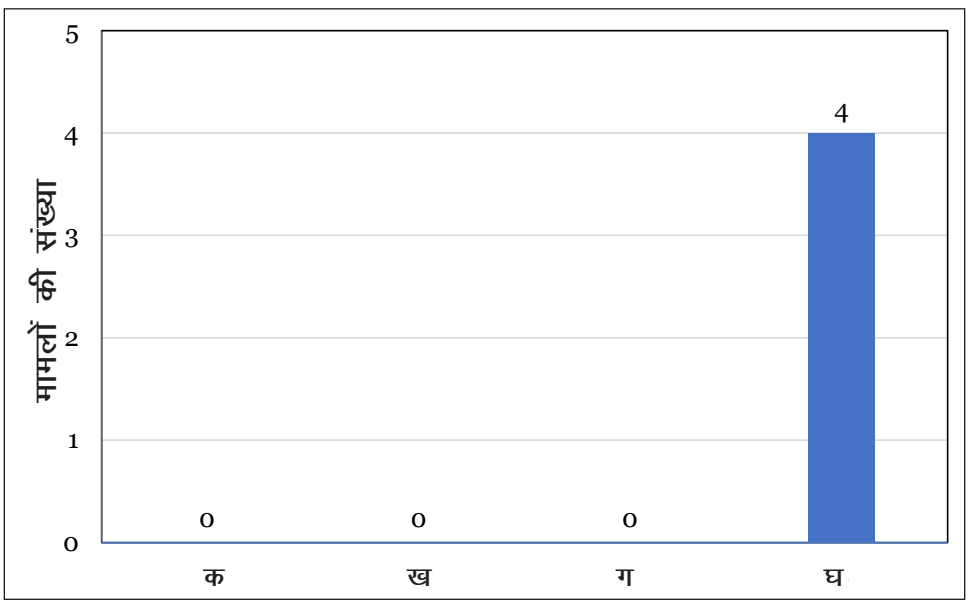

स्व–प्रेरणा से कार्रवाई–प्रेस के विरुद्ध

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के विनियमन 13 के तहत, यदि परिषद के अध्यक्ष द्वारा पत्रकारिता नीति या आचरण के उल्लंघन के संबंध में किसी मामले को गंभीर माना जाता है, तो वे *स्वतः संज्ञान* ले सकते हैं। यह अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर लागू होता है। विनियम 3 के अंतर्गत शिकायत दर्ज किये जाने की तरह जांच भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस परिषद (जांच के लिए प्रक्रिया) विनियम, 1979 के विनियम 5 से आगे निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

इस संबंध में, इस वित्तीय वर्ष के दौरान, इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले **इकत्तीस (31)** न्यायनिर्णयों की जांच की गई। **सात (7)** मामलों का समर्थन किया गया, जबकि **दो (2)** मामले को बंद कर दिया गया। **चौदह (14)** मामलों को प्रतिवादियों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर समाप्त कर दिया गया। मामलों के न्यायाधीन होने/जारी न रखने/वापस लेने/निराधार होने के कारण **आठ (8)** शिकायतों में कार्रवाई बंद कर दी गई।

दिया गया आलेख स्थिति को स्पष्ट करता है।

स्व–प्रेरणा से कार्रवाई–प्रेस के विरूद्ध

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 31

क.	अनुमोदित	7
ख.	कार्रवाई बंद	2
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधन	14
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	8

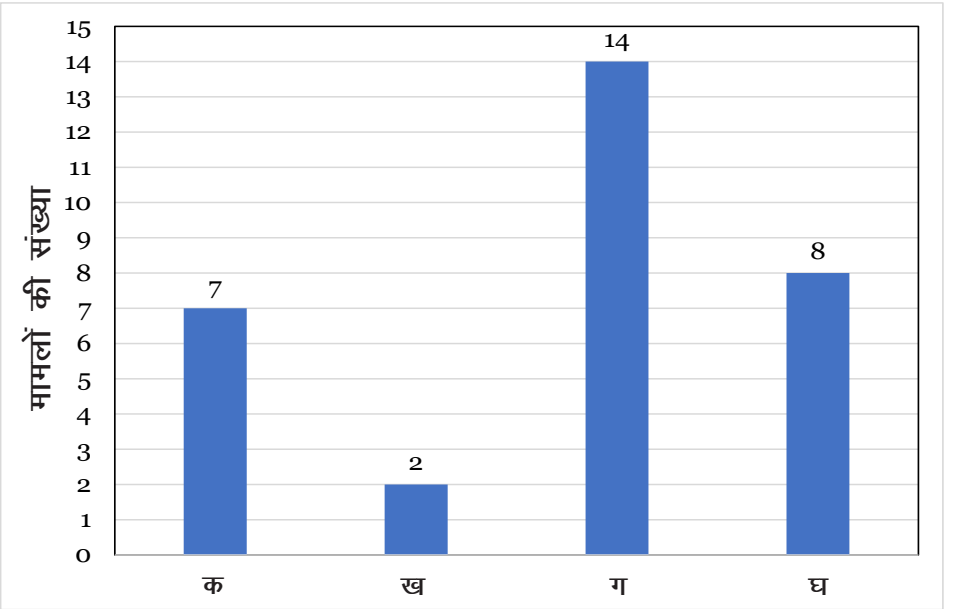

साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र–विरोधी तथा पंथ–विरोधी लेख

राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में समाचारपत्रों और पत्रिकाओं सहित मीडिया का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है। भारत के एक विशाल देश होने के कारण, विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले, विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले और विभिन्न जातियों और पंथों से संबंधित लोग इस देश में रहते हैं। इन विविधताओं के बावजूद, यहां एकता है जोकि भारत का गौरव है। हालाँकि, कुछ विभाजनकारी तत्व, सांप्रदायिकता, जातिवाद और सामाजिक पूर्वाग्रहों का प्रचार करके और साथ ही आर्थिक क्षेत्र में अमीर और गरीब के बीच व्यापक अंतर पैदा करके इस एकता में बाधा डालने का प्रयास करते हैं। मीडिया ऐसी विभाजनकारी ताकतों पर अंकुश लगाने और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने इस श्रेणी में **छः (6)** शिकायतों पर न्यायनिर्णय दिया। **तीन (3)** मामलों का समर्थन किया गया और **दो (2)** मामलों को बंद कर दिया गया तथा **एक (1)** मामले को निराधार होने के कारण समाप्त कर दिया गया।

दिया गया आलेख स्थिति को स्पष्ट करता है।

.साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र–विरोधी तथा पंथ–विरोधी लेख

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 6

क.	अनुमोदित	3
ख.	कार्रवाई बंद	2
ग.	आश्वासन / निपटान / संशोधन	0
घ.	जारी न रखने / प्रत्याहरण / न्यायाधीन / निराधार होने के कारण बंद	1

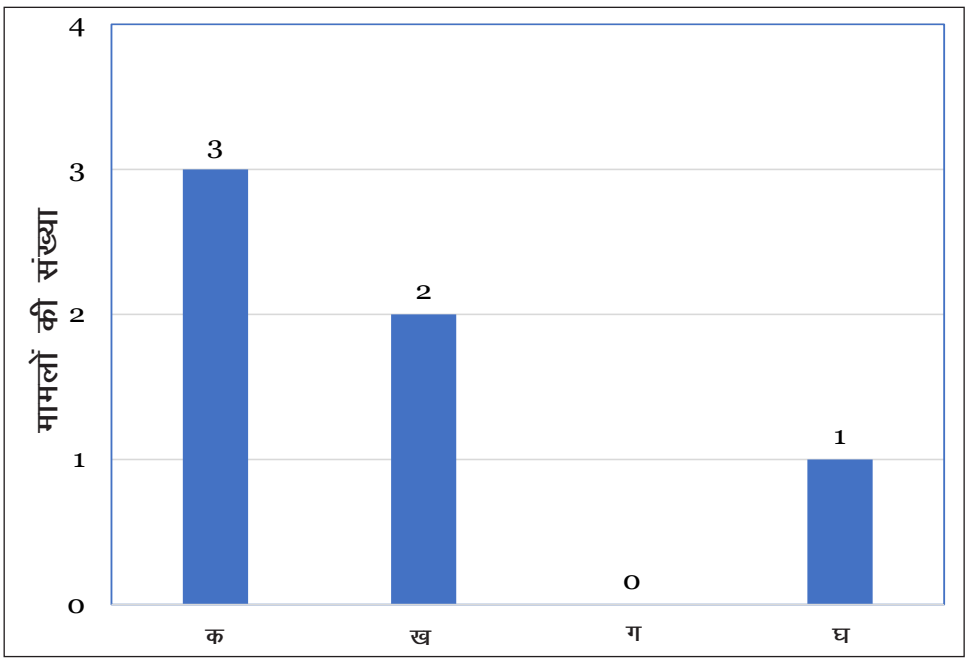

भ्रामक विज्ञापन

समाचार पत्रों को ऐसा विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए जो सार्वजनिक शालीनता, सद्रुचि या पत्रकारिता की नैतिकता या औचित्य के विपरीत हो। भ्रामक विज्ञापन सार्वजनिक सुरक्षा और समाचार पत्रों के नैतिक मानकों के लिए जोखिम पैदा करते हैं। लंबाई या यौन प्रदर्शन में बढ़ोतरी का दावा करने वाली दवाओं या औषधियों के विज्ञापन गलत उम्मीदें पैदा कर सकते हैं और दूषित प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके अलावा, भ्रामक नौकरी संबंधी विज्ञापन जिनमें काम की प्रकृति या नियोक्ता की पहचान के बारे में विवरण के बिना, केवल फोन नंबर दिया जाता है, मानव तस्करी को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे अनजान व्यक्ति असुरक्षित हो सकते हैं।

इसके अलावा, गलत सूचना को रोकने के लिए एचआईवी, एसटीआई, त्वचा रोग और तपेदिक जैसे संक्रमणों से सुरक्षा के दावों की जांच की जानी चाहिए। समाचार पत्रों की यह जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित करें कि विज्ञापन स्पष्ट, सत्य और सूचनाप्रद हों ताकि अनैतिक अभ्यास को बढ़ावा देने और जनता को गुमराह करने से बचा जा सके। पत्रकारिता की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने और व्यक्तियों को नुकसान से बचाने के लिए विज्ञापनों में उचित विवरण दिया जाना आवश्यक हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, परिषद ने इस श्रेणी के अंतर्गत **तीन (3)** शिकायतों पर न्यायनिर्णय किया। **एक (1)** मामले का समर्थन किया गया तथा **दो (2)** शिकायतों को शिकायतकर्ता के संबंध में टिप्पणी के साथ बंद कर दिया गया।

आलेख स्थिति को और स्पष्ट करता है।

भ्रामक विज्ञापन

न्यायनिर्णीत मामलों की संख्याः 3

क.	अनुमोदित	1
ख.	कार्रवाई बंद	2
ग.	आश्वासन/निपटान/संशोधन	0
घ.	जारी न रखने/प्रत्याहरण/न्यायाधीन/निराधार होने के कारण बंद	0

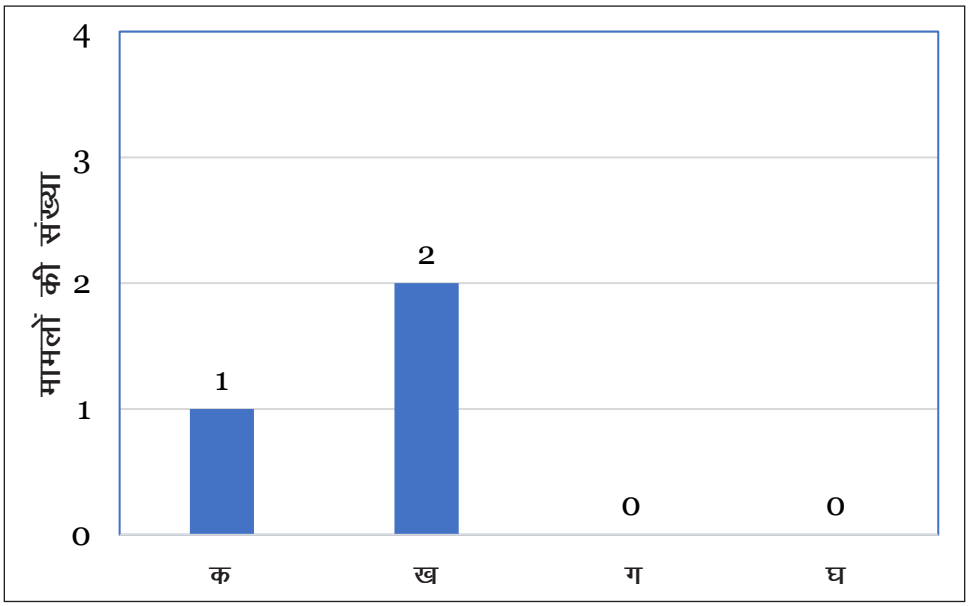

अध्याय–IX
परिषद का वित्त 2023–24

परिषद की निधि के मुख्य स्त्रोत हैंः– (i) भारतीय समाचारपत्र रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं पर तथा समाचार एजेंसियों पर परिषद द्वारा लगाया गया शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियाँ यथा जमा राशि पर ब्याज आदि और (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए परिषद का बजट अनुमान, जैसाकि केंद्रीय सरकार द्वारा वर्ष 2023–24 में स्वीकृत किया गया था, 1821.00 लाख रूपये था। वर्ष 2023–24 हेतु अनुमानों में परिशोधन करके केंद्र सरकार ने 1064 लाख रूपये (सहायता अनुदान) स्वीकार किये जिसमें अनुमानित 285.77 लाख रूपये की परिषद की राजस्व आवतियां शामिल हैं।

परिषद ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में केंद्र सरकार से 996.73 लाख रूपये कुल सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त किये और पिछले वर्ष (2022–23) के अंत में 57,66,490 रू० की अव्ययित शेष राशि थी। जबकि परिषद ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समाचारपत्रों/पत्रिकाओं व समाचार एजेंसियों पर लगाये गए शुल्क और अन्य विविध प्राप्तियों यथा बैंक खाते पर ब्याज, बैंक मे एफ०डी०आर० पर ब्याज इत्यादि से 285.77 लाख रू० एकत्रित किये। इसमें से 285.77 लाख रूपये लेवी शुल्क से प्राप्त हुए और 52.69 लाख रूपये समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्य विविध प्राप्तियों, जैसे बैंक खाते पर ब्याज, बैंक में एफडीआर पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त हुए।

प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 22 में यह प्रावधान है कि "भारतीय प्रेस परिषद के लेखे उस विधि से रखे और लेखा परीक्षित किए जाएंगे जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित की जाए।" वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए भारतीय प्रेस परिषद के वार्षिक लेखे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार रखे गए थे। लेखा परीक्षा महानिदेशक, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली के लेखा परीक्षा दल ने उनकी लेखा परीक्षा करके प्रमाणित किया है कि वे उनसे संतुष्ट हैं।

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय प्रेस परिषद के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 22 के साथ पठनीय नियंत्रक और महा–लेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत उस तिथि तक भारतीय प्रेस परिषद (परिषद) के तुलनपत्र और आय तथा व्यय लेखे/प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष हेतु लेखा परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है ।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा पद्धतियों के अनुरूप, लेखा स्तरों और मानकों का प्रकटीकरण आदि के संबंध में लेखा विवेचन पर ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां हैं। विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता) और दक्षता–सह–निष्पादन के पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी, यदि कोई हो, की निरीक्षण रिपोर्टों/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट की जाती है।

3. हमने अपनी लेखा परीक्षा आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की है। इन मानको में अपेक्षित है कि वित्तीय विवरण गलत विवरण से मुक्त है अथवा नहीं, के बारे में समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना एवं निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में जांच आधार पर वित्तीय विवरणों के प्रकटन और राशि के समर्थन में साक्ष्य का परीक्षण सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमान के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के संपूर्ण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हमारा प्रतिवेदन है कि :

i हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण, जोकि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से आवश्यक थे, प्राप्त कर लिये हैं।

ii तुलन पत्र, आय और व्यय लेखे/प्राप्तियां और भुगतान लेखे जिनका इस रिपोर्ट से संबंध है, को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट में तैयार किया गया है ।

iii हमारी राय में, जहां तक इन बहियों के हमारे परीक्षण से दृष्टिगोचर होता है, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 19 एवं 20 के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद द्वारा समुचित खाता बहियां और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गये हैं।

iv हमारा आगे प्रतिवेदन है किः

क सामान्य

क.1 चालू देनदारियों के अंतर्गत 85.21 लाख रुपए की राशि "उगाही शुल्क उचंत" के रूप में दर्शाई गई है। पीसीआई को इस राशि का मूल अभिलेखों से समाधान करने और सस्पेंस खाते का जल्द से जल्द निपटान करने की जरूरत है। पिछले वर्षों में रिपोर्ट के माध्यम से भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था, लेकिन, परिषद द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क.2 1990–91 से 2022–23 तक अनुसूची–6 (विविध देनदारों के रूप में वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम आदि) के तहत 'लेवी शुल्क के कारण' (6 महीने से अधिक समय से) के अंतर्गत 1454.52 लाख रुपये की राशि बकाया थी। इसमें से 95.32 लाख रू. की राशि 1990–91 से 2017–18 की अवधि की लंबित थी। इन लंबे समय से लंबित अग्रिमों की समीक्षा की जानी चाहिए और उपयुक्त प्रावधान किए जाने की जरूरत है या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इस राशि को बट्टे खाते डाल दिया जाना चाहिए।

क.3 पीसीआई ने पक्षों (सीसीडब्ल्यू/सिविल, सीसीडब्ल्यू/इलेक्ट्रिकल, आदि) को अनुसूची–6 में दर्शाए अनुसार 'अग्रिम और प्राप्त होने वाले मूल्य के लिए नकद या वस्तु के रूप में वसूली योग्य अन्य राशि' शीर्षक के तहत 42.27 लाख रुपये का अग्रिम दिया। इन बकाया अग्रिमों का जल्द से जल्द निपटान और समायोजन किये जाने की जरूरत है।

क.4 पीसीआई ने 2023–24 के दौरान जीवनांकिक (एक्चुरियल) आधार पर सेवानिवृत्ति लाभों के लिए प्रावधान नहीं किया है जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 15 और लेखा के एकरूप फॉर्मेट का उल्लंघन है। रिपोर्ट के माध्यम से पिछले वर्षों की रिपोर्ट के दौरान भी इस ओर ध्यान दिलाया गया था, लेकिन परिषद द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

क.5 पिछले वर्ष (2022–23) के आंकड़ों में 1.36 लाख रुपये की राशि, वर्ष 2023–24 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखे में 'पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए अन्य भुगतान' के रूप में दिखाई गई हैं। हालांकि, वर्ष 2022–23 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में यह राशि 18.33 लाख रुपये दिखाई गई थी। इसमें सुधार किया जाए।

ख सहायता अनुदान

वर्ष 2023–24 के दौरान, भारतीय प्रेस परिषद को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से 9.27 करोड़ रुपये की सहायता अनुदान राशि और 2.86 करोड़ रुपये की आंतरिक आय प्राप्त हुई। पिछले वर्ष की 0.58 लाख रुपये की राशि अप्रयुक्त शेष थी, जिसे वर्ष के दौरान सूचना

एवं प्रसारण मंत्रालय को वापस कर दिया गया। 12.13 करोड़ रुपये की कुल निधि में से, पीसीआई ने 10.75 करोड़ रुपये का उपयोग किया और वर्ष के अंत में 1.38 करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए।

ग प्रबंधन पत्रः

जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से परिषद के ध्यान में लाया गया है।

v. पूर्व अनुच्छेद में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हमारा प्रतिवेदन है कि तुलनपत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, जिनका संबंध इस रिपोर्ट से था, खाता बहियों के अनुरूप हैं ।

vi. हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, कथित वित्तीय विवरण जोकि लेखा नीतियों तथा लेखों पर टिप्पणियों के साथ पठनीय है और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखा–परीक्षा प्रतिवेदन के संलग्नक में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित पक्ष रखते हैं।

(क) जहां तक इसका संबंध 31 मार्च, 2024 को भारतीय प्रेस परिषद के कार्य के तुलनपत्र से है, तथा

(ख) जहां तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए अधिशेष के आय एवं व्यय लेखे से है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
हेतु और उनकी ओर से

ह0/–
राजीव कुमार पांडे
लेखापरीक्षा महानिदेशक (केंद्रीय व्यय)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 11/11/2024

संलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

परिषद की अपनी आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा नहीं है। परिषद की आंतरिक लेखा परीक्षा 2017–18 से 2020–21 की अवधि के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई थी। वर्ष 2021–22 से 2023–24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा अभी भी लंबित है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित कारणों से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है:

- सांविधिक ऑडिट आपत्तियों के लिए प्रबंधन की प्रतिक्रिया प्रभावी नहीं है क्योंकि 2008 से 2021 की अवधि के लिए बाह्य ऑडिट (सीएण्डएजी) के 6 ऑडिट पैरा और आंतरिक ऑडिट के 2017–21 की अवधि के 2 लेखापरीक्षा पैरा अभी भी बकाया हैं।
- जोखिम निर्धारण और प्रबंधन सूचना प्रणाली, जोकि परिषद की निर्विघ्न कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक हैं, परिषद में नहीं पाए गए ।
- वर्ष 2023–24 के दौरान नियत परिसंपत्तियों और वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया।

3. परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2022–23 के लिए, नियत परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया तथा वर्ष 2023–24 का लंबित है।

4. वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली

वर्ष 2022–23 के लिए, पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी एवं अन्य उपभोज्य वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है तथा वर्ष 2023–24 का लंबित है।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

लेखा बही के अनुसार 31 मार्च 2024 को सांविधिक देयता के संबंध में छह महीनों से अधिक भुगतान बकाया नहीं था।

तुलन पत्र

31 मार्च 2024 तक

भारतीय प्रेस परिषद
31 मार्च, 2024 तक का तुलन पत्र

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
देयता			
पूंजीगत निधि	1	21,06,00,296	21,67,42,408
अंशदायी भविष्य निधि	2	8,45,33,783	7,69,22,381
वर्तमान देयता और प्रावधान	3	3,18,05,832	2,31,69,082
कुल		**32,69,39,912**	**31,68,33,871**
परिसम्पत्ति			
नियत परिसम्पत्ति	4	5,92,77,430	5,99,09,577
निवेश – उदिद्ष्ट निधि	5	9,07,33,031	8,64,78,217
वर्तमान परिसम्पत्ति, ऋण, अग्रिम आदि	6	17,69,29,451	17,04,46,077
कुल		**32,69,39,912**	**31,68,33,871**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 13
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां 14

ह0/–
डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

'हमारे समक्ष प्रस्तुत लेखा पुस्तकों के अनुरूप'
जी एस आर ए एवं एसोसिएट्स के लिए
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

(आशीष गर्ग)
पार्टनर
एम.सं.–541263

भारतीय प्रेस परिषद
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आय और व्यय लेखा

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
लेवी शुल्क एवं अन्य से आय	7	1,82,76,775	1,93,72,887
सरकार से अनुदान	8	7,25,30,223	6,65,23,064
अर्जित ब्याज	9	52,69,048	48,47,026
कुल (क)		**9,60,76,045**	**9,07,42,977**
व्यय			
स्थापना व्यय	10	7,55,59,852	6,45,05,085
अन्य प्रशासनिक व्यय	11	2,60,25,531	1,95,48,286
वित्त खर्च	12	627	678
मूल्यह्रास	4	14,75,027	16,70,576
कुल (ख)		**10,30,61,037**	**8,57,24,625**
– पूर्व अवधि समायोजन जमा (नामे) – आय के व्यय से अधिक होने के कारण शेष राशि (क–ख) – सामान्य रिजर्व में/से अंतरण		(69,84,991)	50,18,353
अधिशेष/(घाटा) तुलन पत्र में ले जाया गया		(69,84,991)	50,18,353
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	13		
आकस्मिक देयता और लेखा टिप्पणियां	14		

ह0/–
डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

'हमारे समक्ष प्रस्तुत लेखा पुस्तकों के अनुरूप'
जी एस आर ए एवं एसोसिएट्स के लिए
(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

(आशीष गर्ग)
पार्टनर
एम.सं.–541263

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2024 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 1–पूंजी निधि

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. पूंजी निधि				
वर्ष के आरंभ में शेष	7,79,35,945		7,67,40,751	
जोड़े : वर्ष के दौरान पूंजीकृत निधि	8,42,880		11,95,194	
	7,87,78,825		7,79,35,945	
घटाएं: अनुपयोगी घोषित परिसंपत्तियों पर बट्टे खाते डाली गई राशि	-	7,87,78,825		7,79,35,945
ख. आय और व्यय लेखा:				
वर्ष के आरंभ में शेष	13,88,06,462		13,37,88,110	
जोड़ें / (घटाएं) : आय और व्यय खाते से अंतरित निवल आय / (व्यय) का शेष	(69,84,991)		50,18,353	
जोड़े / (घटाएँ) अन्य समायोजन		13,18,21,471		13,88,06,462
योग		**21,06,00,296**		**21,67,42,408**

ह0 / –
डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0 / –
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

अनुसूची 2 – सी.पी.एफ. निधि

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क)	निधि का अथ शेष		7,69,22,381		7,72,91,273
ख)	निधि में वृद्धि				
i.	सी.पी.एफ. में परिषद का योगदान	22,31,561		17,74,320	
ii.	सी.पी.एफ. अग्रिम वसूली	-		-	
iii	सी.पी.एफ. में कर्मचारियों का योगदान	73,70,250		60,58,080	
iv	सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज - कर्मचारियों का योगदान	35,21,728		30,16,028	
v	सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज – परिषद का योगदान	20,37,159		18,58,995	
			1,51,60,698		1,27,07,423
	योग (क+ख)		**9,20,83,079**		**8,99,98,696**
ग)	निधि के उद्देश्यों पर उपयोग / व्यय सी.पी.एफ. प्रत्याहरण	(17,00,000)		(9,04,122)	
	सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	(65,54,152)		(95,07,639)	
	वसूल किए गए / (भुगतान किए गए) सीपीएफ अग्रिम	7,27,856		(26,64,554)	
	पूर्व अवधि समायोजन	(23,000)		-	
	एनपीएस में अंतरण		(75,49,296)		(1,30,76,315)
वर्ष के अंत में निधि का निवल शेष (क+ख–ग)			**8,45,33,783**		**7,69,22,381**

अनुसूची 3–चालू देयताएं और प्रावधान

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	शुल्क की अग्रिम उगाही	34,01,701	33,53,614
2	उगाही शुल्क उचंत	85,20,871	85,20,749
3	प्रतिभूति जमा	42,450	55,105
4	अव्ययित अनुदान	1,37,89,853	57,66,490
5	अन्य चालू देयताएं	-	15,918
6	पूर्व कर्मचारी के वारिस को देय	-	-
7	सांविधिक देय राशि	2,12,842	(2,425)
8	एनपीएस अभिदान	73,557	1,05,029
9	व्यय के लिए प्रावधान	57,64,558	53,54,602
योग		**3,18,05,832**	**2,31,69,082**

अनुसूची: 4
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2024

विवरण	सकल ब्लॉक					
	1.04.2023 को लागत	अथ समायोजन	वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बिक्री/अंतरण	31.3.2024 को लागत
			180 दिन तक	180 दिन के बाद		
वातानुकूलक और कूलर	25,95,647.60	-	59,400.00			26,55,047.60
बायोमेट्रिक मशीन	70,341.00	-		35,150.00		1,05,491.00
कार और बाइसिकल	25,49,890.70	-				25,49,890.70
कंप्यूटर/पेरिफ़रल	66,01,984.83	-		4,83,000.00		70,84,984.83
संगोष्ठी कक्ष						
– सिविल कार्य	21,32,836.00	-				21,32,836.00
– संगोष्ठी तंत्र	1,97,595.00	-				1,97,595.00
– इलैकिट्रकल फिटिंग्स एवं फिक्सचर्स	5,09,211.00	-				5,09,211.00
– फर्नीचर और फिक्सचर्स	5,00,000.00	-				5,00,000.00
संगोष्ठी तंत्र	27,820.00	-				27,820.00
ईपीएबीएक्स तंत्र	5,41,485.00	-				5,41,485.00
फ्रैंकिंग मशीन	67,558.00	-		1,49,850.00		2,17,408.00
फर्नीचर और फ़िक्सचर	61,78,001.36	-	12,250.00			61,90,251.36
हीट कन्वैक्टर और हीटर	3,07,751.74	-	26,894.00	48,221.00		3,82,866.74
पट्टे पर ज़मीन	5,16,76,214.00	-				5,16,76,214.00
पुस्तकालय की किताबें	11,49,216.46	-	8,076.00	1,039.00		11,58,331.46
मोबाइल फ़ोन	73,021.00	-				73,021.00
कागज कतरन मशीन	1,46,936.00	-				1,46,936.00
रेफ्रिजरेटर	99,850.00	-				99,850.00
सौर वाटर हीटिंग तंत्र	-	-				-
स्टेबिलाइज़र	53,261.76	-				53,261.76
टेप रिकार्डर	18,924.00	-				18,924.00
टेलीविजन	4,78,836.00	-				4,78,836.00
जल वितरक	1,27,336.00	-	19,000.00			1,46,336.00
इंवर्टर और बैट्रियां	(17,281.00)	-				(17,281.00)
जूसर मिक्सर ग्राइंडर	7,000.00	-				7,000.00
एयर प्यूरीफायर	3,94,604.00	-				3,94,604.00
सीसीटीवी कैमरा (एक्सेसरी सहित)	2,45,135.00	-				2,45,135.00
वैक्यूम क्लीनर	4,499.00	-				4,499.00
सेनिटाइज़र डिस्पेंसर	7,990.00	-				7,990.00
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	6,96,422.00	-				6,96,422.00
Total	**7,74,42,086.45**	**-**	**1,25,620.00**	**7,17,260.00**	**-**	**7,82,84,966.45**

ह0/–
डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

अनुसूचीः 4
के तुलन पत्र का अंग हैं

मूल्यह्रास दर	मूल्यह्रास						निवल ब्लॉक	
	31.3.2023 तक	अथ समायोजन	वर्ष हेतु	31.3.2023 तक बेची गई संपत्तियों का मूल्यह्रास	बट्टे खाते	कुल मूल्यह्रास	31.3.2024 को डब्ल्यू डी वी	31.3.2023 को डब्ल्यू डी वी
15.00%	13,46,604.01		1,96,267.00		-	15,42,871.01	11,12,176.59	12,49,043.59
15.00%	11,012.00	-	11,536.00		-	22,548.00	82,943.00	59,329.00
15.00%	18,40,750.00	-	1,06,371.00		-	19,47,121.00	6,02,769.70	7,09,140.70
40.00%	58,04,254.36	-	4,15,692.00		-	62,19,946.36	8,65,038.47	7,97,730.47
15.00%	15,00,378.00	-	94,869.00		-	15,95,247.00	5,37,589.00	6,32,458.00
15.00%	1,26,306.00	-	10,693.00		-	1,36,999.00	60,596.00	71,289.00
10.00%	3,08,260.00	-	20,095.00		-	3,28,355.00	1,80,856.00	2,00,951.00
10.00%	2,72,809.00	-	22,719.00		-	2,95,528.00	2,04,472.00	2,27,191.00
15.00%	27,640.00	-	27.00		-	27,667.00	153.00	180.00
15.00%	4,49,364.00	-	13,818.00		-	4,63,182.00	78,303.00	92,121.00
15.00%	46,495.00	-	14,398.00		-	60,893.00	1,56,515.00	21,063.00
10.00%	32,95,646.95	-	2,89,460.00		-	35,85,106.95	26,05,144.41	28,82,354.41
15.00%	1,23,280.55	-	35,321.00		-	1,58,601.55	2,24,265.19	1,84,471.19
0.00%	-	-	-		-	-	5,16,76,214.00	5,16,76,214.00
40.00%	10,90,280.46	-	27,013.00		-	11,17,293.46	41,038.00	58,936.00
15.00%	46,493.00	-	3,979.00		-	50,472.00	22,549.00	26,528.00
15.00%	20,030.00	-	19,036.00		-	39,066.00	1,07,870.00	1,26,906.00
15.00%	59,060.93	-	6,118.00		-	65,178.93	34,671.07	40,789.07
40.00%	(1,320.81)	-	528.00		-	(792.81)	792.81	1,320.81
15.00%	43,750.52	-	1,427.00		-	45,177.52	8,084.24	9,511.24
15.00%	12,342.00	-	987.00		-	13,329.00	5,595.00	6,582.00
15.00%	3,35,816.45	-	21,453.00		-	3,57,269.45	1,21,566.55	1,43,019.55
15.00%	63,352.81	-	12,447.00		-	75,799.81	70,536.19	63,983.19
15.00%	(20,932.73)	-	548.00		-	(20,384.73)	3,103.73	3,651.73
15.00%	5,093.00	-	286.00		-	5,379.00	1,621.00	1,907.00
15.00%	1,37,914.00	-	38,504.00		-	1,76,418.00	2,18,186.00	2,56,690.00
15.00%	1,13,031.00	-	19,816.00		-	1,32,847.00	1,12,288.00	1,32,104.00
15.00%	1,737.00	-	414.00		-	2,151.00	2,348.00	2,762.00
15.00%	2,650.00	-	801.00		-	3,451.00	4,539.00	5,340.00
40.00%	**4,70,412.00**	**-**	**90,404.00**		**-**	**5,60,816.00**	**1,35,606.00**	**2,26,010.00**
	1,75,32,509.49		**14,75,027.00**	**-**	**-**	**1,90,07,536.49**	**5,92,77,429.96**	**5,99,09,576.96**

ह0/–
डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2024 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 5 – निवेश

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
मियादी जमा				
अथ शेष : मूल राशि	8,33,23,245		7,35,74,220	
: प्रोदभूत ब्याज	31,54,972	8,64,78,217	28,60,418	7,64,34,638
जोड़ें : वर्ष के दौरान एफ डी आर में बढ़ोतरी		8,75,75,854		8,33,38,181
: वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	18,17,589		13,16,572	
: वर्ष के दौरान प्रोदभूत ब्याज	31,72,113	49,89,702	31,54,972	44,71,544
घटायें : वर्ष के दौरान भुनाये गये अथवा परिपक्व एफडीआर	8,75,60,918	(8,83,10,742)	8,33,23,245	(7,77,66,146)
योग		**9,07,33,031**		**8,64,78,217**

ह0/–
डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2024 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 6 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क.	चालू परिसंपत्तियां:				
1.	*विविध देनदार:*				
	- उगाही शुल्क के कारण (6 महीने के भीतर)	-	-	-	-
	- उगाही शुल्क के कारण (6 महीने से अधिक)	14,54,52,214	14,54,52,214	14,96,17,480	14,96,17,480
2.	*रोकड़ शेष*				
	(डाक टिकटों और अग्रदाय सहित)				
	अग्रदाय लेखा शेष	50,000		50,000	
	डाक टिकटें	74,274	1,24,274	35,490	85,490
3.	*बैंक शेष:*				
	- अनुसूचित बैंकों के पास:				
	- इंडियन बैंक	43,24,755		20,95,141	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सामान्य खाता	94,15,097		36,21,348	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – परिक्रामी खाता	3,46,865		3,86,680	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – उगाही शुल्क खाता	-		-	
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – सी.पी.एफ. खाता	34,63,544	1,75,50,261.28	30,49,942	91,53,111.42
	निक्षेप खाते				
	- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया – परिक्रामी खाता	83,23,433		80,62,926	
			83,23,433		80,62,926
4.	*अग्रिम रूप से जमा किया गया कर:*	2,49,901			
	टीडीएस काटा गया		2,49,901		
	योग (क)		**17,17,00,083**		**16,69,19,007**

ह0/–
डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2024 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 6 – चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
	ख. ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां				
1	**स्टाफ को ऋण:**				
	- मनोरंजन एवं आतिथ्य अग्रिम	5,000		-	
	- स्टाफ को विविध व्यय के लिए अग्रिम	78,683		12,100	
	- उत्सव अग्रिम	281		281	
	- कंप्यूटर/लैपटॉप अग्रिम	48,468			
	- एल.टी.सी. अग्रिम	46,577		1,32,984	
	- स्टेशनरी सामग्री, डाक की खरीदारी के लिए अग्रिम	-	1,79,009	-	1,45,365
2	**प्राप्त मूल्य के लिए रोकड़ या जिन्स में वसूल की जाने वाली अन्य राशियां और अग्रिम**				
	- पुस्तकों, पत्रिकाओं के लिए अग्रिम				
	- पार्टियों को अग्रिम	44,84,187		30,40,013	
	- यात्रा भत्ता अग्रिम	6,787		6,787	
	- स्रोत पर काटा गया कर	-		-	
			44,90,974		30,46,800
3	**प्रोद्भूत आय**				
	क) परिक्रामी खाते के निक्षेपों पर		5,56,311		3,31,831
	ख) श्रीमती शशि टंडन (पूर्व कर्मी) के निक्षेपों पर		-		-
	ग) श्री अजय मदान के निक्षेपों पर		-		-
	घ) सुश्री संगीता मलिक के निक्षेपों पर		-		-
	ड.) श्री रमेश गोयल (पूर्व कर्मी) के निक्षेपों पर		-		-
	योग (क+ख)		**17,69,29,451**		**17,04,46,077**

ह0/–
डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2024 के आय एवं व्यय लेखा का अंग हैं

अनुसूची 7–उगाही शुल्क से तथा अन्य आय

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/समाचार एजेंसियों से प्राप्त कुल उगाही शुल्कः	2,21,32,975		1,60,95,200	
	जोड़ेः पिछले वर्ष के लिए की गई मांग	1,79,16,501		1,88,44,000	
	घटाएं : पिछले वर्षों के लिए प्राप्त शुल्क	(79,88,264)		(63,83,672)	
	घटाएं : चालू वर्ष के लिए प्राप्त शुल्क	(1,23,97,147)		(78,16,196)	
	घटाएं : अग्रिम/उचंत/विविध प्राप्त शुल्क	(17,47,564)	1,79,16,501	(18,95,332)	1,88,44,000
2	अन्य (स्पष्ट करें)				
	- स्थायी परिसंपत्ति एवं रद्दी कागज़ की बिक्री पर लाभ	6,922		9,174	
	- सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए शुल्क	716		700	
	- स्मारिका में विज्ञापन से आय	1,35,600		-	
	- बट्टे खाते में डाली गई शेष राशि से आय	-		-	
	- अन्य	2,17,036	3,60,274	5,19,013	5,28,887
	योग		**1,82,76,775**		**1,93,72,887**

ह0/–
डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2024 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 8 – अनुदान

विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान और सहायिकी)				
- केंद्र सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)				
- वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	9,27,21,843		6,23,14,141	
- जोड़ें: पिछले वर्ष का अव्ययित अनुदान	57,66,490		1,98,65,443	
	9,84,88,333		8,21,79,584	
- घटाएं : सी.पी.एफ. निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान	55,58,887		48,75,023	
- घटाएं: स्थिर परिसंपत्तियों के लिए प्रयुक्त अनुदान	8,42,880		11,95,194	
- घटाएं: पिछले वर्ष से संबंधित अव्ययित अनुदान लौटाया गया	57,66,490		38,19,813	
- घटाएं: चालू वर्ष का अव्ययित अनुदान	1,37,89,853	7,25,30,223	57,66,490	6,65,23,064
योग		**7,25,30,223**		**6,65,23,064**

अनुसूची 9 – अर्जित ब्याज

क्र. स.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	**सावधि निक्षेपों पर**				
	क) अनुसूचित बैंकों के पास				
	- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	44,87,349		40,43,579	
	- परिक्रामी निधि खाता	5,02,353		4,27,965	
	- सामान्य निधि खाता		49,89,702		44,71,544
2	**बचत खातों पर:**				
	क) अनुसूचित बैंकों के पास				
	- सामान्य निधि खाता	1,03,724		1,53,745	
	- सीपीएफ खाता (सामान्य निधि में अंतरित)	1,65,641		2,11,488	
	- उगाही शुल्क खाता	-		-	
	- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	9,981	2,79,346	10,249	3,75,482
3	**ऋणों पर**				
	क) कर्मचारी / स्टाफ़				
	- आवास निर्माण अग्रिम				
	योग		**52,69,048**		**48,47,026**

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2024 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 10 – स्थापना व्यय

विवरण		चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	वेतन और मजदूरी		6,12,01,565		5,66,68,736
2	वेतन की बकाया राशि		5,14,298		7,17,612
3	समयोपरि भत्ता				-
4	ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति		8,95,500		6,63,750
5	चिकित्सा प्रतिपूर्ति		26,76,585		21,87,155
6	एल.टी.सी.		5,60,779		3,49,792
7	अर्जित छुट्टी का नकदीकरण		8,23,339		2,21,136
8	भविष्य निधि में अंशदान		46,37,486		39,14,123
9	स्टाफ़ को प्रशिक्षण		72,800		2,000
10	कर्मचारियों को दिया जाने वाला मानदेय		1,77,500		
11	सेवा निवृत्ति लाभ		40,00,000		-
			7,55,59,852		6,47,24,304
12	घटाएं: स्टाफ को वसूली				(2,19,219)
योग			**7,55,59,852**		**6,45,05,085**

ह0/–
डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
रंजना प्रकाश देसाई
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद
अनुसूचियां जो 31 मार्च, 2024 के तुलन पत्र का अंग हैं

अनुसूची 11 – अन्य प्रशासनिक व्यय

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1	बिजली और पानी		32,77,852		31,96,459
2	कार्यालय व्यय		39,48,046		22,99,399
3	मरम्मत और रखरखाव		42,44,367		31,98,746
4	वाहनों की मरम्मत और रखरखाव		1,93,018		4,19,830
5	यात्रा और परिवहन व्यय		60,35,048		39,83,825
6	किराया, पौर कर और कर		8,59,109		6,39,053
7	डाक टिकट, टेलीफोन और संचार प्रभार		8,72,687		5,90,372
8	मुद्रण और स्टेशनरी		28,61,035		16,20,650
9	समाचारपत्र और पत्रिकाएं		2,16,400		1,76,994
10	हिंदी प्रोत्साहन पुरस्कार		44,738		58,571
11	बीमा		77,403		79,615
12	कानूनी और वृत्तिक प्रभार		6,01,330		3,53,520
13	मनोरंजन एवं आतिथ्य		6,88,514		4,17,370
14	प्रदर्शनी, संगोष्ठी एवं परीक्षा		9,34,186		3,94,779
15	अन्य – विविध और वर्दी व्यय		-		1,71,267
16	विज्ञापन व्यय		8,236		8,648
17	अन्य व्यय				5,51,846
18	फ्रैकिंग मशीन की एएमसी		-		22,066
19	भिन्न–भिन्न अनुभागों के लिए अन्य पुस्तकें		50,096		46,177
20	मीडिया निगरानी सेवाएँ		2,64,320		-
21	चतुर्थ श्रेणी के लिए ड्रेस		15,000		-
22	क्लाउड सेवाएं		5,27,800		-
23	अन्य व्यय		29,668		-
24	बट्टे खाते		(23,000)		7,96,148
25	सदस्यता व्यय		4,248		-
26	वेबसाइट डेवलपमेंट संबंधी खर्च		2,52,680		4,71,051
27	स्वच्छ भारत परियोजना संबंधी व्यय		42,750		51,900
	योग		**2,60,25,531**		**1,95,48,286**

अनुसूची 12–वित्त प्रभार

	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क)	नियत ऋणों पर		-		-
ख)	अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित)		627		678
	योग		**627**		**678**

भारतीय प्रेस परिषद

31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 13–महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. **लेखा परिपाटी**
   वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी, जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाए, के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. **लेखा प्रणाली**
   परिषद लेखा प्रोद्भवन प्रणाली का पालन कर रही है– जब तक कि कोई अन्य विवेचित न की जाए।

3. **निवेश**
   क. अंशदायी भविष्य निधि के विरूद्ध निवेश को उद्दिष्ट निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
   ख. परिक्रामी (ऋण एवं अग्रिम) लेखे के विरूद्ध निवेश को वर्तमान परिसंपत्तियां माना गया है।
   ग. निवेश को मूलधन मूल्य पर दर्शाया गया है क्योंकि उस पर प्रोद्भूत ब्याज से वृद्धि हुई।

4. **नियत परिसंपत्तियां**
   नियत परिसंपत्तियों को, उन पर ड्यूटी तथा कर सहित अर्जन की मूल्य लागत पर विवेचित किया गया है। अर्जन से संबद्ध अन्य प्रत्यक्ष व्ययों को पूंजी में परिणत नहीं किया गया है।

5. **मूल्यह्रास**
   मूल्यह्रास आयकर नियमों में विहित दरों के अनुसार चार्ज किया जा रहा है। हालांकि निश्चित परिसंपत्ति की बिक्री के मामले में लाभ/हानि, बिक्री के वर्ष में ही स्वतः अंकित हैं।

6. **सरकारी अनुदान**
   (क) सरकारी अनुदान में से एक वर्ष में खर्च हुई राशि के अनुसार हिसाब किया जाता है। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अव्ययित अनुदान को अलग रख लिया जाता है या वर्ष–प्रति–वर्ष अपनाई गई नीति के अनुसार इसे वर्ष के अंत में सरकार को लौटा दिया जाता है।
   (ख) नियत परिसंपत्तियों में जोड़ने के लिए उपयोग किए गए अनुदान को पूजीगत निधि में अंतरित किया गया है।
   (ग) अंशदायी भविष्य निधि पर ब्याज के लिए प्रयुक्त अनुदान को अंशदायी भविष्य निधि खाते में अंतरित किया गया है।

7. **सेवानिवृत्ति लाभ**
   (क) सेवानिवृत्ति लाभ का लेखा नकद आधार पर रखा गया है इसलिए देय उपदान, छुट्टी भुनाने आदि का कोई प्रावधान नहीं है।
   (ख) वे कर्मचारी, जिनके खाते को एनपीएस में अंतरित कर दिया गया है, के अतिरिक्त परिषद अपने स्वयं के सी.पी.एफ. फंड को संधारित कर रही है।

ह0/–
(डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
(रंजना प्रकाश देसाई)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस परिषद

31.3.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं की अंश निर्माण संबंधी अनुसूची

अनुसूची 14– आकस्मिक देयता और लेखाओं पर टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयता

परिषद के विरूद्ध दावे की ऋण के रूप में प्राप्ति स्वीकार नहीं की गई है– रूपये शून्य (गत वर्ष शून्य)।

ख. लेखाओं पर टिप्पणियां

1. वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम एवं सीपीएफ निधि

क. वर्गीकृत राशियों में विविध देनदारों, पुस्तकों और आवधिकों के लिए अग्रिमों, पक्षों को अग्रिम, परिवहन भत्ता का अग्रिम एवं कर्मचारियों को लोन/की संबद्ध पक्षों/विभागों से पुष्टि नहीं की गई है/समाधान नहीं किया गया है।

ख. परिषद–प्रबंधन की राय में, अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों, कर्जों और अग्रिमों का वसूली योग्य मूल्य होता है जोकि कम–से–कम, आमतौर पर व्यवसाय में तुलनपत्र में दर्शायी गई राशि के समान है।

ग. सीपीएफ निधि में शेष राशि और सीपीएफ के लिए तदनुरूपी उद्दिष्ट निवेश का समाधान नहीं किया गया है।

2. कराधान हेतु प्रावधान

यह देखते हुए कि परिषद की आय को कर से मुक्त रखा गया है, कराधान का कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

3. आंकड़ों का समूहीकरण

गत वर्ष के समान आंकड़ों का, जहां कहीं आवश्यक हो, पुनः समूहीकरण/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

4. उगाही शुल्क

(क) उगाही शुल्क उचंत (कुल 85,20,870/– रू.):

उगाही शुल्क उचंत खाता, जिसकी राशि **85,20,870/–** रू. है, उगाही शुल्क से संबंधित है जोकि एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए या सीधे बैंक में जमा कराने से प्राप्त हुए। प्रबंधन के पास इसकी पहचान के लिए कोई विवरण/दस्तावेज नहीं हैं। अतः इसे उचंत खाते में रखा गया है तथा पिछले वर्षों में अपनाई गई नीति के अनुसार प्रकाशकों के साथ इसका समाधान होने के बाद ही इसे लेवी शुल्क में जोड़ा जाएगा।

(ख) <u>अग्रिम उगाही शुल्क (कुल 34,01,701/– रू.):</u>

पिछले वर्षों की **17,47,442/–** रू. बकाया राशि के साथ वर्ष के दौरान रिकॉर्ड किया गया इस वर्ष **16,54,259/–** रू. का अग्रिम उगाही शुल्क समाधान के अधीन है। (01 अप्रैल 2023 को **33,53,614/–** रुपये की बकाया राशि मे से **16,99,355/–** रुपये घटा दिये गए हैं, यानी पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान अग्रिम रूप से प्राप्त राशि, चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान समायोजित है।)

5. **<u>बोनस की घोषणा:</u>** परिषद ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में अपने कर्मचारियों के लिए किसी बोनस की घोषणा नहीं की और न ही कोई भुगतान किया है।

6. **<u>बैंक शेष:</u>** बैंक शेष को परिषद के बही खातों के अनुसार लिया गया है। हालांकि बैंकों के अनुसार शेष राशि का समाधान करने के लिए समाधान विवरण तैयार कर दिया गया है। प्रबंधन ने समाधान में बकाया राशि की निम्नलिखित प्रविष्टियों पर गौर किया है।

ह0/–
(डॉ. धीरजलाल एम. काकडिया)
सचिव
भारतीय प्रेस परिषद

ह0/–
(रंजना प्रकाश देसाई)
अध्यक्ष
भारतीय प्रेस परिषद

भारतीय प्रेस
31.03.2023 को समाप्त वर्ष

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. अथ शेष				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय लेखा)		50,000		50,000
ख) बैंक शेष				
- टीएसए खाता	-		-	
- इंडियन बैंक	20,95,141		97,61,922	
- सामान्य निधि	36,21,348		1,00,53,521	
- उगाही शुल्क खाता	3,86,680		3,72,831	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	-		-	
- सी.पी.एफ खाता	30,49,942	91,53,111	1,19,28,701	3,21,16,976
ग) डाक टिकटें		35,490		23,973
II. प्राप्त अनुदान				
क) भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) से (वापस लौटाए गए अप्रयुक्त अनुदान का शुद्ध योग)		8,69,55,353		6,23,14,141
III. प्राप्त ब्याज				
क) बैंक निक्षेपों पर				
- एफडीआर पर प्रोद्भुत ब्याज	-		-	
- सावधि निक्षेप	-		-	
- बचत खाते	2,79,346	2,79,346	3,75,482	3,75,482
ख) ऋण, अग्रिम आदि		-		-
IV. उद्ग्रहण शुल्क और अन्य आय (स्पष्ट करें)				
उद्ग्रहण शुल्क प्राप्त	2,21,32,976		1,60,95,199	
विज्ञापन पावती	1,35,600			
स्थायी परिसंपत्ति की बिक्री			1,93,100	
सूचना का अधिकार	716		700	
विविध प्राप्तियां	1,05,146		5,19,014	
रद्दी कागज़ की बिक्री	6,922		8,920	
वसूली –				
- वेतन (विविध)	1,16,721		2,10,077	
- पुस्तकों से				
- ई ओएल से				
- स्मारिका में विज्ञापन से आय		2,24,98,081		1,70,27,010
V. परिपक्व निवेशों से प्राप्तियां				
क) एफडीआर को भुनाना				
- परिक्रामी निधि लेखा				
- सी.पी.एफ. लेखा	-		-	
- सामान्य निधि	-		-	
- कर्मचारी हेतु	-	-	-	-

परिषद
के लिए प्राप्तियां और भुगतान

भुगतान	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
I. व्यय				
क) स्थापना व्यय	7,32,52,105		6,01,36,881	
(अनुसूची 10 के अनुसार)				
ख) प्रशासनिक व्यय	2,35,08,132		2,02,44,940	
(अनुसूची 11 के अनुसार)				
ग) विविध व्यय	12,93,424			
II. निधि से किए गए भुगतान		9,80,53,661		8,03,81,821
क) परिक्रामी निधि में से किए गए भुगतान (ऋण और अग्रिम)				
- ऋणों का संवितरण				
- उत्सव अग्रिम	-		-	
- गृह निर्माण अग्रिम	-		-	
- मोटर कार अग्रिम	-		-	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस. अग्रिम	-		-	
ख) सी.पी.एफ. निधि से	-	-	-	-
- स्टाफ को अग्रिम/आहरण				
- परिषद से जा रहे कर्मचारियों को अंतिम भुगतान	-		-	
III. किए गए निवेश और निक्षेप	-	-	-	-
क) उद्दिष्ट/एन्डाउमेंट निधियों से				
- परिक्रामी निधि के प्रति (ऋण और अग्रिम)				
- सी.पी.एफ. निधि के प्रति	86,04,152		1,34,36,898	
ख) अपनी निधि से	-		60,00,000	
(निवेश–अन्य)				
- सुरक्षा जमा राशि	13,832		25,000	
- कर्मचारी के लिए	1,55,673	87,73,657	1,71,785	1,96,33,683
IV. स्थायी परिसंपत्तियों पर व्यय				
क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद				
- पुस्तकालय की पुस्तकें	9,115		24,294	
- वातानुकूलक एवं कूलर	59,400		2,71,718	
- कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर				
- फर्नीचर तथा फिक्चर	12,250		1,83,710	
- हीट कन्वेक्टर	75,115		66,292	
- वॉटर डिस्पेंसर	19,000		44,290	
- कंप्यूटर एवं पेरिफेरल्स	4,83,000		4,64,796	
- एयर प्यूरीफायर				
- स्टेबलाइजर्स			7,100	
- बॉयोमीट्रिक मशीन	35,150		28,994	
- लीज होल्ड लैंड				
- पेपर श्रेडिंग मशीन			82,000	
- फ्रैकिंग मशीन	1,49,850			
- टेलीवीजन, ऑडियो सिस्टम और अन्य				
- रेफ्रिजरेटर/वाशिंग मशीन		8,42,880	22,000	11,95,194
ख) पूंजीगत अग्रिम/सीडब्ल्यूआईपी		-		-
V. अधिशेष धनराशि/ऋण लौटाये गये				
क) भारत सरकार को				
- सरकार को लौटाया गया अनुदान	-	-	38,19,812	38,19,812

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
VI. कोई अन्य प्राप्तियां				
क) जमा राशि को भुनाना	-	-	-	-
ख) अग्रिमों की वसूली				
- आवास निर्माण अग्रिम			-	
- पक्षों से			-	
- उत्सव अग्रिम			-	
- सदस्यों या कार्यालय से परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता अग्रिम			-	
- स्टाफ अग्रिम	4,15,480		3,30,253	
- स्कूटर अग्रिम			-	
- मोटर कार अग्रिम			-	
- सीपीएफ अग्रिम			-	
- संगोष्ठी/राष्ट्रीय प्रेस दिवस	2,94,863		-	
- माननीय अध्यक्ष को सी.जी.एच.एस. अग्रिम	-		-	
		7,10,343	-	3,30,253
ग) कर्मचारी से वसूली				
- जीवन बीमा अंशदान	1,39,755		1,39,949	
- यात्रा व्यय	-		-	
- सी.पी.एफ. अग्रिम वापसी	10,77,856		8,63,197	
- स्थायी संपत्ति की बिक्री/अंतरण	-		-	
- सीपीएफ अंशदान	73,70,250		46,77,880	
- एनपीएस अभिदान	23,65,524		22,63,804	
- गैर स्तर के अधिकारियों से वसूली	-	1,09,53,385	28,500	79,73,330
घ) सामान्य निधि से सी.पी.एफ.निधि में अंतरित राशि:	-		-	
- पीएफ में परिषद के अंशदान के लिए	-		-	
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए	-		-	
- परिषद के अंशदान पर ब्याज के लिए	-		-	
- अन्य	-		-	
		-		-
ड.) अन्य प्राप्तियां				
- जीवन बीमा प्राप्ति	-		-	
- सुरक्षा जमा राशि	1,177		4,770	
- प्राप्त जुर्माना	-		-	
- अन्य		1,177		4,770
च) स्रोत पर काटा गया कर	36,05,741	36,05,741	29,83,758	29,83,758
योग		**13,42,42,027**		**12,31,99,693**

परिषद
के लिए प्राप्तियां और भुगतान

VI. <u>वित्त प्रभार (ब्याज)</u>				
बैंक प्रभार	626	626		
VII. <u>अन्य भुगतान (स्पष्ट करें)</u>				
क) सामान्य निधि से सी.पी.एफ. निधि में अंतरित राशिः	-			-
- कर्मचारियों के अंशदान पर ब्याज के लिए				
- परिषद के अंशदान पर ब्याज के लिए	-			-
- अन्य	-			-
ख) अग्रिम	-	-	-	-
- पक्षों के लिए	13,23,142	-	-	-
- पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए	-	-	-	-
- संगोष्ठी के लिए	4,56,159		1,35,942	
- ऑडिटोरियम बुक करने के लिए	-	-	-	-
- स्टेशनरी खरीदने के लिए	-	-	-	-
- पूँजीगत परिसंपत्तियों के लिए	-	-	1,35,680	-
- स्टाफ अग्रिम	10,02,045		7,41,707	-
- सदस्यों/अधिकारियों को परिवहन भत्ता/महंगाई भत्ता अग्रिम	-	-	-	-
- अन्य के लिए	24,738	28,06,084	-	10,13,329
ग) स्रोत पर काटा गया कर	36,16,525	36,16,525	-	34,72,185
घ) अन्य भुगतान	-	-	-	-
- एनपीएस अभिदान	23,96,996		27,47,518	
- पूर्व अवधि समायोजन	-	-	-	-
- प्रावधान	74,062		-	
- लेवी शुल्क	3,000	24,74,058		27,47,518
VIII. <u>इति शेष</u>				
क) हाथ रोकड़ (अग्रदाय खाता)		50,000		50,000
ख) बैंक शेष				
- टीएसए खाता	-		-	
- इंडियन बैंक	43,24,755		20,95,141	
- सामान्य निधि	94,15,097		36,21,348	
- उगाही शुल्क खाता	3,46,865		3,86,680	
- परिक्रामी निधि (ऋण और अग्रिम)	-		-	
- सी.पी.एफ. खाता	34,63,544	1,75,50,262	30,49,942	91,53,111
ग) डाक टिकटें		74,274		35,490
		13,42,42,027		**12,15,02,143**

संलग्नकः क

मामलों का विवरण
1 अप्रैल, 2023 – 31 मार्च, 2024

क्र. सं.	विवरण	धारा–13	धारा–14	कुल
1.	31.03.2023 को लंबित मामले	**396**	**944**	**1340**
2.	1 अप्रैल, 2023 – 31 मार्च, 2024 के बीच दर्ज मामले	**212**	**775**	**987**
3.	1 अप्रैल, 2023 – 31 मार्च, 2024 के बीच निर्णीत मामले	**63**	**103**	**166**
4.	इस अवधि के दौरान मामले, परिषद को सीधे रिपोर्ट किए गए	**1**	**–**	**1**
5.	1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 के बीच प्रारंभिक स्तर पर खारिज करके समाप्त किए गए तथा परिषद को रिपोर्ट किए गए मामले	**200**	**765**	**965**
6.	**31 मार्च, 2024 को कुल लंबित मामले**	**344**	**851**	**1195**

प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और श्रीलंका प्रेस काउंसिल के बीच सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)

पत्रकारिता में सहयोग के आधार पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और श्रीलंका प्रेस काउंसिल जिन्हें इसमें इसके आगे पक्षकार कहा गया है, के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू)।

अनुच्छेद I: उद्देश्य

दोनों देशों के बीच शांति पत्रकारिता को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों में सहयोग के उद्देश्य से पत्रकारिता की नीति और प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।

अनुच्छेद II : सहयोग के क्षेत्र और प्रकार

कः दोनों प्रेस परिषदें, प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और क्षेत्र में पत्रकारों की मुक्त गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए दो परिषदों के बीच सहयोग को बढ़ाए जाने हेतु एकसाथ मिलकर कार्य करने के लिए अपनी वचनबद्धता की पुष्टि करती है।

खः दोनों पक्षकार, उद्देश्यात्मक पत्रकारिता से संबन्धित सूचना, अनुभव और जानकारी के आदान–प्रदान करने और क्षेत्र में पत्रकारों को अहिंसात्मक और शांतिमय ढंग से पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित करने की बात से सहमत है।

गः दोनों पक्षकार समय–समय पर मीडिया के कार्य–निष्पादन, मीडिया के अधिकारों के हनन और पत्रकारों व मीडिया संगठनो पर हमलों का जायजा लेंगे और उन पर रिपोर्टें प्रकाशित करेंगे।

घः दोनों देशों में पत्रकारों के वृत्तिक कौशल में सुधार करने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं व प्रशिक्षण आयोजित करना।

ङः दोनों प्रेस परिषद, वृत्तिक प्रेस नीति संहिता के उल्लंघन की पहचान करेंगी और पत्रकारों को दायित्वपूर्ण पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। दोनों पक्षकार पत्रकारों को एकदूसरे के देश से परिचित करवाने के लिए आदान–प्रदान कार्यक्रम की व्यवस्था करेंगे और महत्वपूर्ण मामलों में रिपोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवायेंगे।

चः दोनों पक्षकार ऑनलाइन/प्रिंट पत्रकारिता के क्षेत्र में शोध करेंगे और इन्हे बढ़ावा देंगे।

छः एकदूसरे के देश में प्रेस परिषद के कार्यकलापों और सहयोग की समीक्षा करने के लिए दोनों पक्षकार वर्ष में एक बार बैठक करेंगे।

जः मुक्त और निष्पक्ष पत्रकारिता तथा एकदूसरे के देश में समाचार तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए दोनों पक्ष सक्रिय माहौल बनाने का कार्य करेंगे। दोनों पक्ष जनता के जानने के अधिकार और एकांतता के अधिकार का संधारण सुनिश्चित करेंगे।

झः उद्देश्यों के अनुसरण में ऐसे अन्य कार्य करना, जैसे समय–समय पर निर्धारित किए जायें।

अनुच्छेद III: केंद्रीय प्राधिकरण

भारत की गणराज्य सरकार : भारत का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
श्रीलंका सरकार : संचार मीडिया मंत्रालय (Ministry of Mass Media)

अनुच्छेद IV: कार्यांवयन और संयुक्त कार्य दल

(क) नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा देने वाले कार्यकलापों में सहयोग देना ;
(ख) रिपोर्टिंग संबंधी संगोष्ठियां/कार्यशालायें आयोजित करना;
(ग) पत्रकारिता संबंधी आदान–प्रदान कार्यक्रम (एक्स्चेंज प्रोग्राम) संचालित करना;

दोनों देशों के पत्रकारिता जगत से जुड़े बुद्धिजीवियों के साथ दोनों देशों में से किसी भी देश में द्विपक्षीय कार्यक्रमों का आयोजन

अनुच्छेद V : वित्तीय व्यवस्था

सम्मेलन, संगोष्ठी/कार्यशालाओं/बैठकों में भाग लेने, पत्रकारिता में वृत्तिक कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम या किसी अन्य शासकीय कार्य में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडल का यात्रा व्यय (आना और जाना) संबंधित प्रतिभागी देशों द्वारा वहन किया जाएगा और आतिथ्य संबंधी अन्य सभी व्यय की व्यवस्था मेजबान पक्षों द्वारा की जाएगी।

अनुच्छेद VI: परिशोधन एवं संशोधन

राजनयिक चौनल के माध्यम से पक्षकारों के बीच नोट्स के आदान–प्रदान के माध्यम से पक्षकारों की पारस्परिक लिखित सहमति से किसी भी समय समझौता ज्ञापन में संशोधन किया जा सकता है ।

अनुच्छेद VII: विवादों का निपटान

इस समझौता ज्ञापन के निर्वचन या कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी विवाद को पक्षकारों के बीच परामर्श द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा।

अनुच्छेद VIII: प्रभावी होने, अवधि, नवीनीकरण और समाप्ति

यह समझौता ज्ञापन इस पर पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर की तारीख से प्रभावी होगा।

यह समझौता ज्ञापन **(05) (पाँच) वर्ष** की अवधि तक प्रभावी रहेगा जब तक कि दोनों पक्षकारों में से कोई एक पक्षकार इस समझौता ज्ञापन को समाप्त करने के अपने इरादे को तीन माह पूर्व लिखित रूप में अधिसूचित न कर दे और पक्षकारों द्वारा लिखित सहमति से आगे की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया जाएगा।

इसके साक्ष्य के रूप में अधोहस्ताक्षरियों, जिन्हें उनकी अपनी अपनी सरकार ने, समुचित रूप से प्राधिकृत किया है, ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

दो मूल प्रतियों में अंग्रेजी भाषा में **17 नवंबर 2023 को नई दिल्ली** में हस्ताक्षर किए गए।

भारत की गणराज्य सरकार हेतु	श्रीलंका सरकार हेतु
ह/–0	ह/–0
नामः न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई	नामः श्री महिंदा पथिराना,
अध्यक्ष,	अध्यक्ष,
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया	श्रीलंका प्रेस काउंसिल

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247060
CG-DL-E-05072023-247060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2818] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945
No. 2818] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

का.आ. 2943(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. सं. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में, क्र. सं. 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"22. श्री सुजीत कुमार, वर्तमान पता : सी-1/12, हुमायूं रोड़, नई दिल्ली-110003.	राज्य सभा सभापति द्वारा नामनिर्दिष्ट"।

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस(भाग-1)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, का.आ. सं. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई और का.आ. सं. 4701 (अ), तारीख 11 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247061
CG-DL-E-05072023-247061

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2817] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 5, 2023/आषाढ़ 14, 1945
No. 2817] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 5, 2023/ASHADHA 14, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2023

का.आ. 2942(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (1978 का 37) की धारा 6 की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (5) के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 में, का. आ. सं. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में, क्र. सं. 5 के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"6. श्री पराग कारान्दिकर, संपादक, महाराष्ट्र टाइम्स, वर्तमान पता : महाराष्ट्र टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, द्वितीय तल, डी.एन. रोड़, फोर्ट, मुम्बई-400001.	आंग्ल भाषा समाचार पत्रों के संपादकगण "।

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस(भाग-2)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 में, का. आ. सं. 4107(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई और का. आ. सं. 4701(अ), तारीख 11 नवंबर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26072023-247614
CG-DL-E-26072023-247614

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3194] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2023/श्रावण 4, 1945
No. 3194] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2023/SHRAVANA 4, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2023

का.आ. 3339(अ).—भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 5 जुलाई, 2022, जारी संख्यांक 2817 में प्रकाशित भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2942 (अ), तारीख 3 जुलाई, 2023 में पंक्ति 10 में "आंग्ल" के स्थान पर "भारतीय" पढ़ें।

[फा. सं. एम-22011/2/2020-प्रेस (भाग-2)]

विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112023-249926
CG-DL-E-07112023-249926

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4629] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 7, 2023/कार्तिक 16, 1945
No. 4629] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 7, 2023/KARTIKA 16, 1945

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2023

का.आ. 4828(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा 'भारतीय प्रेस परिषद्' (PAN-AAABP0351P), 'भारतीय प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 (केन्द्रीय अधिनियम) के अध्याय II के पैरा 1 के तहत स्थापित एक निकाय, उस निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) प्रकाशकों और अखबारों से शुल्क की वसूली; और

(ख) भारतीय प्रेस परिषद् के बचत बैंक खातों और एफडीआर पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि भारतीय प्रेस परिषद्,:-

(क) किसी व्यावसायिक कार्यकलाप में शामिल नहीं होगी;

(ख) वित्तीय वर्षों के दौरान कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम 1961, की धारा 139 की उप-धारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी फाइल करेगी।

3. यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 एवं 2023-2024 के लिए लागू की गई मानी जाएगी तथा क्रमशः वित्तीय वर्षों 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 के लिए संगत होगी।

[अधिसूचना सं. 98 /2023 फा.सं. 300196/8/2018-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक (आईटीए)-I

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

संलग्नकः छ

प्रेस की स्वतंत्रता के लिए खतरे संबंधी शिकायतों में न्यायनिर्णयों की सूची
(प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13 के तहत)

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
समाचारकर्मियों का उत्पीड़न			
1.	श्री एस.एन. श्याम, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार प्रेस मैन्स यूनियन, पटना, बिहार की पुलिस प्रशासन के विरुद्ध शिकायत। (13/144/2018–19–पीसीआई)	29.05.2023	पटना, बिहार, पुलिस प्राधिकारियों को निदेश के साथ समाप्त
2.	श्री सरताज खान, पत्रकार, शान टाइम्स कौमी पत्रिका और श्री शौकत अली, ब्यूरो चीफ, कौमी पत्रिका, गाजियाबाद, यूपी की श्री सर्वेश और उप–विभागीय मजिस्ट्रेट, लोनी, गाजियाबाद, यूपी के विरुद्ध शिकायत। (13/135/2019–20–पीसीआई)	29.05.2023	निपटान के कारण समाप्त
3.	श्री आशीष तिवारी, मुख्य संपादक, महामृतुंज्य दर्शन, एटा, यू.पी. की पुलिस प्रशासन व असामाजिक तत्वो के विरुद्ध शिकायत। (73/2021–बी–पीसीआई)	29.05.2023	लखनऊ, उ.प्र., पुलिस प्राधिकारियों को निदेश के साथ समाप्त
4.	श्री धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, ब्यूरो चीफ, दैनिक जागरण, सुल्तानपुर की श्री हिमांशु कुमार, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर के विरुद्ध शिकायत। (13/177/19–20–पीसीआई)	21.08.2023	मामला न्यायाधीनः दोनों पक्षों को सावधान किया गया
5.	श्री पवन अग्रवाल, संपादक, दैनिक परिवर्तन का दौर, मुरादाबाद की पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत। (13/183/19–20–पीसीआई)	21.08.2023	प्रतिवादी (पुलिस) को सावधान किया गया

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
6.	श्री सरवर आलम वारसी, ब्यूरो चीफ, दैनिक अमर भारती, कुशीनगर की डॉ. अनिल कुमार सिंह, जिला मजिस्ट्रेट, कुशीनगर के विरुद्ध शिकायत। (13/157/19–20–पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज
7.	श्री सौरभ अग्रवाल, संपादक, दैनिक स्याही की ताकत, रायगढ़ की श्री विजय अग्रवाल, पूर्व विधायक एवं अन्य के विरूद्ध शिकायत। (13/113/18–19–पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज
8.	श्री एकान्त श्रीवास, संवाददाता, मानव अधिकार जागरूकता, झाँसी की पुलिस अधिकारियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शिकायत। (370/2020–बी–पीसीआई)	21.08.2023	दोनों पक्षों को सावधान किया गया
9.	श्री सुशील कुमार, संवाद्दाता, दैनिक भास्कर, घोघरडीहा, मधुबनी, बिहार द्वारा श्री रमन कुमार, सर्किल ऑफिसर, घोघरडीहा, मधुबनी के विरुद्ध शिकायत। (13/81/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	टिप्पणी एवं सर्कल अधिकारी, मधुबनी, बिहार को निदेश के साथ समाप्त
10.	समाचार लुकआउट, इंदौर के संपादक श्री राजवर्धन शांडिलय की श्री किशोर और पुलिस प्राधिकारियों के खिलाफ शिकायत। (408/2020–बी–पीसीआई)	17.11.2023	निराधार होने के कारण कार्रवाई बंद
11.	हिन्दुस्तान पीपल के पत्रकार श्री संजय तिवारी की पुलिस आयुक्त, पूर्वी दिल्ली और पांडव नगर, दिल्ली के एस एच ओ के विरुद्ध शिकायत। (13/104/19–20)	17.11.2023	प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक से संबद्ध नहीं होने के कारण शिकायत खारिज।

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
12.	श्री बीके गुप्ता, संपादक, अग्रिम टाइम्स, मेरठ की श्री प्रदीप कौशिक, मेरठ (उत्तर प्रदेश) के विरुद्ध शिकायत। (147/2021–बी–पीसीआई)	17.11.2023	समाप्त; शिकायतकर्ता को संबंधित पुलिस कार्यवाही में बिंदुओं को उठाने का सुझाव दिया गया
13.	संपादक, संतुलित समाचार, श्री मो. हम्मद इरफान अहमद, फर्नीचरवाला, की एडवोकेट, तारिक खान, मुंबई के माध्यम से श्रीमती और श्री अशोक शेट्टी, बेवॉच रेस्टोरेंट एंड बार, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (39/2021–बी–पीसीआई)	17.11.2023	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज
14.	श्री राशिद अली सिद्दीकी, संपादक, राजधानी का दरबार, बाराबंकी की श्री धर्मेन्द्र सिंह रघुवंशी, एस एच ओ, थाना, कोतवाली, बाराबंकी, यू.पी. के विरुद्ध शिकायत। (16/2020–बी–पीसीआई)	17.11.2023	समाप्त क्योंकि शिकायतकर्ता का निधन हो चुका है
15.	तिरूवनंतपुरम प्रेस क्लब में संवाद्दाता सम्मेलन में सवाल पूछने पर दो वरिष्ठ पत्रकारों के खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के संबंध में भारतीय पत्रकार संघ के महासचिव श्री जी प्रभाकरन का पत्र। (27/2020–बी–पीसीआई)	17.11.2023	केरल पुलिस को निदेश के साथ समाप्त
16.	श्री मंगल तिवारी, पत्रकार, मिर्जापुर, उ.प्र. की मिर्जापुर के असामाजिक तत्वा. और उ.प्र. पुलिस के विरुद्ध शिकायत। (4/2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	व्यक्तिगत विवाद होने के कारण समाप्त
17.	प्रार्थना एक्सप्रेस, ग्वालियर के संपादक श्री प्रमोद गोस्वामी की श्री गणेश प्रसाद वर्मा, हेड कांस्टेबल, परिवहन विभाग, ग्वालियर (म.प्र.) के विरुद्ध शिकायत। (13/186/2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	व्यक्तिगत विवाद होने के कारण समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
18.	पंडित विपिन शर्मा रिपोर्टर, जनसंदेश टाइम्स, बाराबंकी की असामाजिक तत्वों एवं श्री पंडित त्रिपाठी, चौकी प्रभारी, सादत्गंज के विरुद्ध शिकायत। (13 / 179 / 2019–पीसीआई)	28.03.2024	व्यक्तिगत विवाद होने के कारण समाप्त
19.	श्री अरुण कुमार यादव, संपादक, दैनिक प्रीत टाइम्स, उत्तर प्रदेश की उ.प्र. के पुलिस प्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायत (10 / 2020 / बी–पीसीआई)	28.03.2024	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज (शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं)
20.	दैनिक घटक रिपोर्टर रायसेन, म.प्र. के संपादक श्री अरविंद सिंह जदौन की श्री गिरीश दुबे, सब–इंस्पेक्टर, रायसेन, म.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (132 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज
21	श्री अनुराग तिवारी, संपादक, तालमेल एक्सप्रेस, उ.प्र. की श्री निशु सोनकर, अधिवक्ता, प्रयागराज के विरुद्ध शिकायत। (8 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	पीसीआई के अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला होने पर खारिज
22.	श्री नजिम अली खान, प्रेस फोटोग्राफर, कानपुर शहर की प्रेस क्लब, कानपुर के अध्यक्ष और सचिव के विरुद्ध शिकायत। (09 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	क्षेत्राधिकार से बाहर होने और पुलिस उपनिरीक्षक बेकनगंज कानपुर के लिए टिप्पणी के साथ मामला समाप्त।
23.	श्री राजबहादुर उपाध्याय, जिला संवाददाता, बदायूं शिखर, एटा, उत्तर प्रदेश की श्री पुष्पेंद्र कुमार, आशुलिपिक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के विरुद्ध शिकायत (20 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	निराधार होने के कारण न्यायाधीन
24.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पत्रकार संघ की बिहार पुलिस प्राधिकारियों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध शिकायत (158 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	शिकायतकर्ता और प्रतिवादी दोनों के उपस्थित न होने के कारण खारिज

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
25.	दुनिया एक नजर में, अलीगढ़ के मुख्य संपादक श्री ओम प्रकाश बघेल की श्री प्रदीप मुनि, ग्राम प्रधान, सिंघारपुर, अलीगढ, उ.प्र. और श्री सत्येन्द्र गौतम, एसआई, पुलिस चौकी, आसना के विरुद्ध शिकायत। (172 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
26.	दुनिया एक नजर में, अलीगढ़ के मुख्य संपादक श्री ओम प्रकाश बघेल की श्री सतेन्द्र गौतम, एसआई, पुलिस चौकी, आसना के विरुद्ध शिकायत। (96 / 2021–बी–पीसीआई)	28.03.2024	निराधार होने के कारण खारिज
27.	क्रांति जागरण, एटा के संपादक श्री रंजीत कुमार की एस.एस.पी. एटा और जिला मजिस्ट्रेट, एटा के विरुद्ध शिकायत (201 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	दोनों पक्ष उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दिया गया
28.	श्री शाकिर अंसारी, संवाद्दाता, जनवार्ता, चंदौली की श्री त्रिलोकी सोनकर, राशन डीलर, चंदौली के विरुद्ध शिकायत। (212 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	मामला खारिज (शिकायत झूठी होने के कारण)
29.	श्री राम मनोहर, संवाद्दाता, दैनिक आज, जालौन, ग्राम प्रधान, ब्लॉक महेवा, जालौन, उत्तर प्रदेश की श्री बुद्ध सिंह यादव और पुलिस के विरुद्ध शिकायत। (224 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	मामला खारिज (शिकायत झूठी होने के कारण)
प्रेस को सुविधाएं			
30.	श्री सुखराज सिंह, प्रकाशक, सुखराज साप्ताहिक की निदेशक, जनसंपर्क विभाग, पंजाब सरकार, चंडीगढ़ के विरुद्ध शिकायत। (213 / 2021–बी–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी को निदेश देते हुए निपटारा किया गया

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
31.	श्री खाजा मोइनुद्दीन, प्रधान संपादक, कासिद–ए–हिंद, हैदराबाद की सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, तेलंगाना सरकार एवं केंद्रीय संचार ब्यूरो, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (13 / 152 / 19–20–पीसीआई)	21.08.2023	प्रतिवादी द्वारा आश्वासन दिए जाने पर, शिकायतकर्ता को आईपीआरडी ए.सी. गार्ड्स, तेलंगाना सरकार, हैदराबाद से संपर्क करने का निर्देश दिया गया।
32.	श्री गौतम जैन, प्रकाशक, मरुमंच दैनिक, बालोतरा, राजस्थान की आयुक्त, नगरपालिका बालोतरा एवं अन्य के विरुद्ध शिकायत। (112 / 2021–बी–पीसीआई)	21.08.2023	दोनों पक्षों में समझौता होने के कारण समाप्त
33.	संपादक अर्ली टाइम्स की डीआईपीआर एवं जम्मू एवं कश्मीर सरकार के खिलाफ शिकायत। (172 / 2021–बी–पीसीआई)	17.11.2023	समाप्त; शिकायतकर्ता की नये सिरे से शिकायत पर विचार करेगी जम्मू–कश्मीर सरकार
34.	श्री नारायण चन्द्र चटर्जी, संपादक, ग्रामाचल शिल्पांचलेर खबर की भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार, आरएनआई के विरुद्ध शिकायत। (49 / 2020–बी–पीसीआई)	17.11.2023	निपटान
35.	श्री के. श्रीनिवास, संपादक, आंध्र ज्योति, आंध्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की सूचना और जनसंपर्क विभाग, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के विरुद्ध शिकायत । (229 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज (शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं)

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
36.	आंध्र ज्योति, आंध्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के संपादक श्री ए के श्रीनिवास की सूचना और जनसंपर्क विभाग (डीआईपीआरपी), तेलंगाना के विरुद्ध शिकायत। (13/169/2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज (शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं)
37.	श्री नरेन्द्र भारद्वाज, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, मथुरा (उ.प्र.) की श्री विनोद कुमार शर्मा, अपर जिला सूचना अधिकारी, मथुरा एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा के विरुद्ध शिकायत (51/2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	निपटान
38.	श्री नरेन्द्र भारद्वाज, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, मथुरा (उ.प्र.) की श्री विनोद कुमार शर्मा, अपर जिला सूचना अधिकारी, मथुरा एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत (264/2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	निपटान
39.	श्री सुरेश वर्मा, मुख्य संपादक, क्रांति कथन, इंदौर की पंजीयक, आरएनआई, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (21/2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	निपटान
40.	श्री कीर्ति ए व्यास, मुख्य संपादक, जन समस्या (दैनिक) और आंधी और तूफान (दैनिक और साप्ताहिक), अहमदाबाद, गुजरात की निदेशक, आई एंड पीआरडी, गुजरात सरकार के विरुद्ध शिकायत। (147/2020/बी–पीसीआई)	28.03.2024	निपटान
41.	श्री अंकुर शर्मा, संपादक, सत्ता की परख, मेरठ शहर की श्री आशुतोष चंदोला, जिला सूचना अधिकारी, मेरठ के विरुद्ध शिकायत। (48/2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी द्वारा शिकायत का निवारण किये जाने के कारण समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
42.	श्री संजीव कुमार, संवाददाता फार्मर संदेश, मेरठ शहर की श्री आशुतोष चंदोला, जिला सूचना अधिकारी, मेरठ, उ.प्र. के विरुद्ध शिकायत। (279/2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी द्वारा शिकायत का निवारण किये जाने के कारण समाप्त
43.	श्री श्रीकांत तिवारी शास्त्री, प्रकाशक, संयम भारत (हिंदी दैनिक), प्रयागराज की प्रैस पंजीयक, भारत के समाच. ार पत्र, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत (259/2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	शिकायतकर्ता को निदेश के साथ समाप्त
स्वः प्रेरणा से संज्ञान			
44.	भूमि हथियाने की घटनाओं की कवरेज के लिए पत्रकार, श्री शशिकांत वारिशे की कथित हत्या पर स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/फरवरी/01/2023–बी–पीसीआई)	29.05.2023	मामला बंद कर दिया गया क्योंकि अपराध पंजीकृत किया जा चुका है और आरोप पत्र दाखिल किया जाना है
45.	जम्मू–कश्मीर सरकार की मीडिया नीति–2020 के संबंध में स्वतः संज्ञान–फेक न्यूज संबंधी प्रावधान। (150/एसएम/2020–बी/पीसीआई)	21.08.2023	सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई किये जाने के कारण मामला बंद
46.	प्रतिदिन समूह के वरिष्ठ पत्रकार एवं तिनसुकिया जिला पत्रकार संघ के उपाध्यक्ष श्री पराग भुइयां की मृत्यु के संबंध में स्वतः संज्ञान। (एसएम/अप्रैल/02/2021–बी–पीसीआई)	21.08.2023	मामला पत्रकारिता संबंधी कर्तव्य से संबद्ध न होने के कारण समाप्त
47.	ओडिशा में मीडियाकर्मियों पर पुलिस हमले के संबंध में भारतीय प्रेस परिषद द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया – तत्संबंधी। (एसएम/सितंबर/01/2022–बी–पीसीआई)	21.08.2023	ओडिशा सरकार द्वारा अपेक्षित कार्रवाई किये जाने के कारण समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
48.	तमिल टीवी समाचार चौनल के लिए काम कर रहे श्री ग्नानदराज मोसेस के कथित हमले और हत्या के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/Nov/1/2020–पीसीआई)	17.11.2023	बंद क्योंकि पुलिस द्वारा यथोचित कार्रवाई की गई
49.	टीवी न्यूज रिपोर्टर श्री रमन कश्यप की हत्या और श्री सुरजीत सिंह चन्नी, रिपोर्टर पर कथित हमले के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/अक्टूबर/01/2021–बी–पीसीआई)	17.11.2023	समाप्त क्योंकि पुलिस द्वारा पहले ही कार्रवाई की गई, आरोप पत्र दायर किया गया।
50.	त्रिपुरा पुलिस द्वारा सुश्री स्वर्ण झा और श्रीमती समृद्धि सकुनिया, पत्रकार को हिरासत में लेने के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/नवंबर/1/2021–बी– पीसीआई)	17.11.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद
51.	केरल के करक्कमंडपम में हिट एंड रन मामले में श्री एस वी प्रदीप, पत्रकार की हत्या के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/अप्रैल/1/2021–बी)	17.11.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद
52.	केरल के करक्कमंडपम में हिट एंड रन मामले में श्री एस वी प्रदीप, पत्रकार की हत्या के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (241/2021–बी–पीसीआई)	17.11.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद
53.	उत्तर प्रदेश, बलरामपुर, में पत्रकार श्री राकेश सिंह निर्भीक के कथित हमले/हत्या के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान (एसएम/Nov/3/2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
54.	दिल्ली सरकार द्वारा पत्रकारों की प्रेस स्वतंत्रता/रिपोर्टिंग के अधिकार में कथित हस्तक्षेप और कटौती के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान (एसएम/May/01/2021–बी–पीसीआई)	28.03.2024	प्रेस की स्वतंत्रता में कोई कटौती नहीं पाये जाने के कारण समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
55.	सी.डी.ओ., जिला उन्नाव, उ.प्र. द्वारा पत्रकार श्री कृष्ण तिवारी पर शारीरिक हमले के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया (एसएम/अगस्त/01/2021–बी–पीसीआई)	28.03.2024	निपटान होने के कारण समाप्त
56.	पत्रकार श्री अविनाश झा, मधुबनी, बिहार के संदिग्ध निधन के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान लेना। (एसएम/नवंबर/2/21–22–बी–पीसीआई)	28.03.2024	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
57.	कानपुर क्षेत्र में ब्लॉक ग्रेजुएट और शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतगणना के दौरान मतगणना स्थल पर मीडियाकर्मियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए पीसीआई द्वारा स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया। (एसएम/मार्च/01/2023–बी–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादियों के लिए टिप्पणी के साथ समाप्त
58.	कश्मीर घाटी में यूएपीए के तहत एनआईए द्वारा पत्रकार श्री इरफान मेहराज की गिरफ्तारी पर स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/मार्च/3/2022–23–बी–पीसीआई)	28.03.2024	न्यायाधीन होने के कारण बर्खास्त किया गया
59.	लुधियाना में टाइम्स नाउ की पत्रकार सुश्री भावना कुमारी को गिरफ्तार करने की घटना पर स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/मई/2/2023–बी–पीसीआई)	28.03.2024	न्यायाधीन होने के कारण बर्खास्त किया गया
60.	श्री विमल कुमार यादव, पत्रकार, अररिया, बिहार की कथित हत्या के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/अगस्त/02/2023–बी पीसीआई)	28.03.2024	न्यायाधीन होने के कारण बर्खास्त किया गया

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती			
61.	श्री चन्द्र विजय, पत्रकार, रियल न्यूज, हरदो. ई की श्री राय सिंह यादव, निरीक्षक, थाना टडियावा, हरदोई के विरुद्ध शिकायत। (120 / 2020–बी / पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता के लिए टिप्पणी के साथ समाप्त
62.	श्री बीके गुप्ता, संपादक, अग्रिम टाइम्स, मेरठ की मेरठ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायत। (371 / 2020–बी–पीसीआई)	17.11.2023	पुलिस प्राधिकारियों और राज्य सरकार को निदेश के साथ समाप्त
63.	श्री मोहन कुमार, उपाध्यक्ष, इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, दिल्ली की बिहार सरकार के विरुद्ध शिकायत। (146 / 2020–बी–पीसीआई)	28.03.2024	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने के कारण खारिज (क्योंकि मामला निष्फल है)

संलग्नकः ज

प्रेस के विरुद्ध दर्ज मामलों में न्यायनिर्णयों की सूची (प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 14 के तहत)

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
सिद्धान्त और प्रकाशन			
1.	मेसर्स यूनिवर्सल केबल्स लिमिटेड की संपादक, प्रलाप के विरुद्ध शिकायत। (14 / 529 / 2019–20–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी समाचारपत्र को निदेश के साथ समाप्त
2.	श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन, चटनौर, केरल की संपादक, जन्मभूमि, त्रिवेन्द्रम, केरल के विरुद्ध शिकायत। (623 / 2020–ए–पीसीआई)	29.05.2023	गुण–दोष के आधार पर समाप्त
3.	श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन, चटनौर, केरल की संपादक, मातृभूमि त्रिवेन्द्रम, केरल के विरुद्ध शिकायत। (624 / 2020–ए–पीसीआई)	29.05.2023	गुण–दोष के आधार पर समाप्त
4.	श्री एस. श्रीकुमार श्रीधरन, चटनौर, केरल की संपादक, केरल कौमुदी, त्रिवेन्द्रम, केरल के विरुद्ध शिकायत। (1637 / 2020–ए–पीसीआई)	29.05.2023	गुण–दोष के आधार पर समाप्त
5.	मेसर्स कालिका स्टील अलॉय प्राइवेट लिमिटेड की संपादक, गोकुलनीति, औरंगाबाद रोड, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (1824 / 2020–ए–पीसीआई)	29.05.2023	परिनिंदा
6.	डॉ. लखन सिंह, निदेशक, ICAR–ATARI की संपादक राष्ट्र सह्याद्री, पुणे के विरुद्ध शिकायत। (70 / 2021–ए–पीसीआई)	29.05.2023	आश्वासन को देखते हुए समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
7.	श्री सुनील जी. गोडबोले की श्री गिरीश कुबेर, संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक, समाचारपत्र, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (376 / 2022–ए–पीसीआई)	29.05.2023	गुण–दोष के आधार पर खारिज
8.	श्री सुनील जी. गोडबोले की श्री गिरीश कुबेर, संपादक, लोकसत्ता, मराठी दैनिक, समाचारपत्र, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (229 / 2022–ए–पीसीआई)	29.05.2023	गुण–दोष के आधार पर खारिज
9.	श्री एच.आर. नाशिरकर, सीईओ, जिजाऊ कमर्शियल को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अमरावती की संपादक, दैनिक जनसंचालन समाचार पत्र, बुलढाणा के विरुद्ध शिकायत। (478 / 2022–ए–पीसीआई)	29.05.2023	न्यायाधीन होने के कारण समाप्त
10.	श्री विवेकानन्द दाश, संपादक, जनतंत्र, भुवनेश्वर की संपादक, द समाज, कटक के विरुद्ध शिकायत। (14 / 459 / 19–20–पीसीआई)	21.08.2023	प्रतिवादी को सावधान किया गया
11.	डॉ. राजू ई. गिवासे, रजिस्ट्रार, राष्ट्रसंत तुकाडोजी महाराज, नागपुर विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र की टाइम्स ऑफ इंडिया, नागपुर के विरुद्ध शिकायत। (306 / 2022–ए–पीसीआई)	21.08.2023	परिनिंदित
12.	सुश्री सायली धुराट, पुलिस अधीक्षक, अररिया की दैनिक भास्कर, अररिया के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14 / 405 / 19–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई
13.	श्री रतन बिस्वास, अपर सचिव और निदेशक, सूचना और सांस्कृतिक मामले, त्रिपुरा सरकार की स्यंदन पत्रिका, अगरतला, त्रिपुरा के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (1872 / 2020–ए–पीसीआई)	17.11.2023	प्रतिवादी को निदेश के साथ समाप्त
14.	राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार की दैनिक जागरण, बिहार के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14 / 156 / 2019–20)	17.11.2023	निराधार होने पर कार्रवाई बंद कर दी गई

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
15.	राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार की दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, बिहार के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14 / 154 / 2019–20)	17.11.2023	निराधार होने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
16.	राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार की दैनिक भास्कर के संपादक के विरुद्ध शिकायत (14 / 162 / 2019–20)	17.11.2023	निराधार होने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
17.	राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग, बिहार के अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार की प्रभात खबर के संपादक के विरुद्ध शिकायत (14 / 282 / 2019–20)	17.11.2023	निराधार होने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
18.	श्री उदय कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, स्थापना अनुभाग फरक्का बैराज परियोजना, पश्चिमी बंगाल की संपादक, आनंदबाजार पत्रिका के विरुद्ध शिकायत। (14 / 140 / 19–20–पीसीआई)	17.11.2023	निपटान
19.	श्री उदय कुमार मंडल, अनुभाग अधिकारी, स्थापना अनुभाग फरक्का बैराज परियोजना, पश्चिम बंगाल की संपादक, संगबाद, प्रतिदिन के विरुद्ध शिकायत। (14 / 139 / 19–20–पीसीआई)	17.11.2023	आश्वासन दिये जाने पर समाप्त
20	श्री बिस्वरंजन बेउरा की टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र टाइम्स के संपादकों के विरुद्ध शिकायत। (14 / 413–414 / 2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	परिनिंदित
21	श्री बिस्वरंजन बेउरा की टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र टाइम्स के संपादकों के विरुद्ध शिकायत। (14 / 413–414 / 2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	परिनिंदित

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
22.	श्री चतुर्भुर्जा शिवसागर पांडे, संपादक, हिन्द सागर की शिकायत राजसत्ता समाचार पत्र, वसंत माने के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (130 / 2021–ए–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखे जाने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
23.	ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) श्री रतन कौल, नोएडा की सुश्री (डॉ) दीपा अलेक्जेंडर, सहायक संपादक, दि हिन्दू, चेन्नई, तमिलनाडु के विरुद्ध शिकायत। (512 / 2022–ए–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी को सावधान किया गया
24.	श्री अश्विनी कुमार प्रधान, बारगढ़ की संबाद, उड़िया दैनिक, ओडिशा के संपादक के विरुद्ध शिकायत (273 / 2020–ए–पीसीआई)	28.03.2024	शिकायतकर्ता के लिए किसी के उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दिया गया
25.	श्री जत्था बिस्वाल, राधारानीपुरा, बोलांगीर, ओडिशा की संपादक, संबाद समाचार पत्र, उड़िया दैनिक, संबलपुर के विरुद्ध शिकायत (199 / 2021–ए–पीसीआई)	28.03.2024	शिकायतकर्ता के लिए किसी के उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दिया गया
प्रेस और मानहानि			
26.	श्री अरुण सिद्धू, लुधियाना, पंजाब की दैनिक जागरण, लुधियाना, पंजाब के विरुद्ध शिकायत। (2129 / 2020–ए–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी को निदेश सहित समाप्त
27.	श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल, अध्यक्ष, श्रीजी केलवानी मंडल, सूरत, गुजरात की संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान, साप्ताहिक समाचारपत्र, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत। (1935 / 2020–ए–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी को निदेश सहित समाप्त
28.	श्री जगदीशचंद्र आर. पटेल, अध्यक्ष, श्रीजी केलवानी मंडल, सूरत, गुजरात की संपादक, दक्षिण गुजरात वर्तमान, साप्ताहिक समाचारपत्र, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत। (104 / 2020–ए–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी को निदेश सहित समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
29.	श्री चितरंजन भास्कर पोल (सेवानिवृत्त आईआरएस) की संपादक, मराठी विश्वास के विरुद्ध शिकायत। (14 / 406 / 2019–20–पीसीआई)	29.05.2023	परिनिंदा
30.	श्री सुरज्य कुमार दास, गुवाहाटी, असम की संपादक, अमर असोम, गुवाहाटी, असम के विरुद्ध शिकायत। (1797 / 2020–ए)	29.05.2023	प्रतिवादी को निदेश सहित समाप्त
31.	श्री वी. श्रीकुमार की संपादक, केरला कौमुदी–फ्लैश के विरुद्ध शिकायत। (14 / 18 / 2019–20–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी को निदेश सहित समाप्त
32.	डॉ. अनुपमा कौशिक की संपादक, राज एक्सप्रेस के विरुद्ध शिकायत। (14 / 409 / 2019–20–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी को निदेश सहित समाप्त
33.	श्री एस.एस.भागवत की लोकमत समाचार, चंद्रपुर, महाराष्ट्र के विरुद्ध शिकायत। (1889 / 2020–ए–पीसीआई)	29.05.2023	जारी न रखे जाने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
34.	श्री आर.बी. माने, अधीक्षण अभियंता, एमएसईडीसीएल, वाशी की संपादक, स्प्राउट्स के विरुद्ध शिकायत। (470 / 2021–ए–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी को निदेश के साथ समाप्त
35.	श्री जी. गोडबोले, मुंबई की संपादक, लोकसत्ता के विरुद्ध शिकायत। (51 / 2020–ए–पीसीआई)	29.05.2023	खारिज (झूठी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई)
36.	श्री भाग्य एम.जी., अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, स्कैनरे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कर्नाटक की संपादक, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई और सुश्री बाला चौहान, वरिष्ठ विशेष संवाददाता, इंडियन एक्सप्रेस, चेन्नई के विरुद्ध शिकायत। (14 / 437 / 2019–20–पीसीआई)	29.05.2023	आश्वासन दिये जाने पर समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
37.	श्री एम.अरुण कुमार, सेलम, तमिलनाडु की संपादक, कलईकाधीर दैनिक, सेलम के विरुद्ध शिकायत। (14/339/19–20–पीसीआई)	21.08.2023	प्रतिवादी को सावधान किया गया
38.	श्री एम.मित्रा, उप–क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भोपाल संपादक, प्रदेश टुडे के विरुद्ध शिकायत। (14/492/19–20–पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व न किए जाने के कारण खारिज
39.	डॉ. शैलीबंसल, उपमंडल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, शिमला, डॉ. तेजस्वी विजय आजाद, उपनिदेशक आयुर्वेद, मंडीजोन, मंडी और डॉ. के. डी. शर्मा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, (शिमला) हि.प्र. की संपादक, दैनिक जागरण के विरुद्ध की शिकायत। (1843/2020–ए–पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ताओं के उपस्थित न होने के कारण खारिज
40.	श्री मोहम्मद आरिफ अब्दुल कादिर भाईजी, रायगढ़ की संपादक, न्याय निवादा–एएसए गेला अठेवाड़ा, औरंगाबाद के विरुद्ध शिकायत। (22/2020–ए–पीसीआई)	21.08.2023	प्रतिवादियों को निदेश के साथ समाप्त
41	सुलभ अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शलभ वैश्य की दैनिक जागरण के संपादक और श्री अमित शर्मा, पत्रकार दैनिक जागरण, बदायूं कार्यालय के विरुद्ध शिकायत। (14/408/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखे जाने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
42.	श्रीमती सरला उर्फ सरेली की संपादक अमर भारती मीडिया ग्रुप, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत। (14/531/19–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखे जाने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
43	श्री जयेश जेड शाह की संपादक, परिवर्तन, बंगलौर के विरुद्ध शिकायत। (14/266/2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखे जाने पर कार्रवाई बंद कर दी गई

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
44	श्री भगवती यादव, इंदौर की न्यूज लुक–आउट, इंदौर के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (2036 / 2020–ए–पीसीआई)	17.11.2023	अनभियोजन के कारण खारिज
45.	श्री परमप्रेक्ट सिंह की दैनिक जागरण, पटना के विरुद्ध शिकायत। (14 / 302 / 2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	अनभियोजन के कारण समाप्त
46.	श्री पटेल जगदीश रतिलाल, अध्यक्ष, श्रीजी केलवानी मंडल की सत्या डे समाचार पत्र के विरुद्ध शिकायत। (14 / 451 / 2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखे जाने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
47.	श्रीमती रागिनी रानी, झारखंड की श्री राकेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, द पायनियर के विरुद्ध शिकायत। (14 / 147 / 2019–20– पीसीआई)	17.11.2023	न्यायाधीन होने के कारण बंद कर दिया गया
48.	सम्युक्त कर्नाटक, कन्नड़ दैनिक समाचार पत्र के संपादक के विरुद्ध श्री शरणप्पा बिरादर की शिकायत। (14 / 430 / 2019–20– पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखे जाने पर कार्रवाई बंद कर दी गई
49.	श्री मानस रंजन दास पटनायक की ओडिशा खबर, ओडिशा, भुवनेश्वर के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (3 / 2020–ए–पीसीआई)	17.11.2023	वापस लिए जाने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई
50.	श्रीमती नाजिया खान और श्री महेश हवेवाला की मुम्बई अमरदीप के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14 / 80 / 2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	जारी न रखे जाने पर बंद किया गया
51.	डॉ. वी.के. तिवारी, चित्रकूट की श्री रतन पटेल, पत्रकार, दी पायनियर, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (14 / 364 / 2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी पत्रकार को चेतावनी के साथ समाप्त
52.	श्री एए करुणाकरण, केरल की संपादक, मलयाला मनोरमा के विरुद्ध शिकायत। (14 / 271 / 2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	समर्थन

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
53.	श्री विनोद कुमार, चंडीगढ़ की संपादक, दैनिक भास्कर, चंडीगढ़ के विरुद्ध शिकायत। (424–425 / 2022–ए–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी समाचारपत्र को निदेश के साथ समाप्त
54.	श्री विनोद कुमार, चंडीगढ़ की संपादक, अजीत समाचार पत्र, मोहाली के विरुद्ध शिकायत। (424–425 / 2022–ए–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी समाचारपत्र को निदेश के साथ समाप्त
55.	श्री संजय सिंह पार्षद, नगर पालिका परिषद, कन्नौज, उ.प्र. की संपादक, अमर उजाला, कन्नौज के विरुद्ध शिकायत (88 / 2020–ए–पीसीआई)	28.03.2024	निपटान
56.	श्री ए. सोमशेखरैया, कर्नाटक की श्री शिव शंकर एम, मालिक, संपादक, प्रकाशक और मुद्रक, कन्नड़ चंदा मासिक पत्रिका, कर्नाटक के विरुद्ध शिकायत (129 / 2020–ए–पीसीआई)	28.03.2024	दोनों पक्षों के उपस्थित न होने पर खारिज किया गया
57.	श्री असीम गोयल, अंबाला शहर, हरियाणा की श्री नरेंद्र सिंह भाटिया, मुख्य संपादक, सिटी मीडिया समाचारपत्र के विरुद्ध शिकायत (7 / 2020–ए–पीसीआई)	28.03.2024	दोनों पक्षों के उपस्थित न होने पर खारिज किया गया
58.	डॉ. रवि नाग भूषण और डॉ. शर्मा शाजिया रवि भूषण की संपादक, दैनिक देशोन्नति और प्रेस रिपोर्टर, दैनिक देशोन्नति, अमरावती के विरुद्ध शिकायत। (404 / 2022–ए–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी को निदेश के साथ समाप्त
59.	कुमारी आकांक्षा भारद्वाज, मेरठ शहर, उ.प्र. की संपादक, अमर उजाला, मेरठ, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायत। (27 / 2020–ए–पीसीआई)	28.03.2024	शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने पर खारिज किया गया

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
साम्प्रदायिक, जातीय, राष्ट्र–विरोधी तथा पंथ–विरोधी लेख			
60.	श्री एस पुष्पवनम, सचिव, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु की द हिंदू, चेन्नई के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (14 / 256 / 2019–20–पीसीआई)	29.05.2023	खारिज क्योंकि पत्रकारिता के आचरण के मानकों का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया
61.	श्री अनिल कुमार बाबूराव सोनकामले, औरंगाबाद की संपादक, दिव्य मराठी के विरुद्ध शिकायत। (14 / 419 / 2018–19–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी समाचारपत्र को सावधान किया गया
62.	श्री अनिल कुमार बाबूराव सोनकामले, औरंगाबाद की संपादक, लोकमत के विरुद्ध शिकायत। (14 / 613 / 2018–19–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी समाचारपत्र को सावधान किया गया
63.	श्री मनोज एस. अग्रवाल की संपादक, आज का आनंद, पुणे के विरुद्ध शिकायत। (440 / 2021–ए–पीसीआई)	29.05.2023	निराधार होने के कारण खारिज
64.	श्री सुनील गजानन गोडबोले की संपादक, लोकसत्ता, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (1877 / 2020–ए–पीसीआई)	29.05.2023	प्रतिवादी–समाचारपत्र के लिए टिप्पणी के साथ खारिज
65.	श्री आरिफ ए मुल्लाजी, अहमदाबाद की गुजरात समाचार, अहमदाबाद के संपादक के विरुद्ध शिकायत। (303 / 2021–ए–पीसीआई)	17.11.2023	प्रतिवादी समाचारपत्र को निदेश के साथ बंद कर दिया गया
प्रेस और नैतिकता			
66.	श्री फारुख अल्लारखिया, मुंबई की संपादक, इंडिया अनबाउंड और श्री संदीप शिंदे, रिपोर्टर, इंडिया अनबाउंड, ठाणे के विरुद्ध शिकायत। (636 / 2021–ए–पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण खारिज

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
67.	श्री शरत चंद्र सेठी, ओआईएस, जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी, अंगुल की संपादक, आई वाई ए समाचार के विरुद्ध शिकायत। (14 / 17 / 2019–20–पीसीआई)	17.11.2023	अनभियोजन के कारण खारिज
68.	अधिवक्ता, श्री टी मल्लेश्वर राव की संपादक, आंध्र प्रभा के विरुद्ध शिकायत। (14 / 26 / 2019–पीसीआई)	17.11.2023	दोनों पक्षों की ओर से कोई उपस्थित न होने के कारण खारिज कर दिया गया
69.	सचिव, रॉयल हिल्स को–ऑप हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की सुश्री क्लारा लुईस, सहायक संपादक, टाइम्स ऑफ इंडिया, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (705 / 2021–ए–पीसीआई)	17.11.2023	न्यायाधीन होने के कारण बंद कर दिया गया
स्व–प्रेरणा से संज्ञान (प्रेस के विरुद्ध)			
70.	दिनांक 23.12.2020 को पुधारी (ठाणे संस्करण) द्वारा आपत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के संबंध में स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (44 / 2020 / एसएम / ए–पीसीआई)	29.05.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई
71.	दिनांक 23.12.2020 को राजस्थान पत्रिका (मुंबई संस्करण) द्वारा आपत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के संबंध में स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (182 / 2020 / एसएम / ए–पीसीआई)	29.05.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई
72.	दिनांक 23.12.2020 को प्रवासी संदेश (मुंबई संस्करण) द्वारा आपत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के संबंध में स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (202 / 2020 / एसएम / ए–पीसीआई)	29.05.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई
73.	दिनांक 23.12.2020 को कल्याण (ठाणे संस्करण) द्वारा आपत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के संबंध में स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (417 / 2020 / एसएम / ए–पीसीआई)	29.05.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
74.	दिनांक 23.12.2020 को पुण्य नगरी (ठाणे संस्करण), द्वारा आपत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के संबंध में स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (503 / 2020 / एसएम / ए–पीसीआई)	29.05.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई
75.	दिनांक 23.12.2020 को यशोभूमि (मुंबई संस्करण) द्वारा आपत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के संबंध में स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (504 / 2020 / एसएम / ए–पीसीआई)	29.05.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई
76.	दिनांक 23.12.2020 को नवभारत (ठाणे संस्करण) द्वारा आपत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के संबंध में स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (505 / 2020 / एसएम / ए–पीसीआई)	29.05.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई
77.	दिनांक 23.12.2020 को हिंदी समाचार द्वारा आपत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के संबंध में स्व–प्रेरणा से संज्ञान। (1864 / 2020 / एसएम / ए–पीसीआई)	29.05.2023	न्यायाधीन होने के कारण कार्रवाई बंद कर दी गई
78.	दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान। (2 / स्व–प्रेरणा / 2020–पीसीआई)	21.08.2023	परिनिंदित
79.	दैनिक भास्कर, दिल्ली संस्करण द्वारा विज्ञापन को समाचार के रूप में प्रकाशित करने के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान। (1641 / स्व–प्रेरणा / 2020–ए–पीसीआई)	21.08.2023	प्रतिवादी–समाचारपत्र द्वारा शुद्धिपत्र प्रकाशित किये जाने के कारण मामला बंद कर दिया गया
80.	दैनिक जागरण, दिल्ली संस्करण द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान। (एसएम / 3 / जून / 2021–ए–पीसीआई)	21.08.2023	प्रतिवादी–समाचारपत्र को चेतावनी के साथ समाप्त
81.	दैनिक जागरण, दिल्ली संस्करण द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में स्वः प्रेरणा से संज्ञान। (एसएम / जून / 5 / 2021–ए–पीसीआई)	21.08.2023	प्रतिवादी–समाचारपत्र को चेतावनी के साथ समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
82.	नव दुनिया द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर स्वःप्रेरणा से संज्ञान (14/455/एसएम/2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	समाप्त (प्रतिवादी द्वारा वचनबंध दर्ज किया गया)
83.	नई दुनिया द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/459/एसएम/2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	निदेश के साथ समाप्त (प्रतिवादी द्वारा वचनबंध दर्ज किया गया)
84.	दैनिक जागरण पत्रिका द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/496/एसएम/19–20–पीसीआई)	28.03.2024	समाप्त (प्रतिवादी द्वारा वचनबंध दर्ज किया गया)
85.	दिव्य हिमाचल द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/461/एसएम/2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	समाप्त (प्रतिवादी द्वारा वचनबंध दर्ज किया गया)
86.	अमर उजाला द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/464/एसएम/19–20–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी द्वारा मौखिक वचनबंध के साथ बंद
87.	मुंसिफ दैनिक समाचार पत्र, हैदराबाद संस्करण द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/465/एसएम/2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी के मौखिक वचनबंध पर समाप्त
88.	दिनाकरन, इरोड संस्करण द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/467/एसएम/19–20–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी द्वारा बचनबंध दर्ज किए जाने पर समाप्त
89.	उदयवाणी, बेगलुरु द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/471/एसएम/19–20–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी द्वारा बचनबंध दर्ज किए जाने पर समाप्त
90.	एतेमाद डेली, हैदराबाद द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/480/एसएम/19–20–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी द्वारा बचनबंध दर्ज किए जाने पर समाप्त

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
91.	इंकलाब (आयुष मंत्रालय) द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन पर स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/490/एसएम/19–20–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी द्वारा बचनबंध दर्ज किए जाने पर समाप्त
92.	मक्कल ओली, तमिल मासिक पत्रिका द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/509/एसएम/2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी द्वारा बचनबंध दर्ज किए जाने पर समाप्त
93.	मलई मलार, चेन्नई संस्करण द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/511/एसएम/2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी द्वारा बचनबंध दर्ज किए जाने पर समाप्त
94.	पुथु वसंतम द्वारा भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर स्वप्रेरणा से संज्ञान (14/512/एसएम/2019–20–पीसीआई)	28.03.2024	प्रतिवादी द्वारा बचनबंध दर्ज किए जाने पर समाप्त
95.	अश्लील अशालीन और भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन के लिए दैनिक जागरण समाचार पत्र, नई दिल्ली के विरुद्ध स्वःप्रेरणा से संज्ञान लिया गया। (एसएम/फरवरी/1/2021–ए–पीसीआई)	28.03.2024	आश्वासन
96.	नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली संस्करण द्वारा भ्रामक, अश्लील और अशिष्ट विज्ञापनों के प्रकाशन के संबंध में स्वःप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/मार्च/3/2021–ए–पीसीआई)	28.03.2024	परिनिंदित
97.	समाचार के रूप में विज्ञापन के प्रकाशन के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के पूरक दिल्ली टाइम्स के विरुद्ध स्वःप्रेरणा से संज्ञान (एसएम/मार्च/2/2021–ए–पीसीआई)	28.03.2024	चेतावनी
98.	टाइम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली (एजुकेशन टाइम्स और सप्लीमेंट दिल्ली टाइम्स) द्वारा समाचार के रूप में विज्ञापन के प्रकाशन के संबंध में स्वप्रेरणा से संज्ञान (एसएम/जुन/2/2021–ए–पीसीआई)	28.03.2024	चेतावनी

क्र.सं.	पक्ष	आदेश की तिथि	निर्णय
99.	समाचार लेखों के रूप में विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए आउटलुक हिंदी पत्रिका, नई दिल्ली के विरुद्ध स्वप्रेरणा से संज्ञान लिया गया। (एसएम/जून–1/2021–ए–पीसीआई)	28.03.2024	चेतावनी
100.	उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अनुसार विदेशी विज्ञापनों के प्रकाशन के लिए प्रेस परिषद के मॉडल दिशानिर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए दीना थांथी समाचार पत्र, मदुरै संस्करण के विरुद्ध स्वःप्रेरणा से संज्ञान। (एसएम/233/2022–ए–पीसीआई)	28.03.2024	बर्खास्त
भ्रामक विज्ञापन			
101.	श्री ओम प्रकाश विजयवर्गीय, जयपुर की संपादक, मुंबई मिरर, मुंबई के विरुद्ध शिकायत। (14/524/19–20–पीसीआई)	21.08.2023	परिनिंदित
102.	मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मुंबई की (1) दैनिक भास्कर, जोधपुर, और (2) दैनिक भास्कर, जयपुर के विरुद्ध शिकायत। (398 एवं 399/2022–ए–पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता के लिए टिप्पणी के साथ शिकायत बंद
103.	मैसर्स हिंदुस्तान पेंसिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड, मुंबई की दिव्य भास्कर, अहमदाबाद के विरुद्ध शिकायत। (398 एवं 399/2022–ए–पीसीआई)	21.08.2023	शिकायतकर्ता के लिए टिप्पणी के साथ शिकायत बंद

संलग्नक–झ

न्यायनिर्णयों का आलेख (2023–2024)

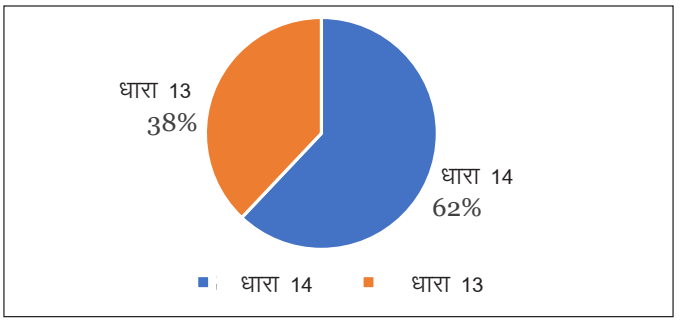

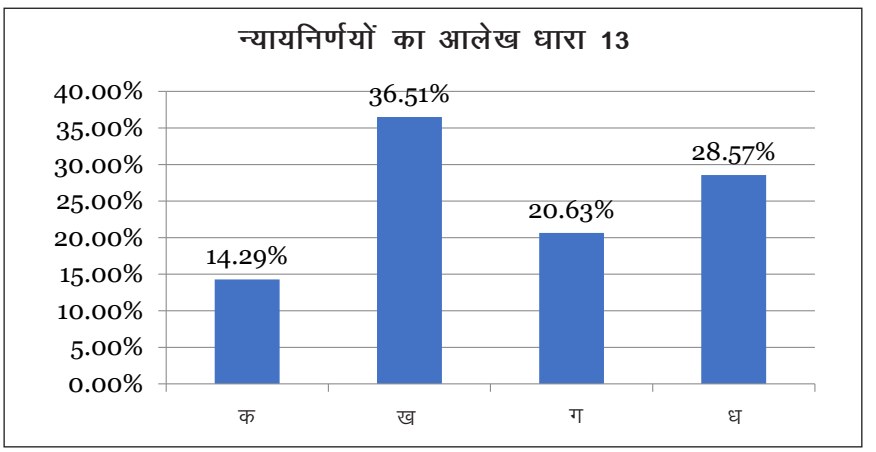

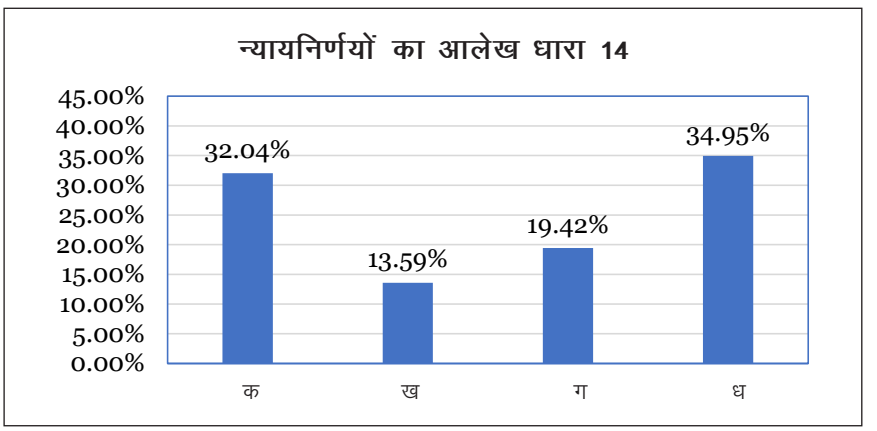

क समर्थित
ख कार्रवाई बंद कर दी गई
ग आश्वासन/निपटान/संशोधन
घ जारी न रखने/न्यायाधीन होने/प्रत्याहरण/निराधार होने के कारण बंद

प्रेस के खिलाफ दर्ज शिकायतों में न्यायनिर्णयों से प्रतिपादित सिद्धांतों की सूची

1. भारतीय सेना, नौसेना या वायु सेना के बारे में लिखते समय, प्रत्येक समाचारपत्र को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों देश का मुख्य आधार हैं और किसी भी प्रकार की गैर–जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए, जो किसी भी तरह से भारतीय सशस्त्र बलों के मनोबल को प्रभावित करे। भारतीय बलों से संबंधित संवेदनशील समाचार या संपादकीय उचित सत्यापन और अत्यधिक सावधानी बरतने के बाद ही प्रकाशित किए जाने चाहिए।

   (न्यायनिर्णय सं. 1877/2020–ए–पीसीआई दिनांकित 29.05.2023, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई 2023 अंक)

2. पत्र लेखक द्वारा की गई किसी राजनीतिक नेता की मात्र सर्वोपरि आलोचना पर आपत्ति नहीं की जा सकती। हालांकि, संपादक को यह अवश्य सत्यापित करना होगा कि पत्र लेखक जो वक्तव्य दे रहा है वो व्यक्तिगत, अपमानजनक और असंसदीय भाषा में नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में संपादक द्वारा विवेक से कार्रवाई की जाएगी।

   (न्यायनिर्णय सं. 376/2022–ए–पीसीआई दिनांकित 29.05.2023, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई 2023 अंक)

3. लेखों, समाचारों आदि का प्रकाशन करते समय, समाचार पत्रों को असंसदीय या अशिष्ट भाषा से बचना चाहिए, विशेषकर जब किसी महिला का संदर्भ दिया जाए। किसी के चरित्र हनन से बचना चाहिए।

   (न्यायनिर्णय सं. 14/406/2019–20–पीसीआई दिनांकित 29.05.2023, प्रेस परिषद समीक्षा, जुलाई 2023 अंक)

4. भारत जैसे बहु–धार्मिक देश में किसी भी धर्म से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और रीति–रिवाजों पर राय देते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि किसी विशेष धर्म के सिद्धांतों का अध्ययन किए बिना अधूरे ज्ञान के आधार पर व्यक्त की गई राय तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश कर सकती है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा सकती

है। धार्मिक मुद्दे संवेदनशील मुद्दे हैं और किसी को भी इनसे निपटने की छूट नहीं लेनी चाहिए जब तक कि उसके पास संबंधित धर्म और उसके रीति–रिवाजों के बारे में आवश्यक विशेषज्ञता और गहन ज्ञान न हो।

(न्यायनिर्णय सं. 303/2021–पीसीआई दिनांकित 17.11.2023, प्रेस परिषद समीक्षा, जनवरी 2024 अंक)

भारतीय प्रेस परिषद, नई दिल्ली